Page No.1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का १८ वां दिवस [संख्या १२

शुक्रवार, दिनांक ३० मार्च, १९६२

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण, विकास, राजस्व, शिक्षा, पंचायत, उद्योग एवं खनिज-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ५६ श्री जीवराज।

(सामुदायिक विकास मंत्री की अनुपस्थिति के कारण यह प्रश्न बाद में लिया गया)

श्री भीमसेन।

बीकानेर से डूंगरगढ़ के बीच बीकानेर-आगरा फोर्ट वाया डूंगरगढ़ हाईवे का एलाइनमेंट

५७. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर आगरा फोर्ट वाया डूंगरगढ़ नेशनल हाइवे का बीकानेर से डूंगरगढ़ के बीच एलाइनमेन्ट क्या है ? क्या इस मौजूदा एलाइन्मेंट के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों की राय जानी गई थी ?

(२) उक्त सड़क के निर्माण का फेज्ड प्रोग्राम क्या है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) अभी तक रेखण (alignment) निश्चित नहीं किया गया है। प्रश्न नहीं उठता।

(२) योजनाबद्ध कार्यक्रम (फेज्डप्रोग्राम) यातायात व संवाहन मंत्रालय, नई दिल्ली से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि नापासर तक यह सड़क बन चुकी है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी हां।

श्री भीमसेन : तो यह सरकार का जवाब देना कि अभी तक एलाइनमेंट निश्चित नहीं किया गया है, कहां तक उचित है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : एलाइनमेंट तय करना भारत सरकार का काम है और सड़क बनाना है वह अलग बात है।

श्री भीमसेन : क्या राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को एलाइनमेंट के लिये सिफारिश की है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आपने जिसके नाम लिये हैं उसकी सिफारिश की है।

श्री भीमसेन : भारत सरकार को क्या सिफारिश की है ? बीकानेर, नापासर, भोजेसर........

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न संख्या ५६।

पीने के पानी की व्यवस्था

५६. **श्री जीवराज** (गुढ़ा) : क्या विकास मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सही है कि तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं के ग्राम पापड़ा में रेगरों को पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त रेगर पहले जिस कुंए से पानी भरते थे अब उससे सिंचाई होने की वजह से पानी नहीं भर पाते ?

(ग) क्या यह सही है कि वहां उन्हें पीने का पानी लाने हेतु मीलों दूर जाना पड़ता है ?

(घ) यदि हां, तो सरकार उनके पानी के कष्ट के निवारण हेतु क्या कार्य करने जा रही है और वह कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) लगभग ४ फर्लांग दूर जाना पड़ता है।

(घ) रेगरों के लिए नये कुंए का निर्माण कार्य चालू है।

श्री जीवराज : कितने दिन हुए चालू हुए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनको पंचायत समिति ने १२००) रू० का अनुदान दिया है और अभी काम चल रहा है। अभी पूरा नहीं हुआ है। इसको पूरा करने के लिये १५००) रु० की और स्वीकृति कर दी गई है। इसमें से ७५०) रू. २८–१२–६१ को दिये गये।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इसमें ओवरसियर का क्या एस्टीमेट है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गांव वाले खुदवाते रहते हैं। यह देखने की बात है कि गांव में कुए में कितनी गहराई पर पानी निकलता है, कितना मेटीरियल लाना पड़ता है। यह एक गांव से दूसरे गांव में वेराइ करता है।

एक माननीय सदस्य : वास्तव में रुपया दे दिया गया है और काम चालू हो हो गया है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा; काम चल रहा है।

श्री गोकुलचन्द (कठमर) : आम तौर से यह होता है कि रुपया उनको दिया जाता है और वह रुपया सही रूप में उपयोग नहीं होता........

श्री अध्यक्ष : आप आम तौर से मत पूछिये, आप विशेष रूप से पूछ लें।

श्री गोकुलचन्द : पहले हरिजनों को समाज कल्याण विभाग से रुपया दिया जाता था उसकी एक सीमा हुआ करती थी। पंचायत समिति से कितना रुपया तक दिया जा सकता है एक कुंआ बनाने के लिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें आम तौर से ५० प्रतिशत तक गांव वाले अपने आप रेज़ करते हैं और ५० परसेन्ट सरकार देती है और कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जो डेज़र्टेड एरियाज़ हैं वहां के लिये ५ हजार रुपये की धन-राशि गांव वाले रेज़ करेंगे और उतनी ही सरकार देगी और अगर ज्यादा की जरूरत होगी तो सरकार ज्यादा भी देगी।

श्री गोकुलचन्द : मेरा यह निवेदन है कि पहले दो-तीन हजार रुपये दिये जाते थे। इतने रूपयों में कुंआ नहीं खुदता था। इस लिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

टिड्डी दल से क्षतिग्रस्त क्षेत्र

५८. **श्री जीवराज** (गुढ़ा) : क्या मन्त्री, राजस्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि इस वर्ष प्रान्त में टिड्डी दल का भारी प्रकोप हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किस किस क्षेत्र को क्षतिग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है और वहां पर काश्तकारों को क्या क्या रियायतें दी गई हैं ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (क) टिड्डी दलों द्वारा आक्रमण तो अवश्य हुआ है किन्तु उसको भारी प्रकोप नहीं कहा जा सकता।

(ख) किसी भी क्षेत्र को क्षति ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। अतः काश्तकारों को रियायत दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दिया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (क) टिड्डी दलों द्वारा आक्रमण तो अवश्य हुआ है, किन्तु उसको भारी प्रकोप नहीं कहा जा सकता।

(ख) किसी भी क्षेत्र को क्षतिग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। अतः काश्तकारों को रियायत दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपने कहा कि भारी नुकसान नहीं हुआ, तो कितना नुकसान होने पर भारी नुकसान कहा जाता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नियम है कि अगर रुपये में ६ आना नुकसान हो या इससे अधिक क्षति हो तो भारी नुकसान कहा जाता है। कोई इतनी क्षति नहीं हुई जिसको नियमानुसार भारी क्षति कहा जाए। कई स्थानों पर रुपये में दो आना या तीन आना भी नुकसान नहीं हुआ है।

श्री विजयसिंह झाला : यह कितने

Page No.4

(श्री विजयसिंह झाला)

डिस्ट्रिक्टों में हुआ है, क्या यह आप बता सकते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह किन किन क्षेत्रों में हुआ, बता सकते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तीन-चार डिस्ट्रिक्ट्स के फीगर्स नहीं आये हैं, बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स में आक्रमण हुआ है।

श्री विजयसिंह झाला : वे तीन-चार क्षेत्र कौन से हैं ?

श्री अध्यक्ष : आपने जवाब दिया है कि ३-४ जिलों की सूचना नहीं आई है, बाकी सब जगह हुआ है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जालोर, बीकानेर........

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : मंत्री महोदय कहते हैं कि जालोर जिले में क्षति नहीं हुई है। मैं बताना चाहता हूँ कि वहां काफी क्षति हुई है। उनके पास जो सूचना आई है वह ठीक नहीं आई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि जालोर जिले की सूचना नहीं आई है।

श्री विजयसिंह झाला : सूचना का आधार क्या है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कलेक्टोरेट से आती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : बिना सूचना आये ही जैसे कह रहे हैं कि भारी प्रकोप नहीं हुआ ! एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भारी प्रकोप नहीं हुआ और दूसरी तरफ कहते हैं कि सूचना नहीं आई है !

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बीकानेर और जालोर से नहीं आई है, बाकी सब जगह से आ गई है।

श्री अध्यक्ष : Order please! Shri Jivaraj.

श्री जीवराज : झुंझुनूं और सीकर जिले में कितने नुकसान की शिकायत आई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : झुंझुनूं में कोई भारी प्रकोप नहीं हुआ है और न शिकायत आई है।

श्री विजयसिंह झाला : कैसे एवरेज निकाला गया है कि भारी प्रकोप नहीं हुआ ? कितना कितना नुकसान हुआ है, इसका एवरेज कैसे निकालते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिस प्रकार नुकसान हुआ हो यदि कहीं दो आने, चार आने रुपये के पीछे नुकसान हुआ हो तो वहां ये नियम लागू नहीं होते और जहां एक रुपये के पीछे ६ आना नुकसान हो तो उस हिसाब से राहत दी जाती है।

श्री विजयसिंह झाला : तो आपके खयाल से ऐसा कोई इलाका नहीं जहां कि २ आने से ज्यादा नुकसान हुआ हो ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यही सूचना मेरे पास है।

श्री जीवराज : खेत के खेत साफ कर दिये और आप कहते हैं कि कहीं पर इतना नुकसान नहीं हुआ। आपको सही सूचना नहीं दी गई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यदि स्पेसिफिक इन्स्टान्स देंगे तो जांच कराऊंगा।

श्री विजयसिंह भाला : क्या टिड्डी ने भी समाजवाद पालन किया है कि सबको बराबर नुकसान हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो सूचना मेरे पास आई है उसके आधार पर मैंने अर्ज किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जहां से सूचना नहीं आई है, कब तक आ जायेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जल्दी ही आ जायेगी और नियमानुसार कार्यवाही की आवश्यकता हुई तो वह की जायेगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जहां से सूचना नहीं आई है क्या वहां के कलेक्टरों से पूछा है कि उन्होंने सूचना क्यों नहीं भेजी ?

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह भाला।

सड़क निर्माण का ठेका

५६. **श्री विजयसिंह भाला** (नाथद्वारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) छोटी सादड़ी से बड़ी सादड़ी जाने वाली सड़क का ठेका किसको कितने रुपयों में दिया गया ?

(२) ठेके की शर्त के अनुसार इस सड़क का निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाना चाहिये था ?

(३) इस सड़क पर कुल कितनी पुलियां आती हैं ? इनमें से कितनी बन चुकी हैं तथा कितनी बननी बाकी हैं ?

(४) इस सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण : (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है; अतः अगली टर्न पर जवाब दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगली टर्न पर जवाब दिया जाय।

एजूकेशन कोड

६०. श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकार द्वारा एजूकेशन कोड पहली बार कब स्वीकृत हुआ है तथा समय समय पर इस कोड में कितनी दफा संशोधन किये गये ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त कोड की बहुत सीमित प्रतियां प्रकाशित करवाई गई थीं और इसकी प्रतियां जनता की सुविधा हेतु मूल्य पर भी उपलब्ध नहीं हैं ?

(३) यदि हां, तो सरकार इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : (१) सरकार द्वारा एजूकेशन कोड १९५७ में स्वीकार हुआ था। तीन बार कोड में संशोधन हुए।

(२) जी हां।

(परसराम मदेरणा)

(३) एजूकेशन कोड में ग्रान्ट-इन-एड नियमों में संशोधन करने के लिये सरकार ने कमेटी मुकर्रर की थी, उसकी रिपोर्ट स्वीकृत होने पर रिवाइज्ड कोड प्रकाशित किया जा सकेगा ।

श्री भीमसेन : कब तक प्रकाशित हो जायेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : नेक्स्ट सेशन से पहले कोड प्रकाशित हो जायेगा और इसकी कॉपियां सेल पर प्राप्त हो सकेंगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह ।

गिरवां एवं बड़गांव (उदयपुर डिविजन) में सड़कों का निर्माण

६१. **श्री जोधसिंह** (गिरवां) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) १ जनवरी, १६६२ से २२ फरवरी, १६६२ तक पंचायत समिति क्षेत्र गिरवां एवं बड़गांव (उदयपुर डिविजन) में किन किन सड़कों का निर्माण हुआ तथा कौन कौन सी सड़कें सुधारी गईं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सच है कि चुनावों के दिनों में ये तमाम सड़कें बिना किसी पूर्व अनुमति के बनाई गईं ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार की कार्यवाही के लिये जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

पंचायत मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सड़कों का कोई निर्माण नहीं हुआ । जो रास्ते सुधारे गये थे उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी नहीं ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री जोधसिंह : दाणी और वली से भुताला तक, लोसिंग गांव से भुताला गांव तक सड़कें बनाई गई हैं । मैं बड़गांव और गिरवां तहसील की बात कर रहा हूँ । आप कह रहे हैं कि सड़कें नहीं बनीं । मैंने खुद ने देखा है, वहां सड़कें बनी हैं । साथ ही आप कह रहे हैं कि बिना मंजूरी के कोई सड़क नहीं बनी ! ढाई सौ से ऊपर की........

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं दें, एक एक पोइन्ट पूछ लें ।

श्री जोधसिंह : आप फरमा रहे हैं कि कोई सड़क नहीं बनी, पर मैं खुद देख कर आया हूँ दाणी और वली से भुताला गांव तक और लोसिंग गांव से भुताला गांव तक सड़कें बनी हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी सूचना के लिये धन्यवाद ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जो सूची सदन की मेज पर रखी है दाणी वली से भुताला तक रास्ता दुरुस्त करने का लिखा है उसमें ३५०) रु० बी. डी. ओ. ने बगैर पंचायत समिति की स्वीकृति के दिया है । वह किस प्रावधान से दिया है ?

श्री अध्यक्ष : जो सूचना हो निश्चित रूप से लिख कर दें। आपने जनरल क्वेश्चन पूछा है, कौनसी सड़क बनी और कौनसी नहीं बनी ?

श्री विजयसिंह झाला : नहीं हुकम, सदन के समक्ष सूची रखी है उसमें रुपया रास्ता दुरुस्ती के लिए दिया है, वह बताया है। ३५०) रुपया बगैर पंचायत समिति की स्वीकृति के नहीं दे सकते थे, वह किसके आधार पर दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप ही सोचें कि रास्ते दुरुस्त करवाये हैं, खर्चा लगा है वह कानून-कायदे से पास करके दिया है। आपको शिकायत है कि पंचायत समिति को नहीं पूछा या ठीक तरह से नहीं हुआ है तो सही तरीके से जानकारी दीजिये।

श्री विजयसिंह झाला : हुकम, सवाल यह था कि कितनी रकम दी गई। तो यह तो आपके उत्तर में आ जाना चाहिये था।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने आंकड़े पूछे ही नहीं। आप कहते हैं कि सड़क बनी और मैंने कहा कि नहीं बनी, रास्ते दुरुस्त किये। तो कलेक्टर का ऑर्डर था कि इलेक्शन्स के टाइम में इधर उधर मोटरें जायेंगी इसलिए रास्ते दुरुस्त किये जायं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 'हुकम' शब्द को दो दफे इस्तेमाल किया है। मेरी यह मान्यता है कि यह शब्द गुलामी का शब्द है और इस तरह के शब्द अपने सदन की कार्यवाही में नहीं आने चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि यह शब्द सदन की कार्यवाही में से हटा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन !

अधिक तावान की वसूली

६२. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की लूणकरणसर, कोलायत एवं बीकानेर तहसीलों में पर्याप्त सरकारी भूमि पड़ी हुई है ?

(२) क्या यह सही है कि बिना सरकारी स्वीकृति के कृषि भूमि काश्त करने पर भूत पूर्व बीकानेर स्टेट में केवल एक पैसा प्रति बीघा तावान (penalty) के रूप में वसूल होता था ?

(३) क्या यह भी सही है कि बीकानेर तहसील में संवत् २०१४ अर्थात् सन् १९५७ तक उपरोक्त शरह से ही तावान वसूल होता रहा है ?

(४) अगर हां, तो उपरोक्त साल के पश्चात् एक पैसा प्रति बीघा से अधिक तावान क्यों वसूल किया जाता है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) सन् १९५७ के पश्चात् एक पैसा प्रति बीघा से अधिक तावान वसूल किये जाने का कारण यह है कि सरकार द्वारा राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट, १९५६ व

Page No.8

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, १६५५ के प्रावधानों के अनुसार तावान नियत करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि हजारों काश्तकार ऐसे पुराने हैं जो बिना पूछे काश्त कर लिया करते थे और ऐसे काश्तकारों के बारे में सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी कि उन्हें गैरखातेदारी राइट्स दे दिये जांय ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टीनेन्सी एक्ट लागू नहीं था, तब वाला तावान वसूली करने का तरीका था। उसके अनुसार वसूली करने की कार्यवाही की जाती है। उसके बाद टीनेन्सी एक्ट के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। पर इस सम्बन्ध में प्रश्न कर्ता की तरफ से रिप्रेज़ेन्टेशन दिया गया था उस पर निर्णय अभी सरकार द्वारा नहीं हुआ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): कितने काश्तकार हैं जो तावान देने की स्थिति में आते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : संख्या के बारे में मैं स्पेसिफिकेली नहीं कह सकता।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सरकार की तरफ से गलती हो और दो-तीन साल एक्शन नहीं लिया जाता है और फिर तीन-चार साल का एक साथ तावान वसूल किया जाय और इजेक्टमेंट किया जाय, क्या यह ठीक तरीका है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इजेक्टमेंट किसी का नहीं किया गया है, तावान वसूली का सवाल है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सरकार उनसे लगान वसूल करती रही है तो क्या यह समझ कर कि उनकी काश्त थी, उनको खातेदारी राइट्स नहीं दिये जा सकते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : शिफ्टिंग कल्टीवेशन में खातेदारी तो मिल नहीं सकती। अभी वे ट्रेसपासर्स की तारीफ में आयेंगे तब तक तावान के नियमों का पालन किया जायेगा; पर उनको गैरखातेदारी अधिकार दे दिये जायं या नहीं, यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जब सरकार एक बार लगान वसूल कर लेती है तो दो साल बाद क्या आवश्यकता तावान वसूली की आ जाती है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब सरकारे ने वसूल कर लिया तो यह कन्सेन्ट की तारीफ में नहीं आता क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वसूली की नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (चुरू) : क्या यह सही है कि बीकानेर टीनेन्सी एक्ट के अनुसार उन काश्तकारों को अधिकार प्राप्त हो गये थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Beg your pardon.

श्री अध्यक्ष : क्या बीकानेर के पुराने टीनेन्सी एक्ट के अनुसार उन काश्तकारों को टीनेन्सी के हक प्राप्त हो चुके थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या ऐसे काश्तकारों पर सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही करने के लिए सरकार आश्वासन देगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आश्वासन का प्रश्न ही नहीं है, यह पहले से ही सरकार के विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

नाजायज़ नोतोड़

६३. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) केशवराय पाटन तहसील में ऐसे कितने काश्तकार हैं जिन पर नाजायज नोतोड़ करने का तहसील ने मुकदमा चला रखा है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि ऐसे अनधिकृत नोतोड़ करने वालों को सरकार ने पहले उन्हें मौखिक स्वीकृति दी थी ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) केशोराय पाटन तहसील के चम्बल प्रोजेक्ट क्षेत्र में स्थित १३८ गांवों के ६,६८६ काश्तकारों पर तथा नॉन प्रोजेक्ट एरिया के २७ गांवों के ५४ काश्तकारों पर इस प्रकार का कुल ७,०४३ काश्तकारों पर नाजायज़ नोतोड़ करने के सम्बन्ध में मुकदमे तहसील द्वारा चलाये जा रहे हैं । तालिका प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जावेगी ।

(२) जी नहीं ।

(तालिका विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हरिप्रसाद शर्मा : काश्तकारों का कब्जा कितने वर्षों से जमीन पर है; जो ट्रेसपासर्स हैं वे कितने वर्षों से उस जमीन पर काबिज हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अवधि नहीं बताई जा सकती, किन्तु ये एक्ट के बिफोर के और बाद के हैं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि मौखिक स्वीकृति इसके लिए उनको अधिकारियों द्वारा दी गई थी और उनको उस जमीन पर काबिज कराया गया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी नहीं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या लगान भी लगा दिया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी नहीं लगाया गया है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यदि इस प्रकार की सूची प्रस्तुत की जाय कि लगान उनसे वसूल किया गया है तो क्या उनको राइट्स उस जमीन के दे दिये जावेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : काश्तकारी कानून के अन्तर्गत ही उनको राइट्स दिये जा सकते हैं, पर्चे आदि के आधार पर नहीं दिये

Page No.10

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
जा सकते। चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में खातेदारी के राइट्स मांगे गये थे तो स्पेशल लेजिस्लेशन हुआ था। तो इस प्रकार से पर्चे आदि के आधार पर राइट्स नहीं दिये जा सकते।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आधे से अधिक काश्तकार ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे पास ऐसे फीगर्स नहीं हैं कि वे भूमिहीन हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि जो भूमि बंजर आदि थी उस पर उनका कब्जा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हर किस्म की है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि तावान वसूली के सारे प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक जब तक विचार कर लें तब तक इसको स्थगित करने के लिए तैयार हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी यह तय नहीं हुआ है और यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : किस तरह फैसला करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री कुमारानन्द।

उदयपुर कॉटन मिल्स लि० उदयपुर

६४. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(अ) क्या उदयपुर कॉटन मिल्स लि०, उदयपुर ने उत्पादन आरंभ कर दिया है ?

(ब) यदि हां, तो कब से आरंभ किया है और प्रतिदिन औसत तथा अब तक का कुल उत्पादन कितना हो चुका है ?

(स) क्या इस औद्योगिक संस्थान को सूत उत्पादन का लाईसेंस दिया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (अ) जी हां।

(ब) उदयपुर कॉटन मिल्स लि० उदयपुर का उत्पादन दिनांक ४-११-१९६१ से प्रारम्भ हो गया है।

मिल का प्रतिदिन औसत उत्पादन ३,००० पौंड (६० काउण्ट्स) धागा तथा दिनांक २४ मार्च, १९६२ तक का कुल उत्पादन ५,३६,०९९ पौंड (औसत ५३.७९ काउण्ट्स) धागा है।

(स) जी हां।

इस मिल को सूत उत्पादन का लाईसेंस भारत सरकार द्वारा दिनांक १२ सितम्बर, १९५७ को दिया जा चुका है।

श्री कुमारानन्द : क्या सरकार यह बताने की कोशिश करेगी कि क्या वहां दो डिपार्टमेन्ट्स हैं स्पिनिंग और वीविंग ?

उद्योग मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : सिर्फ स्पिनिंग।

श्री कुमारानन्द : कितने मजदूर काम कर रहे हैं, क्या सरकार बता सकती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : करीब ४००-४५० ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या सारे के सारे मजदूर उदयपुर के हैं या बाहर के भी हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

सज्जी के ठेके की रकम की वसूली

६५. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह-नगर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या अनूपगढ़ तहसील में सज्जी के ठेके की पिछले तीन साल की रकम वसूल हो चुकी है ?

(२) अगर नहीं, तो सरकार यह रकम वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

उप-मन्त्री, खनिज (श्री चन्दनमल वैद) : (१) पूरी नहीं हुई ।

(२) एक वर्ष की बकाया वसूली के लिए पी० डी० आर० एक्ट के तहत कार्यवाही जारी है । शेष दो वर्षों के विषय में ठेके कानून की दृष्टि से सम्पूर्ण न हो सकने के कारण रकम की वसूली नहीं की जा सकती ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दो साल की पिछली वसूली के लिए क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री चन्दनमल वैद : वसूली पूरी नहीं की जा सकती—क्योंकि ठेके की कानूनी कार्यवाही पूरी नहीं हुई ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ठेके की कार्यवाही पूरी न करने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री चन्दनमल वैद : देरी होने के कारण ठेका पूरा नहीं हो सका । पता लगाया जा रहा है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : दो वर्ष के ठेके में इन्वोल्व्ड कुल कितना अमाउन्ट है ?

श्री चन्दनमल वैद : रकम है ३,४५,२५०) रु० ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इतनी बड़ी भारी रकम के सम्बन्ध में आखिर कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार है ?

श्री चन्दनमल वैद : इसके लिए जानकारी की जा रही है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जब जमीन में से सज्जी निकाल ली तो वह ट्रेसपासर है या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : सज्जी निकालने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री अध्यक्ष : क्या बगैर ठेका दिये ही काम किया था ?

श्री चन्दनमल वैद : सरकार के पास ऐसी सूचना नहीं है । यदि माननीय सदस्य ऐसी सूचना दें कि बगैर ठेका लिये काम किया गया तो कार्यवाही की जावेगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ठेका दिया है और उसको स्वीकार किया गया है । आपने

Page No.12

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

यह कहा कि तीन लाख से ऊपर की रकम वसूल करने के लिए जिम्मेवार कोई अधिकारी है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न तो आप दो-तीन बार पूछ चुके हैं और यह जवाब दिया जा चुका है कि जानकारी की जा रही है । और कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रियायत देकर ठेका नहीं दिया जा सकता ?

श्री चन्दनमल वैद : दिया गया है और काफी रकम वसूल हो चुकी है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे यह सूचना है कि इस वर्ष का ठेका डाइरेक्टर, माइन्स से रियायत देकर दिया गया है ।

श्री चन्दनमल वैद : डाइरेक्टर ऑफ माइन्स से इसका ताल्लुक नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके माइनिंग महकमे से रियायत देकर ठेके की कुल रकम इस वर्ष की न देकर दिया गया है ।

श्री चन्दनमल वैद : माननीय सदस्य को गलतफहमी है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अब कब तक जानकारी पूरी हो जायेगी ?

श्री चन्दनमल वैद : अभी जानकारी की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

धमान-धोलेटा सड़क का निर्माण कार्य

६६. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार ने हिंडौन में धमान-धोलेटा तक सड़क बनाने का कार्य आरम्भ किया है ?

(२) यदि हां, तो इस सड़क का ठेका किसको दिया गया है तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

(३) इस सड़क पर कुल कितनी पुलियां बन चुकी हैं तथा कितनी बननी बाकी हैं ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप-मन्त्री, सार्वजनिक-निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(११.३० म. पू.)

आय व्ययक पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल यादव ।

माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि संक्षेप में अपने विचार रखें ताकि बहुत से माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिल सके ।

श्री अमृतलाल यादव (बल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, २७ तारीख से बजट पर सामान्य वाद-विवाद चल रहा है। उस पर सदन के माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किये। मैं भी सदन के सामने अपने विचार रखने के लिये उपस्थित हुआ हूँ- मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सदन में हमारी सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है सरकार का यह दावा है कि सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और वैलफेयर स्टेट के लिये हमारा यह बजट है। मुझे यह देख कर दुख होता है कि आज भी राजस्थान में एक तबका ऐसा है जो प्रथा आज उसके अन्दर प्रचलित है जिसको इन्सानियत की प्रथा नहीं कह सकते, जिसके लिये एक बार नहीं अनेक बार मैं कह चुका हूं और इस बारे में सुझाव भी दे चुका हूं। यह बजट जो दो चुनावों के बाद उपस्थित किया गया है इसमें भी हम यह नहीं देखते हैं कि एक इन्सान को मैले की टोकरी अपने सिर पर उठा कर फैंकनी पड़ती है। भगवान् ने उसको इन्सान का रूप दिया है, इन्सान बनाया है लेकिन फिर भी इन्सानियत के काबिल जो काम नहीं वह काम उनको करना पड़ रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस वैलफेयर स्टेट में सिर पर मैले की टोकरी ढ़ोने की प्रथा के बारे में उसने क्या किया है, क्या कदम उठाया है ? भारत सरकार ने स्केवेन्जिंग सुधार के लिये एक कमेटी मुकर्रर की थी। उसके लिये भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी रकम भी रखी है और उसके अन्तर्गत बहुत बड़ी रकम दिये जाने की तजवीज है। लेकिन हमारी राज्य सरकार ने यह नहीं बताया कि वह इस स्कीम के अन्तर्गत कितना रूपया ले रही है। यह हो सकता है कि हमारे बजट में गुंजाइश नहीं हो लेकिन मेचिंग ग्रान्ट लेने में और इस समस्या को हल करने में क्या दिक्कत हो सकती है ? आज सोशियल वैलफेयर विभाग के असिस्टेन्ट कमीशनर गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया का यहां कार्यालय है। मैं मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि म्युनिसिपेलिटीज़ को कर्जा देनी की रकम को उन्होंने बढ़ाया है इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे म्युनिसिपेलिटीज़ को इस बात के लिये बाध्य करें कि जो इन्सानों द्वारा टट्टी-पेशाब आदि सिर पर ढ़ोने की प्रथा है इस सिस्टम को वे बदलें और उसके लिये रकम सरकार दे और कुछ म्युनिसिपेलिटी अपने पास से खर्च करे। इसके लिये भारत सरकार की ओर से भी रकम दी जाती है। आधा रूपया समाज कल्याण विभाग दे, कुछ राज्य सरकार दे और कुछ म्युनिसिपेलिटीज़ दे और इस बात का प्रबन्ध करे कि इन्सान के सिर पर जो मैला ढोने की प्रथा है उसमें सुधार करे। अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार से मेहतरों के टट्टी, - सफाई आदि कार्य के लिये लोहे की गाड़ियां आदि बनाने के लिये रूपया लिया गया था लेकिन उस रूपये को उस कार्य में न लगा कर उस रूपये से दूसरा काम लिया गया, इस बात की जांच भी नहीं की गई। इसके लिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह एक योजना बनाये और उस योजना के अनुसार इस प्रथा को खत्म करने का प्रयत्न करें; चाहे वह एक साल में हो, चाहे तीन या पांच साल में हो लेकिन इस ओर कदम तो उठावे तभी जाकर

Page No.14

(श्री अमृतलाल यादव)

यह समस्या खत्म हो सकती है, तभी जाकर हम फक्र कर सकेंगे कि इन्सान के माथे पर मैला ढोने की जो प्रथा हमारे यहां प्रचलित थी उसको हमारी सरकार ने हटाया ताकि ये लोग भी इन्सान की जिन्दगी व्यतीत कर सकें। समाज कल्याण विभाग द्वारा भी इस प्रवृत्ति की तरफ पॉलिसी डिक्लेरेशन के तौर पर ऐसी कोई बात नहीं की गई। मैं वित मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह तो चन्द कोड़ियों का सवाल है जिससे बहुत बड़ा काम हो सकता है और इन्सानियत को और ज्यादा ऊंचा उठाने की तरफ यह हमारी सरकार की कोशिश होगी। फाइनेन्स मंत्री महोदय ने म्युनिसिपेलिटीज़ के कर्जे की रकम बढ़ायी है लेकिन यह रकम बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि मेहतर जो उनकी रीढ़ की हड्डी है उनके सिर पर जो मैला ढोने की प्रथा है उसको खत्म नहीं कर देते। प्राईवेट लेट्रिन्स में भी इस बात की गुंजाइश करेंगे ताकि मैला ढोने की जो प्रथा है वह बिल्कुल यहां से समाप्त हो जाय। मैंने जो भी सुझाव दिये हैं मैं आशा करता हूं सरकार उस बारे में डेफिनिट जवाब देगी। फाइनेन्स मिनिस्टर महोदय हमारी सरकार में पहले पहल अर्थ मंत्री बने हैं। वे यदि इस प्रथा को समाप्त करने में कामयाब हुए तो इतिहास में उनका नाम अमर हो जायगा और इतिहास इस बात का साक्षी रहेगा कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अल्प काल में बहुत बड़ा काम कर दिया।

इसी के साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हरिजनों की जहां कहीं भी बस्तियां हैं वहां नल और बिजली लगाने का सवाल मामूली रकम खर्च करने में हल हो सकता है। आज हम देखते हैं कि जहां कहीं भी हरिजन बसे हुए हैं उन लोगों को उनके मकानों के पट्टे तक नहीं दिये गये हैं। बापू बाजार, अजमेरी गेट के पास ले लीजिये। उन जगहों से हरिजनों को हटा कर डेवलपमेंट के नाम से उनसे जमीन छीन ली जाती है और बड़े बड़े लोगों को प्लॉट्स काट काट कर दे दिये जाते हैं। महकमाखास के पास उसके नाक के सामने प्लॉट दे दिये गये हरिजनों की जमीन एक्वायर करके। उनको वहां से हटाया गया है। प्रेम प्रकाश सिनेमा के पास, अजमेरी दरवाजे के बाहर व और भी जगहों से हरिजनों को हटा कर डेवलपमेंट के नाम से उनसे जमीन छीन ली जाती है; उनको दूसरी जगह कहीं बसाने की चिन्ता नहीं की जाती है। आज वे दर-बदर ठोकरें खाते फिरते हैं। आप उनसे जमीन लेते हैं तो कम से कम उनको नोमीनल रेट पर दूसरी जगह जमीन देकर बसाना तो चाहिये सोशियल वैलफेयर डिपार्टमेंट के एडवाइज़री बोर्ड ने यह पॉलिसी तय कर रखी है उनको बसाने की लेकिन उसके इम्पलीमेन्टेशन की ओर कोई ध्यान नहीं देता।

इसके अलावा एक और आश्चर्य की बात मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ। सरकार द्वारा गत वर्ष यह आश्वासन दिया गया था कि हरिजनों के जो होस्टल्स हैं उनके अन्दर सवर्ण छात्रों को भी सम्मिलित किया जाय, इससे उनमें छूतछात को जो भावना है वह दूर होगी। इस पॉलिसी को सरकार ने एडॉप्ट किया और इस तरह से दस प्रतिशत हरिजन छात्रों को रखने की बात हुई। इस दस प्रतिशत छात्रों को हरिजन होस्टल्स में रखने

Page No.15

(श्री अमृतलाल यादव)

के लिए फेसीलिटीज़ देने का तय किया गया था। लेकिन उन संस्थाओं को जहां ऐसे छात्र रहते हैं इस प्रकार की फेसीलिटीज़ नहीं दी गई। उनको इसके लिये पैसा देने में दिक्कत हो रही है। कहा जाता है कि कौन से कानून के तहत यह पैसा दिया जाय, यह नहीं मिलता। इसके लिये नियम नहीं मिलते, रूल्स नहीं मिलते हैं। मेरा यह निवेदन है कि जब एक बात को तय किया जाय तो फिर उसके मिलने में क्यों दिक्कत होनी चाहिये ?

चूंकि समय थोड़ा है इसलिये मैं और बातों पर बहुत ही थोड़े में निवेदन करूंगा। सर्विसेज़ के बारे में यह तय किया गया था कि साढ़े बारह प्रतिशत हरिजनों के लिये सर्विसेज़ रिज़र्व कर दी गई हैं लेकिन वह १२।। प्रतिशत आज तक पूरा नहीं हुआ है। नये मंत्रि-मण्डल के सदस्य आये हैं, मैं उनसे यह निवेदन करूंगा और लीडर ऑफ अपोज़िशन से भी निवेदन करूंगा कि वे अपने हाउस होल्ड सर्विस में एक मेहतर को रखें और मंत्री महोदयों से भी निवेदन करूंगा कि वे अपने बंगलों पर एक चपरासी या पानी पिलाने वाला हरिजन रखें। इससे छुआछूत एक दम खत्म हो सकेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): भूतपूर्व मन्त्री महोदयों को भी रखना चाहिये।

श्री अमृतलाल यादव : हम जब मन्त्रि-मण्डल में थे तो हमने तो रखा है और मैं तो उसमें रम ही गया हूँ, लेकिन भूतपूर्व उपाध्यक्ष महोदय, जो आचार्य हैं, ब्राह्मण जाति में श्रेष्ठ हैं यदि वे रख लें तो यह एक प्रकार से ब्रह्म-वाक्य होगा जिससे इस छुआ-छूत को दूर भगाने में बहुत सहायता मिल सकेगी।

अब मैं प्रोहिबिशन की बात पर निवेदन करना चाहता हूँ। प्रोहिबिशन के बारे में मैं यह आशा करता था कि सरकार इस बजट में इस बारे में अपनी पॉलिसी रखेगी और प्रोहिबिशन की तरफ इशारा होगा। हम भी यह जान पाते कि हमारी सरकार की पॉलिसी प्रोहिबिशन के बारे में आगे बढ़ी या वहीं पर स्थिति है जो चार-पांच साल पहले थी। मैं यही देख रहा हूं कि जो पॉलिसी इस बारे में चार-पांच साल पहले थी वही है उससे आगे हम एक कदम भी नहीं बढ़ पाये हैं। माउन्ट आबू जो पहले ड्राइ एरिया था उसे वेट कर दिया गया। मैं इस बात को मानता हूँ कि आज यह स्थिति नहीं कि हम ड्रास्टिक एक्शन इस बारे में ले सकें, सारी स्टेट को ड्राई न करें लेकिन हमारे पड़ौसी मध्य प्रदेश, बम्बई आदि जो स्टेट्स हैं, यू० पी है उन्होंने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को ड्राई एरिया घोषित किया है, वहां ड्राई डेज़ बढ़ाये गये हैं। मजदूरों को जिस रोज तनख्वाह मिलती है तनख्वाह मिलने के कुछ रोज पहले और आगे एक सप्ताह तक वे पैसा शराब खोरी में खर्च न कर सकें इसलिये ड्राई डेज़ रखते हैं। इसमें यह भी मकसद रहता है कि नये शराबखोर न बन जायं, इसलिये भी इन दिनों में बन्द रखा जाता है। अगर इस तरह से ३० दिनों में दस दिन भी शराब न पीने को मिलें तो जिनकी आदत है वह छूट सकती है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति के पूनम, अमावस, एकादशी आदि जिनको अच्छे दिनों में गिना जाता है उनको ड्राई डेज़

(श्री अमृतलाल यादव)

में जनता की भावना को देखते हुए घोषित कर देते हैं तो शराब पीनेवालों की कमी हो सकती है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा वे जहां कानून बनाते हैं अगर वे सब लोग जो शराब पीते हैं उसको छोड़ने की तैयारी करें तो हमारे १७६ में शराब पीने वालों की काफी कमी हो जायेगी। और वह दिन नजदीक आ जावेगा कि सदन के इस ओर बैठने वाले और उस ओर बैठने-वाले माननीय सदस्यगण स्वेच्छा से इसे छोड़ दें।

एक माननीय सदस्य : आपको खयाल है कि १७६ ही शराब पीते हैं?

श्री अमृतलाल यादव : जी नहीं। और मैं यह बात निश्चित तौर से तथ्य के रुप में मानता हूं कि ऐसा किसी बाहरी दबाव से नहीं हो सकता, यह तो दिली इच्छा से ही हो सकता है।

इसके दूसरे मुद्दे पर देखें। प्लानिंग कमीशन ने इसके बारे में एक योजना बनाई है। हमारी सरकार ने बनाई या नहीं, मुझे मालूम नहीं। यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पॉलिसी हमारी आज हो गई है कि इसे बन्द किया जाय। तो इसे हमें आर्थिक कठिनाइयों के बहाने चैक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिये, बल्कि इसे प्रभावशाली बनाना चाहिये। ऐसे प्रभावशाली कदम उठाने चाहिये कि जिससे समाज में से यह बुराई दूर हो सके और समाज का स्तर ऊंचा उठ सके।

इसके बाद मैं सहकारिता की ओर आता हूँ। मुझे यह जान कर परेशानी हुई कि कोऑपरेटिव कॉमनवैल्थ बनाने के हमारे ध्येय के महत्व को देखते हुए नीति सम्बन्धी कोई घोषणा वित्त मंत्री महोदय ने नहीं की। मैं अभी इस पर अधिक नहीं कहूंगा, और भी मौके अभी आवेंगे इसके लिये। फिर भी संक्षेप में मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि सहकारिता का हमारा उद्देश्य संक्षेप में यह है कि नॉन क्रेडिट वर्दी जो लोग हैं उनको क्रेडिटवर्दी बनाया जावे। इस सम्बन्ध में इस विभाग को जितना सतर्क रहना चाहिए उतना नहीं है। मैं मानता हूं कि सहकारी विभाग में सहकारिता की दिशा में काफी काम हुआ है, हमारा राजस्थान इस दिशा में आगे बढ़ा है, पर अगर मूल भूत बात में कमी है तो मुझे आशंका है कि हम कहीं पीछे न रह जावें इस दिशा में।

मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जोधपुर के सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने पचास - साठ लाख रुपया बांटा। इसकी इन्क्वायरी सम्बन्धित मन्त्री महोदय करें कि इसमें से जो नॉन क्रेडिटवर्दी लोग हैं उनको कितना रुपया दिया गया। मैं इस मुद्दे को क्लीयर करना चाहता हूं। रामा, पेमा, खेमा, इस तरह के दस किसान हैं। वे सब दस - दस बीघा अन-इकोनोमिकल होल्डिंग रखते हैं। उनके पास कोई साधन नहीं हैं। उनको जमानत पर भी कहीं से सौ-पचास रुपया मिल सके, ऐसी कोई सम्भावना नहीं। उन लोगों की कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की दिशा में विभाग स्वयं आगे होकर प्रयत्न करे, विभाग के लोग उनके पास जावें और कहें कि तुम्हारी जो जमीन है उसे सबको मिला कर तुम जोतो और इसके बाद जितना रुपया तुम्हें इससे अच्छी खेती करने के लिए चाहिए; बीज चाहिए, खाद चाहिए, बैल चाहिए वह सब तुमको सरकार

(श्री अमृतलाल यादव)

देगी, हमारा सहकारी विभाग देगा। तो इस तरह की लगन विभाग में चाहिए। वह लगन इसमें नहीं है। भूले-भटके इस विभाग के आदमी अगर उसमें उधर कभी जाते भी हैं तो इस विभाग का एक इन्सपेक्टर भी अपने को गवर्नर से कम नहीं समझता और हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट तो अपने को राजा साहब तो कहते ही हैं, पर वह राजा साहब भी अपने को राजा साहब ही नहीं, महाराजा साहब समझते हैं। माननीय अध्यक्ष, जब मैं यह बात कहता हूं तो मुझे कोई बहुत खुशी नहीं होती है। यह सदन इस बात का साक्षी है कि मैं काफी अर्से तक एक जिम्मेवारी के पद पर भी रहा हूं और दस साल से एम. एल. ए. भी चला आ रहा हूं। मैंने अपने इतने दिनों के रेकॉर्ड में किसी अफसर की कभी व्यक्तिगत आलोचना नहीं की है। आज तक मैं किसी का नाम अपनी जबान पर नहीं लाया हूं। पर मैं आज इस कोऑपरेटिव विभाग के हैड, राजा निरंजनसिंह का नाम लेना चाहता हूं। वह आदमी जब तक इस विभाग का हैड बना रहेगा तब तक सहकारिता का अपना उद्देश्य यह विभाग पूरा कर सकेगा इसमें मुझे पूरा शक है। इस आदमी में सहकार की भावना नहीं है। इसमें तो ऑटोक्रेटिक भावना है, घमण्ड है। इस पद पर बैठने वाले आदमी में जो सहज स्वाभाविक सहकारिता की वृत्ति होनी चाहिए वह नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति अगर इन पदों पर रहेंगे तो कैसे उन लोगों का काम हो सकता है ? तो मैं इस तरह केवल आलोचना ही नहीं करना चाहता, कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इस सम्बन्ध में क्या आप यह बताएंगे कि आपने इसकी कभी सहकारिता मन्त्री को भी शिकायत की है ?

श्री अमृतलाल यादव : मैंने सहकारी अध्यक्ष को, सेक्रेटरी को भी कहा है; मन्त्रीजी से भी हल्के से जिक्र किया है और यह सही है कि मुख्य मन्त्रीजी से कभी नहीं कहा। समय पर कहूंगा, ऐसा विचार किया था। आज मौका है बजट का इसलिए इतना ही कह देना चाहता हूं। बाकी डिमांड पर जब बोलने का अवसर मिलेगा तो उस वक्त मैं कॉन्क्रीट और सब्स्टेन्शियल बातें भी सदन में रखूंगा।

आज तो यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस जयपुर नगर की चार-पांच लाख की आबादी है। इसमें हम सब लगभग रिक्शा का उपयोग करते रहते हैं। अगर सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी हमारा उद्देश्य है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन रिक्शा पुलर्स की भी कुछ एक सोसाइटी की तरह का कुछ प्रबन्ध बन जाय। कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए हमें जिससे इनको कुछ राहत मिले। आज एक आदमी दस-बीस हजार रुपया लगा कर कुछ रिक्शा बनवा लेता है और इनको वह देकर पूरा फायदा स्वयं उठा लेता है। इनको इतना भी नहीं मिल पाता कि अपना गुजर-बसर आराम से कर सकें; बल्कि होता यह है कि रात-दिन इस तरह से अधिक मेहनत करने से इनको तपेदिक हो जाती है और साल, दो साल में तड़प तड़प कर मर जाते हैं। दिन भर में कड़ी मेहनत करके पांच-सात रुपया कमाते हैं और इसमें से पांच-छः रुपया रिक्शा मालिक

Page No.18

(श्री अमृतलाल यादव)

को दे देते हैं। मुश्किल से इनको रुपया, डेढ़ रुपया मिल पाता है। तो इस समस्या की ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि अगर इसमें सहकारी विभाग आगे आवे और कामयाबी हासिल कर ले तो कितना बड़ा श्रेय सरकार को मिलने वाला है ? मैं कहता हूं, इसमें कौनसी बड़ी दिक्कत है ? अगर कोई दिक्कत है तो रिक्शा मालिकों को, जिनके इसमें इन्टरेस्ट हैं। अगर सरकार में इन वेस्टेड इन्टरेस्ट को समाप्त करने की हिम्मत नहीं है तो यह सरकार भूल कर रही है।

इसी तरह गांवों में छोटे छोटे जमीन वालों की तरफ भी मैं अपने वित्त मन्त्रीजी का और सहकारिता मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी कुल आबादी का ८० प्रतिशत हिस्सा खेतों में काम करता है और इनमें भी अधिकतर ६०-७० प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो साधारण श्रेणी के हैं। जिस दिन से ये सब आपकी कोऑपरेटिव स्कीम के अन्तर्गत आ जावेंगे उस दिन सारा श्रेय आपको मिलेगा। मन्त्री महोदय इस बात की जांच करें कि आपका सहकारिता का विभाग इस ओर कितना ध्यान दे रहा है। अगर वह ध्यान नहीं दे रहा है तो देने की बात आनी चाहिये।

छोटे धन्धों के बारे में भी थोड़ा अर्ज करना चाहता हूँ कि इस बारे में सरकार ने मौजूदा टैक्सेशन में जो रियायतें दी हैं वे वास्तव में आज की स्थिति को देखते हुए ठीक हैं। सरकार धन्यवाद की पात्र है। खास कर सेल्स टैक्स के बारे में उन छोटे व्यापारियों की दिक्कतों को देखते हुए आपने जो १२,००० टर्न ओवर की लिमिट को १५,००० किया है उससे छोटे व्यापारियों को राहत मिली है और इसके लिये अवश्य यह सरकार धन्यवाद की पात्र है।

इसके साथ ही अर्ज करना चाहता हूं कि आपने ५०,००० तक टर्न ओवर वाले व्यापारियों को दो साल तक अपने ही स्टेटमेंट पर टैक्स देने की छूट देकर बहुत बड़ी रियायत उनको दी है। इसका भी मैं स्वागत करता हूँ। अखबारी कागजों को जो रियायत दी वह उपयुक्त है, देनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

पर सबसे बड़ी बात तो यह है, टैक्सों की वसूली में जो हैरेसमेंट होता है उससे अधिक लोग दुखी हैं। उनको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिये। एक एक व्यापारी को चार-चार; पांच-पांच लाइसेन्स लेने पड़ते हैं। उससे वे परेशान हैं। इस बारे में गवर्नमेंट ने कमेटी भी बैठाई थी। तो उसकी सिफारिशों को जल्दी से इम्पलीमेंट करने की कोशिश की जानी चाहिये।

इसके आगे बिजली की दर, यात्री-कर और चने की दाल और चने पर जो कर-भार बढ़ाया है; मैं समझता हूं यह गरीब लोगों पर बोझ है, वे सहन नहीं कर सकेंगे। इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। यह बर्डन उन पर नहीं पड़ना चाहिये। और दूसरे तरीके से आमदनी हो सके, यह मांग इधर के बैठने वाले भी करते हैं और उधर के बैठने वाले भी करते हैं और साथ ही यह भी मान्यता रखते

(श्री अमृतलाल यादव)

हैं कि बिना टैक्सेशन के कोई गवर्नमेंट नहीं चल सकती और टैक्स इवेज़न न हो और टैक्स पेइंग मेन्टेलिटी डिसकरेज न हो; इस बात की तरफ भी हमारा पूरा ध्यान होना चाहिये। लेकिन साथ ही साथ इस तरह का भी नहीं होना चाहिए कि जनता उसके भार से बिल्कुल ही दब जाये; बल्कि वह इस तरह का होना चाहिए जैसा कि हमारे वित्त मन्त्रीजी ने अपने भाषण में कहा कि टैक्स हमको लगाना भी पड़ सकता है लेकिन इसका ख्याल रखें कि उसका भार उन लोगों के ऊपर पड़े जो कि उसे सहन कर सकते हैं। तो जो सहन नहीं कर सकते हैं उनके ऊपर भी अनजाने में और गफलत में कोई बर्डन आ पड़ा है तो हम उनको तवज्जोह दिलाना चाहते हैं कि जो अपना मूल उद्देश्य है उसकी तरफ आयें कि जो टैक्स पेइंग मेन्टेलिटी के लोग हैं और जो पे करने की कैपेसिटी रखते हैं उनसे ही हम टैक्स लें तो समाज के दूसरे लोगों के ऊपर बर्डन नहीं पड़े।

कुल मिला कर, आखिर में, बैठने से पहले यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज की परिस्थिति में जो बजट आया है उसमें मूल बातों की तरफ जरूर ध्यान दिया है जिससे इत्मिनान होता है, इस बात का कि हमारी सरकार का उद्देश्य सोशियल वैलफेयर स्टेट की तरफ है। लेकिन धीमी गति से काम नहीं चल सकता। आज के जमाने में बहुत तेज गति से काम करने का सवाल है और सब्स्टेन्शियल रिज़ल्ट्स जिसके आयें उस काम को करने का सवाल है। आज बड़े बड़े लोगों पर सरकार की बहुत बड़ी बड़ी रकमें बकाया हैं। अगर उनकी वसूली में तेजी की जाये तो काफी रुपया सरकार को मिल सकता है और दूसरे लोग जो टैक्स इवेज़न करते हैं उनकी तरफ भी हमारी सरकार तवज्जोह दे तो हमारी सरकार को काफी पैसा मिल सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

आपने जो देशी शराब के ऊपर टैक्स बढ़ाया है उसके लिये तो हमें कोई एतराज नहीं है, वह बढ़ाया जाना चाहिये; लेकिन अंग्रेजी शराब के ऊपर नहीं बढ़ाया जाता, यह पक्षपात की बात नजर आती है। मैं तो कहता हूं कि देशी शराब के ऊपर कर नहीं लगाना चाहिये था और अंग्रेजी शराब के ऊपर पहले लगाना जाना चाहिए था। उसकी तरफ मैं सरकार की तवज्जोह दिलाना चाहता हूँ। इसके अलावा में एक सुझाव और देना चाहता हूँ, वह यह है कि जो शराब के ठेके का सिस्टम है इसको अनुभव करते हुए, सरकार के कन्सीडरेशन में भी जो प्रश्न है इसको हटा कर इसकी इनकम एक्साइज़ की तरफ दी जानी चाहिये। मैं निवेदन करता हूँ कि इस ठेके के सिस्टम को हटा कर एक्साइज़ में ही इसकी सारी आमदनी जाये तो सरकार को ज्यादा पैसा मिल सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सिस्टम को खत्म करके सरकार एक्साइज़ ड्यूटी को ठीक करने की कोशिश करेगी तो इनकम में घाटा नहीं हो सकता। इस प्रथा को खत्म किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को शुद्ध चीज मिले। अशुद्ध चीज मिलने से लोगों का नैतिक पतन भी होता है। इतना कहते हुए आज वित्त मन्त्री महोदय ने जिस परिस्थिति में बजट पेश किया है वह स्वागत योग्य है और जिन बातों की

Page No.20

(श्री अमृतलाल यादव)

तरफ मैंने ध्यान दिलाया है, आशा है, उनकी तरफ सरकार पूरा ध्यान देगी।

श्री अध्यक्ष : श्री घासीराम यादव।

श्री घासीराम यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, दो-तीन दिन से जो बहस चल रही है उससे जाहिर हो गया है कि सदन के दोनों तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्यों की यह राय है कि जो टैक्स लगाये जा रहे हैं वे गरीबों के ऊपर टैक्स लगाये जा रहे हैं और वे इसे पसंद नहीं करते हैं। यह ठीक है कि सरकार ने मजबूरी में यह टैक्स लगाये हैं क्योंकि सरकार प्लान्स को पूरा करना चाहती है। लेकिन यह बात भी सही है कि जिन लोगों के ऊपर टैक्स लगाया गया है वे लोग गरीब हैं। जो बहुत से टैक्स लगे हैं; जैसे पैसेन्जर टैक्स लगाया है, तिलहन के ऊपर लगाया है, जानवरों की बिक्री पर लगाया है, बिजली की दर पर लगाया है, चांदी के जेवरों पर टैक्स लगाया है, ये सब टैक्स गरीबों पर लगे हैं; और इस सदन में इस तरफ और उस तरफ बैठने वाले दोनों ही तरफ के माननीय सदस्य यह पसन्द करते हैं कि ये टैक्स नहीं लगें और इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस पर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए और इसके लिए आमदनी का कोई और तरीका सोचना चाहिए।

हमारे यहां की ट्रेज़री बैन्चेज़ की तरफ से यह बात आती है कि अगर ये टैक्स नहीं लगेंगे तो कौन से लगेंगे? मैं इस बात को सोचता हूं कि यह ज्यादातर जिम्मेदारी ट्रेज़री बैन्चेज़ की है कि कौनसा टैक्स लगाया जाये। वह अमीर आदमियों पर कोई भी टैक्स लगायें, दस गुना, बीस गुना लगायें; लेकिन गरीब आदमियों के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स का बोझ न पड़े, इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। हम लोग ऐसे इलाके से आते हैं जहां पहले ही लोगों पर काफी टैक्सेज़ हैं और वहां के लोगों की भावना मैं सरकार को बताता हूं। हमारी सरकार के पास बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं; सेक्रेटरी हैं, रिपोर्ट्स हैं और सब तरह के आंकड़े हैं। उनको देखकर सरकार टैक्स लगाये कि किस चीज पर टैक्स लगायें जिससे कि गरीबों पर बोझ न पड़े। हम उसको पसन्द करेंगे कि जो अमीर आदमियों के ऊपर टैक्स होगा और गरीबों के ऊपर टैक्स लगाना हम पसन्द नहीं करेंगे।

मैं अध्यक्ष महोदय, ऐसे इलाके से आता हूं जो पंजाब से बिल्कुल लगा हुआ है और हम किसी भी टैक्स को कम या ज्यादा तभी मानते हैं जब कि हम उसको किसी के कम्पेरिज़न में देखते हैं। हम यह देखते हैं कि राजस्थान में क्या क्या टैक्स और क्या क्या सुविधायें हैं और पंजाब में क्या क्या हैं और उनको कम्पेयर करते हैं तभी हम मानते हैं कि कहां टैक्स कम हैं और कहां ज्यादा हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं जिस इलाके से आता हूं उस इलाके की जमीन पर लैण्ड रेवेन्यू पंजाब से तीन गुनी है और नीमराना में हमारे यहां से भी दुगुना लैण्ड रेवेन्यू है; जब कि हमारे यहां की जमीन और पंजाब की जमीन साथ साथ लगी है। यों हमारा खेत है और यों पंजाब वालों का खेत है। पंजाब में लैण्ड रेवेन्यू ४ आना बीघा है और हमारे यहां बहरोड़ में १२ आना बीघा है और हमारे पास ही एक नीमराना स्थान है वहां पर

(श्री घासीराम यादव)

यही लैण्ड रेवेन्यू १।। रुपया है। मैं चाहता हूं कि हमारे राजस्व मन्त्री जो मुख्य मन्त्री भी हैं इसको जरा ठीक करें। आखिर हम जो राजस्थान में रह रहे हैं उनको तीन गुना लैण्ड रेवेन्यू क्यों देना पड़े ? हमारा क्या कुसूर है; केवल यह कि हम राजस्थान में रह रहे हैं ? हमारे लोगों की मांग है कि जब हमारी मार्केट वेल्यू बराबर है, दोनों जमीनें पास पास लगी हैं तो हम तिगुना लगान क्यों दें ? नीमराना में आज दस साल हो गए वहां पर हम लोगों से भी दुगुना लैण्ड रेवेन्यू वसूल किया जा रहा है। उनकी मांग है कि पंजाब में जो लोग रह रहे हैं, बिल्कुल उनके पास ही, उनके यहां सड़कें हैं, नहरें हैं, बिजली है और हमारे यहां राजस्थान में इनकी किसी प्रकार की सुविधा नहीं है फिर भी हमारे लोगों पर टैक्स बढ़ता जा रहा है। मैं कहूंगा कि जैसे आपने पैसेंजर टैक्स लगाया है हमारे यहां राजस्थान में ८ पाई प्रति मील लेते हैं, परन्तु पंजाब में ६ पाई प्रति मील लेते हैं। उनकी गाड़ियां किराया कम लेती हैं और हमारे यहां की गाड़ियां ज्यादा पैसा लेती हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि जयपुर से अलवर जो पंजाब की बस आती है वह ३ रुपया और कुछ आना लेती हैं और हमारे यहां राजस्थान की जो बसेज़ हैं वह ४ रुपया और कुछ आना लेती हैं। लोगों का कहना यह है कि हम राजस्थान की बसेज़ में बैठते हैं तो हमारा ज्यादा पैसा लगता है और ज्यादा किराया देते हैं। वही आदमी राजस्थान की बस से आयेगा तो ज्यादा किराया देना पड़ेगा और पंजाब से आयेगा तो कम किराया देना पड़ेगा।

इसके अलावा मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान सड़कों की ओर भी आकर्षित करूंगा। हमारे यहां जाने से मालूम होगा कि राजस्थान की सड़कों की हालत कितनी खराब है और पंजाब की सड़कें कितनी अच्छी हैं। हमारे यहाँ की सड़कों की न तो कोई तवज्जोह है, न उन पर सीमेन्ट होती है और न टार होती है। पंजाब की सड़कें बहुत अच्छी हैं। जहां पर दोनों सड़कें मिलती हैं लोग साफ कहते हैं कि यह पंजाब है और यह राजस्थान है। इसके अलावा पंजाब ने ४ इन्टर स्टेट रोड्स बना कर रखी हैं और हमारे यहां जो सड़कें बनी हैं तो कोई ३ मील का टुकड़ा बाकी है, कोई १ मील का और कोई २ फर्लांग का टुकड़ा बाकी है। अगर इन सड़कों से अपने यहां की सड़कें मिला दी जायें तो रास्ते मिल सकते हैं। शायद सरकार यह सोचे कि हम इसका सुझाव दें तो हो सकता है, हो सकता है वह ध्यान दे। लेकिन यह कोई एडमिनिस्ट्रेशन की एफीशियेन्सी थोड़े ही है कि हम यहां पर कहें, तब ही आप कोई काम करें। यह जो कुछ टुकड़े बिना बने हुए पड़े हैं. तो इसके कारण सड़कें बन्द हैं; पंजाब वाले कहते हैं कि हमने तो बना दी। मैं कहता हूं कि इस तरह की इन्टर स्टेट रोड्स ६ हैं और उनको पंजाब ने बना कर छोड़ रखा है। कोई २ फर्लांग का टुकड़ा है, कोई ३ का और कोई ४ फर्लांग का टुकड़ा है। फिर आपने पैसेंजर टैक्स भी बढ़ा दिया। यह ठीक है कि यह पैसेंजर टैक्स पंजाब से ज्यादा नहीं है लेकिन हमारे यहां का किराया ज्यादा है। इस पर लोगों का ध्यान नहीं है कि हम कितना पैसेंजर टैक्स देते हैं। लेकिन वह ध्यान तो इस बात की

Page No.22

(श्री घासीराम यादव)

और देते हैं कि हमें कितना किराया कुल मिला कर पे करना होता है। हमें किराया कम करना चाहिए और प्रोपर नेशनलाइज़ेशन करना चाहिए ।

(१२ मध्यान्ह)

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जानवरों पर टैक्स लगाया है। यह किसी की समझ में नहीं आता कि क्यों लगाया गया है। जानवर किसान लोग पालते हैं, बड़ा करते हैं और बेचते हैं तो सरकार को टैक्स लगाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता और इसको कतई खत्म कर देना चाहिए।

इसके अलावा तिलहन पर टैक्स लगाया है, सरसों पर टैक्स लगाया है। अलवर जिले में सरसों बहुत ज्यादा होती है। सरसों के जरिये वहां के लोग मकान बनाते हैं, शादियां करते हैं। तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। वहां के लोग कहते हैं कि पड़ौसी स्टेट में, पंजाब में टैक्स नहीं है तो क्या हमारा यही कुसूर है कि हम राजस्थान में रहते हैं। हम राजस्थान में रहते है तो न तो बिजली आती है, न सड़क अच्छी बनती है और हमारी लैण्ड रेवेन्यू भी ज्यादा है। वे लोग कहते हैं कि अगर उधर रहें तो टैक्स नहीं देना पड़े।

दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी इस तरह के आंकड़े दिया करते हैं जिलावाइज़ कितना पैसा खर्च हुआ है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हमारे अलवर जिले में इन दस सालों में फर्स्ट फाइव इयर प्लान में और सैकण्ड फाइव इयर प्लान में कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ है। ठीक है कि आप टैक्स लेते हैं तो उस टैक्स का उपयोग सब राजस्थान में बराबर होना चाहिए। कुछ ऐसे जिले हैं कि जहां बिजली नहीं आ सकती, नहर नहीं आ सकती तो और काम हो सकते हैं। तो उनका ध्यान रखें। एक मध्यम इर्रिगेशन वर्क हमारे यहां पहली पंचवर्षीय योजना में मन्जूर हुआ था, लेकिन वह अब तक पड़ा हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है, कोई शुरूआत नहीं हुई है। पता नहीं कब सरकार शुरू करेगी, शुरू करेगी भी या नहीं करेगी। छोटे माइनर इर्रिगेशन वर्क्स तो चालू कर सकते हैं। इसके अलावा मैं पंजाब की बात कहता हूँ कि वहां पड़ौस के इलाके में ट्यूब वैल्स की स्कीम चल रही है; जहां पर नहर नहीं पहुंच सकती हो तो वहां पर ट्यूब वैल्स लगाने चाहिये। वे वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर सक्सेसफुल हुए हैं। हमारे इलाके में भी जहां जमीन अच्छी है ट्यूब वैल्स सक्सेसफुल हो सकते हैं, वहां के लोग देखते हैं कि ट्यूब वैल्स भी नहीं हैं, बिजली भी नहीं है तो हम लोगों को वहां समझाना मुश्किल हो जाता है कि टैक्स इसलिए लगा रहे हैं कि आपके यहां बिजली लगायेंगे, आपके यहां नहर आयेगी, आपके यहां ट्यूब वैल्स होंगे। जब वहां नहर नहीं आ सकती तो ट्यूब वैल्स चालू करने चाहिए। १६ मील के एरिया में भांखरा की बिजली सरकार ने सेन्क्शन की है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह जल्दी आ जाय।

एक बात मैं और अर्ज कर रहा था कि मान लें कि हमको १२८ लाख का घाटा पूरा

(श्री घासीराम यादव)

करना है तो इसका एक तरीका तो यह है कि टैक्स ज्यादा लगाये जायं और एक तरीका यह है कि आमदनी को बढ़ायें और खर्च कम करें। आमदनी बढ़ाने के बारे में मैं सुझाव देता हूँ कि अलवर से ४-५ रास्ते दिल्ली जाने के लिए हैं उनको चालू किया जाय जिससे कई लाख रुपयों की आमदनी होगी। उससे जनता भी खुश होगी और लोग दिल्ली आराम से पहुंचेंगे, कम टाइम और कम किराये से पहुंचेंगे और इससे आपको कई लाख की आमदनी होगी। अभी तक दिल्ली से अलवर एक तरफ से गाड़ियां जाती हैं। अगर तिजारा होकर ले जाई जायं, कोटपुतली होकर दिल्ली ले जायं तो कई लाख रुपयों की आमदनी होगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेन्ट का, तहसीलों का, उसमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार की आज जरूरत महसूस नहीं होती। यह हो सकता है कि सरकार यह सोचे कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार को हटाने से काम कैसे चलेगा तो विकास अधिकारी वहां रहता है उसके पास कोई विशेष काम नहीं होता है और तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पास काम सिर्फ लैण्ड रेकॉर्ड्स का ही इन्स-पेक्शन होता है। उसके इन्सपेक्शन के लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों की जरूरत नहीं है। कम से कम एक पोस्ट कम कर देनी चाहिए। विकास अधिकारी लैण्ड रेकॉर्ड्स का इन्सपेक्शन कर सकता है। वह ओवर वर्क्ड नहीं है। फिजूल यह महकमा चलाया जा रहा है। इससे फायदा नहीं है। यह क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो टैक्स लगाये हैं उन्हें हटाना चाहिए। सब लोगों की यह भावना है।

श्री अमरसिंह (दूदू): माननीय अध्यक्ष, सन् ६२-६३ के आंकड़े वित्त मंत्री महोदय ने पेश किये। उनके ऊपर कल सभी पार्टियों की ओर से विचार हुआ है। उन्होंने यह आंकड़े रखते हुए यह बात रखी थी कि प्रशासनिक खर्चे के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत पैसा चाहिए, इसलिए टैक्स वगैरह लगाये गये हैं और बजट हम रख रहे हैं।

वैसे तो सभी लोगों के भाषणों को सुनने से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ज्यादातर लोग यह कहना चाहते हैं कि प्रशासन और मिनिस्टरों के खर्चे बहुत ज्यादा हैं; उनके भत्ते और कारों पर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। पुलिस महकमे में भी कई ऑफिसर्स हैं, सब-इन्सपेक्टर्स हैं, इन्सपेक्टर्स हैं, उनके ऊपर डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं, फिर सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं और फिर इन्सपेक्टर जनरल; इस प्रकार से बने हुए हैं जिससे बहुत सा खर्चा हो रहा है। लेकिन इन चीजों को मैं दोहराना नहीं चाहता जिन पर कि पहले बहुत कुछ कहा जा चुका है। इसके अलावा मैं यह चीज़ भी नहीं दोहराना चाहता हूँ कि स्कीमों पर एक रुपये की जगह ५ रुपये खर्च हो रहे हैं और बहुत ही अपव्ययता बढ़ी हुई है।

मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि इस समय की जो सरकार है उस सरकार की जगह हम लोगों की या दूसरे लोगों की सरकार बने तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि हम लोग

(श्री अमरसिंह)

सफल हो सकते हो ? कोई बुनियादी चीज़ ऐसी है इस समाज के ढांचे में है जिसको हटाये बिना किसी स्कीम की तरक्की करना, प्रशासन को सस्ता करना संभव हो सकता है ? इसके; अलावा बहुत गहराई में जाकर, अध्यक्ष महोदय, मैंने यह अनुभव किया है कि इस जमाने की शिक्षा का जो तरीका है वह बहुत खराब है; क्योंकि शिक्षा की तरक्की हुए बिना हम लोग अपनी जिम्मेवारी को समझ नहीं सकते और जब तक जिम्मेवारी को नहीं समझेंगे तब तक चाहे किसी भी पार्टी में रहें, चाहे कोई भी स्कीम बनायें वह पार नहीं पड़नेवाली है। मनुष्य योनी में जन्म लेने से मनुष्य और जानवर में फर्क नहीं होता है। अच्छा भोजन और रहने के लिए अच्छी जगह; यह तो जानवर भी चाहता है। लेकिन मनुष्य और जानवर में कोई विशेष फर्क है और वह फर्क है मनुष्य की नैतिकता, उसकी कार्यकुशलता; क्योंकि अगर हम यह नहीं जानते हैं तो करेंगे क्या ? ये चीजें जो हैं वे शिक्षा से मिलती हैं और शिक्षा मिलती है हमको या तो अपनी संस्कृति, सम्पर्क या जमाने की शिक्षा से। तो मैं समझता हूं कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा सम्पर्क है वह यूरोपीय सभ्यता और केवल भौतिकवाद से बहुत प्रभावित हो रहा है। हम लोग 'Eat, drink and be merry' के सिद्धान्त को अपनाकर अपना अपना पेट भरना चाहते हैं और यही कारण है कि हम लोग अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं; क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि उसको किस प्रकार से पूरा करना चाहिए। यह कमी है। इसके वास्ते हमको चाहिए कि ऐसे स्कूल जहां कि टेक्निकल शिक्षा दी जाय वे जगह जगह खोले जायं। इससे लोग लाभान्वित होंगे और शिक्षा की पूरी पद्धति को बदलना चाहिए; क्योंकि शिक्षा से नैतिकता बहुत बढ़ सकती है। कार्य-क्षमता और कुशलता को बढ़ा सकते हैं, वैसी शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा। हमें अच्छे अध्यापकों का चयन भी करना पड़ेगा; क्योंकि अच्छे अध्यापक नहीं होंगे तो शिक्षा ठीक ढंग से नहीं चल सकेगी। अध्यापकों की हालत आज कल यह है कि १८ या २० साल के लड़के छठी या आठवीं पास करते ही गांव में पहुँच जाते हैं। वे बेचारे क्या जानें ? उनका क्या तजुर्बा है ? इसलिए उनका चयन होते समय उनकी योग्यता तो देखी ही जानी चाहिए, नैतिक स्तर भी देखा जाना चाहिए और उम्र भी देखी जानी चाहिए; क्योंकि उम्र ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे तजुर्बा देती है।

इसके अलावा हमारे शिक्षक ठीक तरह से काम कर सकें, इसलिए उनको सब तरह के सुभीतों के अलावा उनको तनख्वाह पूरी होनी चाहिए और रहन-सहन के लिए मेडिकल फेसिलिटीज़ वगैरह उनको दी जानी चाहिए और राजनैतिक आधार पर उनके ट्रान्सफर वगैरह नहीं किये जायं। और यह पंचायत समितियों के अन्दर उन लोगों को दिया गया है प्राइमरी स्कूलों को तो यह बहुत गलत है; क्योंकि वे लोग राजनैतिक स्वार्थ-साधनों को पूरा करने के वास्ते इधर-उधर ट्रान्सफर करते हैं। इस प्रकार से उनके मन और मस्तिष्क में विकृतता आती है। इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस चीज़ को मैं मूलभूत मानता हूँ कि शिक्षा पर जोर दिया जाय। मास्टरों

(श्री अमरसिंह)

का अगर अच्छा चयन करेंगे तब जाकर इस काबिल होंगे हम लोग कि अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उनको पूरा कर सकें।

अब इसके संबंध में, स्कूलों के बारे में और प्रशासन के बारे में मैं नहीं दोहरा करसिर्फ एक स्कीम के बारे में अपनी राय आपके सामने रखूंगा कि किस प्रकार के गलत तरीके अपनाये गये हैं।

विकेन्द्रीकरण योजना जो कि लोक कल्याण के लिये बहुत अच्छी समझी जाती है उसका हम लोग भी स्वागत करते हैं। यह कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन इसको केरी-आउट करने की तरफ ध्यान दें। तो किस तरह दो साल पहले पंचायतें बनाई गई थीं उनका ढांचा चुनाव नजदीक आने के समय बदलदिया गया और छोटी छोटी पंचायतें बना दी गई? इसमें शायद यह मकसद होगा कि छोटे छोटे नेताओं को ये मिल सकें। इसका मतलब यह हुआ कि प्रशासनिक खर्चा बढ़ गया। एक की जगह अब तीन-तीन सेक्रेटरीज़, क्लर्क वगैरह रखने पड़े। पहले एक जगह खर्चा होता था, अब तीन जगह होने लगा है और आमदनी एक जगह इकट्ठी होती थी अब वह तीन हिस्सों में बंट गई और आर्थिक समस्या और भी विकट हो गई।

इसके बाद दूसरी दिक्कत छोटी पंचायतों से यह हो गई कि न्याय पंचायतें अलग बन गई। जो न्याय पहले नजदीक मिलता था वह अब दूर चला गया और सस्ता न्याय अब मंहगा हो गया, खर्चा और बढ़ गया। पहले पब्लिक को जो सस्ता न्याय मिलता था वह महंगा हो गया क्योंकि अब दूर जाना पड़ता है। पंचायत समितियों और न्याय पंचायतों के बनने से प्रशासनिक समस्याएं तो बढ़ गई लेकिन न्याय बहुमत के हाथ में चला गया। बहुमत के हाथ में न्याय जाने का मतलब क्या हो सकता है? अपनी पार्टी के आदमियों को जिताने की तरफ ध्यान होता है और वह न्याय भी ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो शिक्षित नहीं हैं, जिनका शिक्षा का कोई स्तर नहीं है। वे लोग न्याय करने बैठें तो बतलाइये क्या न्याय हो सकता है? इसलिये मैं पंचायत समितियों की योजना के बारे में अर्ज कर रहा हूँ। इस सम्बन्ध में एक गड़बड़ यह और हो गई और वह यह कि पंचायत समितियों के बनने से पंचायत समितियों का टैक्स अलग और ग्राम पंचायतों का टैक्स अलग लगने लग गया। डब्ल टैक्स पब्लिक पर लग गया। यह और भी अधिक मुश्किल हो गया। इसके अलावा एक खास बात यह हो गई कि पार्टी के लोग पंच या सरपंच बनते हैं और जो लोग योग्य हैं, ईमानदार हैं उनके लिये विकास कार्यों में योग देने का या पंच बनने का मौका नहीं रहता है। क्योंकि जो लोग ज्यादा चालाक होते हैं, हिसाब-किताब में धूर्तता से सरकार की रकम ले जाते हैं, दो हजार ले जाते हैं, और चार हजार का हिसाब बनाते हैं उनको मौका मिलता है। लेकिन जो लोग ईमानदार हैं, जो पैसे का दुरूपयोग नहीं करते हैं, पब्लिक के सामने नहीं आते हैं........

एक माननीय सदस्य : कहीं आप भी ऐसा न करने लग जावें?

श्री अमरसिंह : आपका बोलने का मौका आवे तब बोलियेगा। अभी तो मैं बोल रहा हूं, उसे सुन लीजिये। नेता लोग पंचायतों के सरपंच बने हुए हैं........

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : अभी तो आप ही नेता हैं ।

श्री अमरसिंह : आप समझते होंगे, मैं तो नहीं समझता । जब मौका आता है चुनाव का तब उनमें २०-३० हजार रुपये निकाले हैं उनको वसूल करने की कार्यवाही नहीं की जाती है । मेरे पास मिसालें मौजूद हैं । लोग-बाग २५-२५ हजार रुपयों की गड़बड़ कर देते हैं, एन्टी करप्शन में मामला दिया जाता है, इन्क्वायरी की जाती है, लेकिन कुछ नहीं होता । इसके खिलाफ यदि कोई आदमी उनका नहीं आता है तो उसके खिलाफ गबन का मामला बनाया जाता है । मेरे पास इसकी भी मिसाल मौजूद है । पंचायत समिति मालपुरा के सरपंच रतनलाल थे । उनके हिसाब का ऑडिट कराया गया और एक रुपये के मामले में उनको सरपंच के पद से अलग किया गया । राजनैतिक हथकंडे इस तरह से किसी मकसद से किये जाते हैं । इस तरह की भावना जो लोगों में है वह जब तक हमारा नैतिक स्तर और शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा तब तक नहीं मिटेगी । मैं यही अर्ज कर रहा था ।

इसके अलावा पंचायत समितियों के बारे में एक बात और है जब कि मैं इन बातों को जानता हूं तो आपके सामने पूरी ही रख दूं । श्रम-दान के मामले में गांव वालों के साथ बराबरी का बर्ताव नहीं किया जाता है । जब शहरों में बड़ी बड़ी अस्पतालों की बिल्डिंग्ज़ हैं, अच्छी से अच्छी दवाइयां मिलती हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स की सर्विसेज उपलब्ध है, स्कूलें और कॉलेजेज़ हैं तो गांव वाले बेचारों के लिये इन चीजों को उपलब्ध कराने से पहले यह कहा जाता है कि स्कूल बनाना हो तो आधा पैसा जमा करावो, अस्पताल की बिल्डिंग बनानी है तो पैसा जमा करावो या श्रम-दान करो । ऐसा भेदभाव का बर्ताव पंचायत समितियों व गांव वालों के साथ क्यों रखा जाता है ? क्या इसलिये कि गांवों में थोड़े लोग रहते हैं और शहरों में ज्यादा लोग रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रचार कर सकते हैं इसलिये उनको अधिक सुविधाएं दी जाती हैं ? इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इन भेदभाव की भावनाओं को मिटाइये । और भी कई योजनाएं हैं जिनके बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा है मैं उनको दोहराना ठीक नहीं समझता ।

अब जो टैक्सेज़ लगाये हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं कि उनका असर पब्लिक पर क्या होने वाला है । सबसे पहले तो ओर्नामेन्ट्स पर जो टैक्स लगाया है उसका सभी ने विरोध किया है और कहा है कि इससे तो बार्स पर लगाते तो ज्यादा अच्छा होता । जहां तक मेरा ख्याल है ओर्नामेन्ट्स पर टैक्स लगाने का मतलब यह है कि इन्वेस्टमेन्ट ज्यादा करो और होर्डिंग हेबिट को कम करो । यदि बार्स पर टैक्स लगाते हैं तो कोमोडिटीज़ की प्राइस ज्यादा होगी । ओर्नामेन्ट्स पर टैक्स लगाने का असर मजदूरों पर नहीं पड़ेगा । जितना खर्चा लगेगा उसी के हिसाब से मुनाफा लेकर कीमत रखेंगे । इसका भार बनवाने वालों पर पड़ेगा, मजदूरों पर नहीं । इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ओर्नामेन्टस पर टैक्स लगाया ।

दूसरा टैक्स उन्होंने कॉटन या रूई पर लगाया है । इसका बुरा असर लोगों पर होगा; क्योंकि रूई गरीबों के काम में आने

(श्री अमरसिंह)

वाली चीज है। उनको ऊन या रेशम नहीं मिलता, इसलिये वे रूई पर ही अपना गुजर-बसर करते हैं। यह टैक्स सीधा गरीबों पर पड़ेगा। आपका समाजवाद का ढांचा यदि ऐसा है कि गरीबों पर टैक्स लगावें और अमीरों को टैक्स से बचावें तो बात दूसरी है। ऑइल सीड पर भी टैक्स लगाया है। अमीरों को मक्खन आदि मिलता है लेकिन गरीबों को तो तेल पर ही गुजर-बसर करना पड़ता है। इसलिये ऑइल सीड्स पर जो टैक्स लगाया गया है उसका असर उन पर ही पड़ने वाला है जिसको मैं वाजिब नहीं समझता।

दाल पर टैक्स लगाया है वह भी गरीबों पर पड़ेगा। गरीब का भोजन दाल और रोटी है, या यों समझ लीजिये प्याज, रोटी और दाल है। दाल पर आपने टैक्स लगा दिया है तो बचा क्या? सूखी रोटी और ठंडा पानी रह जाता है।

इसके अलावा एनिमल्स पर टैक्स लगाया है। यह गांव वालों के पेशे पर सीधा वार है; क्योंकि गांव वाले जो बिना भूमि के हैं वे जानवर पाल कर अपना गुजर करते हैं। यह सीधा झोंपड़ी पर वार है। यह आपके समाजवाद के समय में नहीं होना चाहिये।

देशी शराब पर भी आपने टैक्स लगाया है। इसके बारे में बहुत कुछ कहा-सुना गया है। मेरी राय में इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिये, क्योंकि अभी यहां के आदमी इस काबिल नहीं हैं कि वे शराब की आदत छोड़ दें। जो लोग जन्म से शराब पीते हैं, जिनके बाप, दादे, पीते आये हैं उन पर जब शिक्षा का असर होगा तभी शराब पीना छोड़ेंगे, नहीं तो पीना नहीं छोड़ेंगे, नाजायज़ शराब निकालेंगे। पहले से ही बहुत निकलती है और अब आपने और टैक्स लगाया तो अपनी आदत को पूरा करने के लिये देशी शराब छिप छिप कर निकालेंगे। इसलिये आप पहले उनके मन पर यह असर डालें कि यह खराब चीज है, नहीं पीनी चाहिये। इसके साथ ही साथ आपका इन्तजाम ऐसा हो कि उनको पकड़ सकें तभी जाकर लगावें। तो यह गरीब के पेट को छोटा बनाना है। अच्छा यह होता कि विलायती शराब पर टैक्स लगाया जाता।

इसके बाद जो टैक्स लगाये गये हैं, इसमें जो मोटर टैक्स लगाया गया है यह बहुत बुरा है, क्योंकि जिन लोगों के पास कार्स हैं, जिनके पास हवाई जहाज वगैरह हैं प्राइवेट, इस टैक्स का उन पर असर नहीं पड़ता है। बेचारा गरीब ही इधर से उधर मोटर में जाता है, उसको यह टैक्स चुकाना पड़ेगा। अतः इसे मैं गैर वाजिब समझता हूं।

यह मनोरंजन टैक्स है। यह बहुत बुरी चीज है, क्योंकि जो भी दुनिया में कमाते हैं, स्कीम्स बनाते हैं वे इसलिए ही कि थोड़ा बहुत मनोरंजन कर लिया जाय। इस प्रकार का कर लगा दिया गया, इसका मतलब यह है कि सब लोग शोक करें; जो गांव के आदमी हैं, वे रंज करें, दुःख करें और वह जो मनोरंजन करता है उसको बन्द करके दुःखी बनाया जाय! अतः पॉलिसी की दृष्टि से देखा जाय तो यह टैक्स नहीं होना चाहिए। राज-

(श्री अमरसिंह)

स्थान के आदमी गरीब हैं, उन्हें पहले ही काम से फुर्सत नहीं है। अतः जो मनोरंजन टैक्स को लगाया गया है इस पर दुबारा विचार करें।

बिजली पर जो टैक्स लगाया है जो कमाते हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, वे यह कर दे भी देते हैं लेकिन यह कर जिन पर लगाया है, जो कन्ज़्यूमर हैं, यह कर उन बेचारों पर जाकर पड़ेगा। उनकी हालत को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है और उनपर यह टैक्स लगा दिया गया है। अतः यह टैक्स हटना चाहिए।

अतः मेरा यह अर्ज करना है कि हमारे जो माननीय वित्त मन्त्रीजी हैं, उन्होंने यह बजट बहुत जल्दी और बहुत हेस्टिली तैयार किया है। यह बात सही है कि यह बहुत जल्दी में तैयार किया है। इसलिए इस पर पुनः विचार करें और इन टैक्सों को हटाने की कृपा करें।

अब वह सवाल आता है कि टैक्स कम करते हैं तो सरकार की आमदनी कम होगी। इसके बारे में आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे साथियों ने कई सुझाव दिये हैं, जिनमें एक खनिज उद्योग के बारे में भी दिया है। हमारे राजस्थान की जमीन में ऐसे बहु-मूल्य जवाहरात और मूल्यवान चीजें हैं जिनकी सर्वे करने पर और उनको निकालने पर बहुत सारी कमी पूरी हो जायेगी। अगर आप समझते हैं कि इसमें प्रोफिट नहीं है और इसको अपनाने में बहुत समय लगेगा तो ऐसी हालत में मैं यह अर्ज करूंगा कि आपके पास पैसे को बढ़ाने के तरीके हैं। जिनसे बहुत बचत होती है उससे पैसा पैदाकिया जाय और वह है-खेती और पशु-पालन। मैं खेती के मामले में अर्ज करना चाहता हूँ कि ऐसी जगह हैं, जो बहुत ऊंची हैं। जैसे जयपुरमें दो तीन कॉन्स्टीट्यूएन्सीज़ पड़ी हैं, जैसे मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी है, फुलेरा है, फागी है, वहां नहर नहीं पहुंच सकती है। इसलिए वहां लिफ्ट सिस्टम से नहर पहुंचाई जाय और जमीन को उपजाऊ बनाया जाय। जमीन को उपजाऊ बनाकर पैसा सरकार ले सकती है। दूसरा जो तरीका है, यह सम्भव नहीं है कि ट्यूब वैल्स बनायेजायं। इसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करे और जब पानी हो जाता है तो लोगों से किश्त के रूप में अदा करा लिया जाय, नहीं तो सरकार अपने ऊपर रिस्क ले ले। अगर पानी नहीं होता है तो गवर्नमेंट इस तरह तरक्की कर सकती है, इससे रेवेन्यू की आमदनी और बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को बैंकिंग फेसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। बैंक की फेसिलिटी न होने से जब खलिहान का टाइम आता है, जब कि किसान को पैसा चुकाना पड़ता है तो वह सस्ते भाव में बाजार में जाकर अपनी चीज को बेच देता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था हो कि पंचायत समिति या तहसील हैड क्वार्टर पर ऐसा बैंक हो, जहां से किसानों को लो इन्टरेस्ट रेट पर पैसा मिल जाय अनाज वगैरह गिरवी रख कर तो यह होगा कि रेट ऑफ इन्टरेस्ट से गवर्नमेंट को आमदनी हो जायेगी और उन लोगों को भी सुभीता होगा और उनकी गाढ़ी कमाई का जो धन है वह भी बेकार नहीं जायेगा। तो मेरा यह सुझाव है कि ऐसे बैंक खोले जायं।

इसके बाद पशु-पालन आता है। इसकी हालत बहुत खराब है। विशेष बात यह है कि

(श्री अमरसिंह)

स्कीम्स चलाई जा रही हैं; यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं लेकिन उससे पहले ही पशु-पालन की हालत खराब हो जायेगी, क्योंकि जमीन जहां गांवों में नमकीन है, उस जमीन को निकाल दिया गया है और ढोर बेचारे भूखे इधर से उधर फिरा करते हैं। लेकिन उनके लिए खाने को चारा नहीं है क्योंकि इस धन्धे को चलाने के लिए लोगों के पास जमीन नहीं है। आज यह कायदा है कि जो जोतने वाला है उसको आज जमीन दे दी जाती है। लेकिन अलॉटमेंट के रूल्स में ऐसी चीज नहीं रखी है कि ग्रेजिंग के वास्ते जमीन बना कर उनको दे दी जाय। यह प्रावधान रूल्स में होना चाहिए कि ग्रेजिंग के वास्ते अलाट-मेंट हो। एक बात अलॉटमेंट के सिलसिले में यह अर्ज करनी है कि ऐसे लोग हैं जो जो दूसरा पेशा करने वाले हैं-नाई, कुम्हार, खाती वगैरह। इन लोगों को भी जमीन दे दी जाती है। मेरा अर्ज करना यह है कि उन लोगों को तो अपने धन्धे में तरक्की करने की मदद दी जाय, उनको कुछ सहायता दे दी जाय, उनके लिए ट्रेनिंग सेन्टर्स खोल दिये जायं जिससे वे वहां ट्रेनिंग ले सकें। तो जो लोग खेती नहीं कर सकते उनको जमीन देना बेकार है। इससे क्या होगा कि न तो वे अपने पेशे में नई चीज ला सकेंगे और न खेती कर सकेंगे। मैं इसका नतीजा देख रहा हूं कि किसानों को इससे उल्टी दिक्कत पड़ गई है। ये दूसरे लोग खेती करने लग गये हैं तो जब किसान हल वगैरह तैयार कराने जाते हैं तो वे मिलते नहीं, वे खेत पर होते हैं। इस तरह दोनों का नुकसान हो रहा है। इसलिए उनके पेशे में तरक्की के वास्ते मदद दी जाय और व जमीन ग्रेजिंग के वास्ते दे दी जाय।

ये सुझाव मैंने रखे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन पर मन्त्री महोदय ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष, वित्त मन्त्री महोदय ने सदन के सामने १२८ लाख रुपयों के घाटे का बजट पेश किया और इससे पहले भी सदन के समक्ष घाटे के बजट अमूमन पेश हुए हैं और जितने भी घाटे के बजट पूरे किये गये हैं वे इस राजस्थान की मेहनतकश जनता की जेब से पैसा छीन कर पूरे किये गये हैं। यह १२८ लाख रुपये का घाटा इस इलाके के, राजस्थान के गरीब की जेब से पैसा निकाल कर पूरा किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान के उन लाखों मेहनतकश लोगों के खिलाफ इस सरकार के उन आला ऑफिसरों की और मन्त्रिगणों की एक साजिश है, एक षडयन्त्र है उन्हें लूटने का, उनकी कमाई को, मेहनत के पैसे को उनकी जेब से निकालने का। आज जो टैक्स लगाये गये हैं उन पर थोड़ा गौर करें तो बड़ी अजीब-ओ-गरीब नक्शा हमारे सामने पेश होगा। बिजली की दर बढ़ाई गई। बिजली की दर बढ़ाने के सम्बन्ध में हम थोड़ा गौर करें तो यह बात सही है कि बिजली लोगों को रिया-यत पर दी जाय। राजस्थान में कल कारखानों के लिए और उद्योग धन्धों के लिए रियायत दी है, मगर राजस्थान सरकार का तरीका बड़ा अजीब है। इसका नजरिया हमारी समझ में नहीं आता है कि किस किस्म का है। राज-

(श्री श्योपतसिंह)

स्थान सरकार ने जो रियायतें दी हैं वे किसी बड़े उद्योग-धन्धों का ख्याल न करके, अमीर गरीबका ख्याल करके दी गई हैं। जितना बड़ा आदमी है उतनी सस्ती बिजली उसे दी जाय यह ख्याल नहीं किया गया है कि किसी उद्योग-धन्धे को देनी है या नहीं। इस गरीब किसान को भाखरा और चम्बल योजना के सम्पन्न होने पर आने वाली बिजली मिलेगी, तब मौका आयेगा कि किसान के घर में दिया जला सके लेकिन उन किसानों पर टैक्स लगा दिया है, घाटे को पूरा करने के लिए। जयपुर के कई उद्योग धन्धों को रियायती तौर पर बिजली दी है। यहां पर जयपुर में कोई मेटल इन्डस्ट्री है। उसको दो आना युनिट के हिसाब से बिजली देते हैं और रामनाथजी पोद्दार जिनको ६ पैसे युनिट की दर से बिजली मिल रही है। वे राजस्थान के माने हुए करोड़पति सेठ हैं। इनसे बड़े सेठ हैं बिड़ला, उनको आप ३ पैसे युनिट की दर से बिजली देते हैं। क्या इसी तरीके से हम समाजवाद को लाना चाहते हैं? जब हम कहते हैं कि गरीबों को ऊंचा उठाना है और अमीरों को थोड़ा नीचे लाना है तो क्या उसके लिये यही मिसाल है और इसी तरह से आप काम करके समाजवाद को लाना चाहते हैं? यह एक मिसाल मैंने आपके सामने रखी है कि जितना बड़ा सेठ उतनी ही बड़ी सहूलियतें बिजली में उनको दी जा रही हैं। अगर यह बात सही नहीं है तो माननीय मन्त्री जब अपना उत्तर दें तो सदन के सामने रखेंगे कि यह बात सही है या गलत।

इसके साथ २ अध्यक्ष महोदय, हमारे बड़े बुजुर्ग फाइनेन्स मिनिस्टर था बड़े अदब से, कुछ डरते हुए, घबराते हुए घाटे का बजट पेश किया और अपील की राजस्थान की पब्लिक को-उससे मांग की गई कि वे अपने पेट पर पट्टी बांध कर इस राजस्थान को आगे बढ़ावें, उन्होंने यह कहा कि पेट पर पट्टी बांध कर राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिये कार्य करें। यह बात सही है कि राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिये कोशिश की जावे, लेकिन हमारे वित्त मन्त्री और दूसरे मन्त्री महोदयों ने कहां तक इस पर अमल किया है, यह देखने की बात है। यह तो उस कहावत को चरितार्थ करती है कि पण्डितजी खुद तो बैंगन खाते हैं और दूसरों को कहते हैं कि तुम बैंगन मत खाओ। इसी तरह से हमारे मन्त्रीजी राजस्थान की पब्लिक से कहते हैं, पेट बांध कर राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिये काम करें और मन्त्री महोदयों ने अपने पेट की पट्टियां खोल दी हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को यह बताना चाहता हूं कि जैसे पब्लिक की तरफ वित्त मन्त्रीजी ने पेट पर पट्टी बांधने के लिये जो कहा है उसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार उन हजारों और लाखों लोगों के हाथ की रोटी भी छीन चुकी है। मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूँ कि राजस्थान की सरकार ने राज-स्थान के लाखों भूमिहीन किसानों के साथ क्या किया, भरतपुर के और दूसरी जगह के भूमिहीन किसानों के साथ क्या किया? जब भाखरा नहर आई तो लोग यह आशा लगाये हुए बैठे थे कि राजस्थान का इलाका हरा भरा लहराता हुआ दिखाई देगा और लोगों को भूमि मिलेगी, राहत मिलेगी। लेकिन इसमें

(श्री श्योपतसिंह)

जमीन किसको मिली ? लैन्डलेस लोग जिन्होंने जमीन के लिए दर्ख्वास्तें दीं उनको जमीनें नहीं मिली। मैं यह आपको मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूँ। समाजवाद की तरफ सरकार द्वारा जो कदम बढ़ाया जा रहा है उसकी तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। भाखरा में ६ साल पहले २१ हजार लैंडलेस किसानों ने भूमि के लिये एप्लीकेशन्स दी थीं, उसमें से केवल ३।। हजार भूमिहीन किसानों को जमीन देकर बाकी सारी जमीन नीलाम की गई। इससे वहां के भूमिहीन किसानों को जो थोड़ी बहुत उम्मीद बनी हुई थी कि हमारी औलाद को जमीन मिल जाने से रोटी मिलेगी वह भी जाती रही। यह सरकार ऐलान करती है कि हम राजस्थान की तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं कहूँगा कि उसने २१ हजार भूमिहीन किसानों में से १८ हजार भूमिहीन लोगों की रोटी छीन ली। लोगों को आशा थी कि समाजवाद लाने वाली सरकार उनको रोटी देगी और उनको जमीन देगी। लेकिन जिनके पास दो बीघा जमीन थी वे दो बीघा जमीन से अपना गुजर करते हैं और जिनके पास पांच बीघा जमीन थी वे उसी पर अपना हमारो गुजर करते हैं। इस प्रकार हमारी सरकार समाजवादी समाज में विश्वास रखती है !

हम चाहते हैं कि टैक्स लगाये जावें, मगर ठीक तरह से आमदनी की जावे और इस राजस्थान को आगे बढ़ाया जावे। लेकिन आज तक दो पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी जितने पैसे की सरकार को जरूरत थी उतना पैसा सरकार ने लोगों से टैक्स के रूप में ही वसूल किया। आज राजस्थान के किसान की आप हालत को देखें तो आपको मालूम होगा कि उनकी क्या हालत है। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं; भाखरा, गंगानगर और राजस्थान केनाल की हालत जो है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिसको दूसरे लोग और माननीय मंत्री महोदय राजस्थान का बहतरीन हिस्सा कहते हैं वहां के किसानों का कितने टैक्सेज़ देने पड़ते हैं, यह तो वे ही जानते हैं। उनसे वाटर रेट टैक्स, रेवेन्यू टैक्स, सरचार्ज, खुशहाली टैक्स, इसके साथ ही साथ पंचायत समिति के टैक्स भी देने पड़ते हैं। इसके लिये सरकार के पास एक बहुत बड़ा बहाना है कहने के लिये कि हमने जगह २ स्कूलें खोल दी, हॉस्पिटल्स खोल दिये और जगह जगह तरक्की हो रही है। मैं यह कहूँगा कि इसमें हिस्सा किसका है ? वहां के किसानों का जिनके पास पैसा है और जिन्होंने स्कूलों की बिल्डिंग बनाई है। सरकार उनसे कहती है कि अगर आप बिल्डिंग बना देंगे तो हम स्कूल और हॉस्पिटल खोल देंगे और वहां के लोग टैक्सों के अलावा चन्दा करके मकान बनाते है। वहां के किसान अपनी तरक्की करने के लिये, इस देश को आगे बढ़ाने के लिये सोचते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने और दवा-दारू के लिए अपने चन्दे लगा कर वसूल करते है और गांवों में हॉस्पिटल्स और स्कूलें बनाते हैं। इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं दी जाती है। मगर वही किसान अगर शहर में चला जाता है तो उसके सिर के बाल उतार लिये जाते हैं। उसको कहा जाता है कि सड़क पर तुम चलते रहे हो इसलिये तुमको सड़क का भी टैक्स देना होगा। सेल्स टैक्स, म्यूनिसिपिलिटी टैक्सज़ सारे टैक्सेज़ मजदूरों व किसानों से ही लिये जाते हैं और रियायत की जाती है उन लोगों के साथ जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं और

(श्री श्योपतसिंह)

कारों में फिरते हैं, जिनके पास सारे साधन उपलब्ध हैं, जिनका रुतबा बड़ा है।

माननीय अध्यक्ष, हम चाहते हैं कि राजस्थान की तरक्की हो तो इसके लिये बहुत साधन हैं। साधन बताये जा सकते हैं बशर्ते कि सरकार उनको काम में लाने की कोशिश करे, उनको महसूस करे। मैं आपको इसके बारे में दो-चार मिसालें पेश करके बताना चाहता हूँ कि हमारी राजस्थान सरकार किस तरह से लापरवाह है। १६६० से जो भाखरा क्षेत्र की लाखों बीघा जमीन पड़ी है वह जमीन न तो किसानों को दी गई और न नीलाम ही की गई। अगर वह जमीन जो लाखों बीघा पड़ी थी वह किसानों को देते तो किसान उस जमीन में खेती करते और अन्न-उत्पादन करते। लेकिन पिछले साल लाखों बीघा जमीन भाखरा में इस वजह से खाली पड़ी रही कि सरकार न तो उसको नीलाम कर सकी, न किसी किसान को दे सकी और इस कारण वहां पर अनाज भी पैदा नहीं हुआ। एक तरफ यह नारा लगाया जाता है कि 'अधिक अन्न पैदा करो', एक तरफ आबादी का डर, एक तरफ लाखों बीघा जमीन खाली पड़ी रहे और किसान जमीन के लिये घूमता फिरे! इस जमीन से न तो कोई पैसा वसूल हो और न किसान को इससे फायदा हो। उसके बच्चे भी भूखे मरें। आज यह हालत है कि लाखों बीघा जमीन पड़ी हुई है और उस जमीन से न तो सरकार को कोई पैसा मिला और न वह जमीन किसान को ही मिली। इसकी जांच की जावे और इसका जवाब दिया जावे।

इसके साथ साथ भाखरा क्षेत्र में वन लगाने की बात रखी है। वहां पर १० हजार एकड़ जमीन में फोरेस्ट लगाया जावेगा। मेरी समझ में यह नहीं आया। १६५५ में यह जमीन रिज़र्व की गई। आज करीब १० हजार बीघा जमीन है, उसमें आज तक जंगल नहीं लगाये हैं।

पहली बात वहां पर यह है कि आज जहां नहर आ गई है वहां आप देखेंगे तो आपको पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे। मेरा इससे मतलब यह है कि हर किसान के खेत में वृक्ष बहुत हैं। वहां पर वृक्ष लगते हैं। इसके लिये किसी ने उसको प्रोत्साहित नहीं किया। उसने अपने फायदे के लिये वृक्ष लगा रखे हैं। अगर राजस्थान सरकार की वृक्ष लगाने की मंशा थी तो नर्सरी लगा कर वहां के किसानों को दे सकते थे, उनको फेसिलिटी सरकार की तरफ से दी जा सकती थी। इस इलाके में आम किसान वृक्ष लगा सकता है। मगर जिस इलाके के किसान भूखे हैं, किसानों के पास जमीनें नहीं हैं, सरकार को पैसे की जरूरत है, सरकार इस कोशिश में है कि उसको पैसा मिले उस हालत में वहां जंगल लगना कहां तक ठीक है? ५-६ साल के अर्से में हजार, दो हजार बीघों में जंगलात लगाये गए हैं, बाकी सारी जमीन खाली पड़ी है। ५६-५७ की बात होगी। मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को दर्ख्वास्त दी थी, भूतपूर्व रेवेन्यू मिनिस्टर को कहा था और उनको राय दी थी कि जितनी जमीन में वृक्ष लगायें उतनी जमीन खाली रख लें, बाकी की जमीन उस इलाके के किसानों को कीमत पर, लगान पर दे देवें ताकि किसानों को काश्त करने के लिये जमीनें मिल सकें, सरकार को आमदनी मिल सके। अगर जांच की जाय तो वह दर्ख्वास्त भी मिल सकती है। पर हमारे

(श्री श्योपतसिंह)

एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, भूतपूर्व रेवेन्यू मिनिस्टर ने, जो समाजवाद की ओर लोगों को ले जाने का इतना ख्याल रखते हैं कि राजस्थान को इतना ऊंचा ले जाने वाले हैं उन्होंने दोनों ने उस पर कोई गौर नहीं किया और वे जमीनें आज भी खाली पड़ी हैं । २० मन फी बीघा पर फसल जिस जमीन पर होती है उस जमीन से सरकार ने एक सेर अनाज भी पैदा नहीं किया । लाखों रुपया उस जमीन पर फॉरेस्ट लगाने पर खर्च किया जा रहा है । मैं यह नहीं कहता कि जंगलात नहीं लगाये जायं । जंगलात लगाये जायं, पर मैं मुख्य मंत्री से कहूँगा कि हजारों बीघा जमीन नहरों के आस-पास खाली पड़ी है, लोगों को प्रोत्साहित कीजिये, मदद दीजिये उन लोगों को, नर्सरीज़ से वृक्ष दीजिये; फिर देखिये कि थोड़े ही दिनों में वृक्ष ही वृक्ष नजर आयेंगे । पर सरकार एक तरफ तो किसानों की जेबें नोचना चाहती है उनकी मेहनत और मसक्कत से की गई कमाई में से पैसा लेना चाहती है और दूसरी तरफ उनको जमीन नहीं देती, उन जमीनों को खाली पड़ी रखती है । अगर इस ओर सरकार द्वारा ध्यान दिया जाता तो आज जो स्थिति बजट की नजर आ रही है वह नजर नहीं आती ।

अब मैं थोड़ा सा गंगानगर शुगर मिल के सम्बन्ध में कहना चाहूँगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

१६४६ में यह मिल शेयर खरीद कर राजस्थान सरकार द्वारा ली गई । ५६ में १२ लाख का फायदा हुआ । मुख्य मंत्री महोदय से मैं चाहूँगा कि १६५६ के बाद उससे आज तक कितना फायदा हुआ, यह बताने की कोशिश करेंगे । आज इस बात पर गौर नहीं किया जाता है कि इस शुगर मिल से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाय । इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है । ध्यान है उस गरीब पर जो न बोल सकता है, न लड़ सकता है, जिसमें न ताकत है और न संगठन है । उस पर टैक्स लगायें, यह सरकार की पॉलिसी है । अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की गरीब जनता की हालत को यदि देखा जाय, जो कि यहां के मिनिस्टर महोदय सिर्फ चुनावों के समय में उनको हालत को देखते हैं, ८५ फी सदी किसान झोंपड़ियों में रह कर इन्सान होकर भी जानवरों की तरह अपनी जिंदगी बसर करते हैं । यह किसानों की हालत है । यहां का मजदूर १० घंटे श्रम करके भी आराम नहीं कर पाता । मजदूरों का शरीर पिंजर हो चुका है । उसमें खून नहीं रहा है । उसमें खून यदि लाना है, तब्दीली लानी है तो जितने भी दूसरे खर्चे हैं उनमें से जितना भी पैसा बचाया जा सके हमें बचा कर इन लोगों की हालत को सुधारने के लिये लगाना है ।

हम इस तरह की बातें करते हैं तो मंत्रीगण इस तरह से इशारे करते हैं, मखौल करते हैं और इन बातों को इस तरह लाइटली लेते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है । आज जितना पैसा उद्घाटनों में खर्च होता है उसको यदि रोक दिया जाय तो १२८ लाख का घाटा एक साल में नहीं तो २ साल में पूरा हो सकता है । एक केन्द्रीय मंत्री महोदय ने राजस्थान केनाल का उद्घाटन किया । बड़ा अजीब तमाशा नहर के उद्घाटन में हुआ है । मिट्टी खोद कर फावड़े से बाहर डाली जाती

(श्री श्योपतसिंह)

है। जो मंत्री महोदय उद्‌घाटन करने पधारे उनकी नस भी हिलती थी और हाथ भी हिलते थे।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : That is a reflection on a Central Minister and specially a Minister, who is no more in the world.

श्री श्योपतसिंह : मैं तो जो फैक्ट्स हैं, जो खर्चा किया जाता है उनसे सदन को अवगत कराना चाहता हूँ, मेरा किसी पर आक्षेप नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप खर्चे के बारे में कहिये। मंत्री महोदय पर व्यक्तिगत आक्षेप से क्या मतलब ? माननीय सदस्यों को ध्यान रखना चाहिये कि किस तरह की बात कर रहे हैं। आपका समय समाप्त हो गया है।

(विराम)

श्री हजारीलाल

श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष, राजस्थान सरकार का ६२-६३ का बजट मन्त्री महोदय ने सदन के सामने उपस्थित किया। उस बजट को मैं लीपापोती का बजट कहूंगा। इसके अन्दर जो प्रोविज़न्स रखे हैं उनमें हो सकता है कि दो-चार आइटम्स स्वागत करने लायक हों; जैसे बारदाना टैक्स, अखबारी कागज़ का टैक्स और थोड़ी रजिस्ट्रेशन में रियायत। यह कहा जा सकता है कि इन आइटम्स पर बजट का स्वागत किया जा सकता है पर इसके अलावा जो कुछ इसमें रखा गया है वह अजीबो-गरीब है।

टैक्सेज़ का असर किस पर पड़ता है, इस बात को मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ट्रेज़री बैंचेज़ ने और ऑपोज़िशन बैंचेज़ ने; दोनों ने पूरा जोर दिया है कि इन टैक्सेज़ का असर गरीबों पर ज्यादा पड़ता है जो वास्तव में नहीं होना चाहिये। दोनों ही पक्षों ने बजट पर काफी बहस की है, पर मुझे कतई संतोष नहीं हुआ कि इसमें जो बहुत इम्पोर्टेन्ट बात है, जो हमारे राष्ट्र के उत्थान में बहुत आवश्यक अंग है शिक्षा, उसको किसी ने टच नहीं किया है। एक ट्रेज़री बैंच की तरफ बैठने वाले श्री आचार्य ने जरूर कुछ सुझाव रखे थे; इसके अलावा मुझे कहीं कोई बात नजर नहीं आई जहां शिक्षा को डील किया हो।

मेरी मान्यता है कि जो कुछ गड़बड़ियां, अड़ंगेबाजी, खामियां नजर आती हैं उनका एक मात्र कारण यह है कि हमारा ध्यान शिक्षा की तरफ नहीं रहा है।

यदि हमारी जनता को वास्तविक शिक्षा प्राप्त होती तो मैं समझता हूं कि इतनी शिकायतें, इतनी दिक्कतें पैदा ही नहीं होती और आगे भी जब हम हमारे बजट के अन्दर इस बात का प्रोविज़न नहीं रखते हैं कि अच्छी शिक्षा किस प्रकार से प्राप्त हो तो मैं समझता हूं कि ये परेशानियां और दिक्कतें दूर नहीं होंगी। जितनी कमियां हमें नजर आ रही हैं, जितनी अनैतिक बातें हमें इस फ्लोर पर सुनने को मिलती हैं उसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा और संस्कृति अधूरी है। वास्तविक और सच्ची शिक्षा प्राप्त होने के बाद मैं समझता हूं, इन कमियों को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है।

शिक्षा का क्या स्तर है, क्या पोज़िशन

(श्री हजारीलाल शर्मा)

है हमारी शिक्षा की, यदि इस बात को गौर फरमाया जाय तो आपको दया आवेगी।

मेरे दाहिनी तरफ बैठने वाले मेरे पूर्व वक्ता ने शिक्षा के बारे में चर्चा शुरू की प्रेरित होकर मुझे बोलना पड़ रहा है। आप गौर कीजिये कि आज हमारी शिक्षा की किस प्रकार से दुर्गति हो रही है। आज पांचवीं और छठी क्लास में फेल हो जाने वाला विद्यार्थी इस बात की कोशिश करता है कि वह किसी प्रकार से भी, सही या गलत तरीके से हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ले और अध्यापक बन जाय। अध्यापक बनने के लिए यह साधन हमारी सरकार ने रखा है कि वह किसी प्रकार प्राइवेटली हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ले। उस हाई स्कूल एक्ज़ामिनेशन पास करने के लिए हमारी सरकार ने ऐसे स्कूल खोल रखे हैं जिसका हैड मास्टर दो रुपया लेकर सर्टिफिकेट दे देता है कि वह विद्यार्थी हाई स्कूल एक्ज़ामिनेशन में बैठ सकता है। आपको मालूम होगा कि पिछले वर्ष हाई स्कूल एक्ज़ामिनेशन के पर्चे आउट हो गये थे। उसमें कितना हायतोबा मचा था। कुछ को गिरफ्तार भी किया गया। उस सम्बन्ध में अब क्या किया जा रहा है; यह मुझे नहीं मालूम है लेकिन वह बीमारी दूर नहीं हुई है। वे ही हैड मास्टरजिन्होंने पिछले वर्ष सर्टिफिकेट दिये थे वे आज भी सर्टिफिकेट देने लायक रहे हैं और उन्होंने दिये हैं और विद्यार्थी हाई स्कूल परीक्षा में बैठे हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह से सरकारी स्कूलों के हैड मास्टर करते हैं तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कौनसा प्रयत्न किया है? यदि गवर्नमेन्ट चाहती तो इस प्रकार के हैड मास्टरों को आसानी से हटाया जा सकता था, उनको इस बात के लिए बाध्य किया जा सकता था कि वे इस प्रकार के सर्टिफिकेट इश्यू न करें। लेकिन ऐसा गवर्नमेन्ट ने नहीं किया। उसका मतलब यह है कि पिछले साल जो शोर मचा और यह इशारा किया था कि इसमें बड़े अधिकारी भी शामिल हैं तो उसमें अब मुझे सचाई मालूम पड़ती है। उस समय मैं महसूस करता था कि लोग बिना मतलब सरकारी अधिकारियों को घसीटना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर देख रहा हूं कि वे ही हैड मास्टर लड़कों को गलत सर्टिफिकेट इश्यू करने लायक रह गये हैं तो जरूर यह महसूस होता है कि इसमें बड़े अधिकारियों का भी हाथ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह स्पष्ट बतायें कि किसी अमुक अधिकारी ने या हैड मास्टर ने गलत सर्टिफिकेट्स इश्यू किये। दोहराने से मतलब नहीं है।

श्री हजारीलाल शर्मा : ऐसा लिख कर दिया जा चुका है सरकार को कि कुछ हैड मास्टर इस तरह सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। यह सरकार को मालूम है क्योंकि सर्टिफिकेट जहां जाते हैं दस्तखत होते हैं उन पर और मोहर स्कूल की लगती है। इससे आसानी से यह मालूम किया जा सकता है कि किस किस स्कूल के हैड मास्टर ने विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट दिये।

इस प्रकार से हाई स्कूल पास करके

Page No.36

(श्री हजारीलाल शर्मा)

एक विद्यार्थी अध्यापक बनना चाहता है। इस तरीके से पर्चे आउट कराके, आसान तरीके से इम्तिहान पास करके विद्यार्थी आते हैं। उनकी योग्यता क्या होगी; इसका आसानी से अन्दाज लगाया जा सकता है।

हाई स्कूल पास किया हुआ विद्यार्थी आठवीं क्लास तक पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड माना गया है और नवीं के लिए एटलीस्ट सैकन्ड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट। इस डेस्पेरिटी की ओर आप गौर कीजिये। आठवीं क्लास तक विद्यार्थी उस अध्यापक से पढ़ता है जो किसी न किसी तरह हाई स्कूल थर्ड डिविज़न में भी पास हो जाता है। नवीं क्लास में उसका अध्यापक सैकन्ड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट आता है। नवीं क्लास पढ़ाने वाला अध्यापक उन विद्यार्थियों के कारण अपना माथा ठोकता है क्योंकि आठवीं क्लास पढ़े हुए विद्यार्थी को कुछ भी ज्ञान नहीं है और उस अध्यापक की समझ में यह नहीं आता है कि उस विद्यार्थी को वह क्या पढ़ाये। आठवीं क्लास तक इम्तिहान पास करने में लड़के को दिक्कत नहीं होती। होम एजुकेशन है। जिस तरह के टीचर्स हैं तो उसी तरह के विद्यार्थी हैं और उनको आसानी से पास कर दिया जाता है। इस तरह की आज हमारी शिक्षा है। आगे जाकर कैसे विद्यार्थी होशियार निकलते हैं; यह आप अन्दाज लगा सकते हैं।

इसके अलावा एक प्रश्न यह उठता है कि अच्छे अध्यापक टीचिंग लाइन में क्यों नहीं आते हैं ? आपको ध्यान होगा कि यूरोपियन कन्ट्रीज़ में या तो लोग जाते हैं पुलिस में या एजुकेशन में, अच्छे व्यक्ति जाते हैं; हमारे यहां उल्टा है। पुलिस का सिपाही वही बनेगा जो रद्दी से रद्दी है और टीचर भी वही बनेगा जो रद्दी से रद्दी है। उसका कारण यह है कि टीचिंग में कोई एट्रैक्शन नहीं है; कोई आकर्षण नहीं है जिससे टीचर बन कर आदमी अपने को सच्चा नागरिक मान सके। अच्छे से अच्छे प्रोफेसर्स, कॉलेज के प्रिन्सिपल सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो क्लर्क उनको फालतू आदमी समझते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि उससे तब बात की जाय जब चाय पिलाई जाय। लेकिन एक पटवारी, एक गिरदावार या तहसीलदार जाता है तो उसकी आसानी से कद्र की जाती है। तो जब ऐसी स्थिति आज हमारे एक टीचर की है तो कैसे ख्याल कर सकते हैं कि एक अच्छा आदमी, शिक्षित आदमी टीचिंग लाइन में आये ? एक सुझाव पेश करता हूँ। जिस तरह से यह तय हो गया कि कोई आर० ए० एस० ऑफिसर, मजिस्ट्रेट या एस० डी० एम० बनने के पहले बी० डी० ओ० का काम जरूर करेगा उसी तरह से यह हो जाय कि आइ० ए० एस०, आर० ए० एस०, आर० पी० एस० ऑफिसर्स हैं वे रिटायर होने के पहले पांच वर्ष तक स्कूलों में काम करेंगे। उनकी उस वक्त तक बुद्धि परिपक्व हो जावेगी और काम करने की क्षमता भी उनकी रहेगी क्योंकि रिटायर होने में पांच-चार वर्ष का जो समय अभी बाकी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द):

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

खतरा पैदा हो जायेगा दूसरों को।

श्री हजारीलाल शर्मा : आपको तो नहीं हैं।

यदि इस प्रकार के प्रोविज़न सरकार रखें तो इससे काफी फायदा हो सकता है।

उसके अलावा शिक्षण संस्थाओं में स्टेप मदरली ट्रीटमेन्ट गवर्नमेंट करती है वह गौर करने की चीज है। आपने देखा कि हमारे बजट में इन्डस्ट्रीज़, माइनिंग, एग्रीकल्चर; सब को बिजली के माने में छूट दी गई है लेकिन शिक्षण संस्थाओं को उससे वंचित रखा है। इसका मतलब यह है कि शिक्षण संस्थाओं की ओर गौर नहीं है। हमारे शेखावाटी प्रान्त में, गंगानगर में, बीकानेर में बहुत सी प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं जिनकी वजह से बहुत से आदमी शिक्षित हो चुके हैं। इन संस्थाओं को इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है, सुविधाओं का प्रोविज़न उन संस्थाओं के लिए नहीं किया गया है। इससे मालूम होता है कि शिक्षा के लिए सरकार जागरुक नहीं है-उन शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार जागरूक नहीं है।

(१.० म० प०)

शिक्षण संस्थाओं में क्या हो रहा है? कितने स्कूल्स खोले जा रहे हैं, कितने स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं; इन सब बातों के आंकड़े इकट्ठे करने में सरकार किस प्रकार से काम करती है वह भी एक अजीब तमाशा है। मैंने ऐसी स्कूलें भी देखी हैं जहां साल भर तक कोई अध्यापक नहीं रहा और बराबर तनख्वाह लगती रही। ऐसे स्कूल्स भी हैं जिनके अन्दर तीन अध्यापक होने चाहिये लेकिन एक भी अध्यापक नहीं। इनके आंकड़े जब सरकार के पास आते हैं तो सही आंकड़े बन जाते हैं। आंकड़ों का कम्पेरिज़न भी किस प्रकार से किया जाता है, यह भी एक अजीब तमाशा है। मैं एक बार म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन था। उस वक्त 'Grow more trees' का कम्पेन चालू किया गया और सब तहसीलदारों को हुक्म हुआ था कि पेड़ ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगाये जांय। हमारी म्युनिसिपैलिटी ने पांच पेड़ लगाये, उनमें से तीन पेड़ बचे और दो मर गये। जब रिपोर्ट मांगी गई तो हमारे यहां से सही रिपोर्ट दे दी गई। उसके एक महीने बाद मीटिंग हुई। उसमें कलेक्टर महोदय फरमाते हैं कि यहां पर ऐसी भी म्युनिसिपैलिटी है जिसने सिर्फ पांच ही पेड़ लगाये उसमें से दो मर गये। मैंने उनको बताया ये आंकड़े सही हैं और आपके जो २००,३०० और ५०० के आंकड़े दिये गये हैं वे गलत हैं। मैंने कलेक्टर महोदय से कहा कि आप मेरे साथ चलिये और बताइये कि वे २००, ३०० और ५०० पेड़ कहां लगे हैं लेकिन वे मेरे इस चैलेंन्ज को स्वीकार नहीं कर सके।

एक माननीय सदस्य : कहीं कहीं तो एक भी पेड़ नहीं है।

श्री हजारीलाल शर्मा : मुझे ताज्जुब इस बात का है कि हमने, ३ पेड़ हैं और दो पेड़ मर गये, इस तरह से लिख कर भेजा और उसकी जगह २०० और ३०० ये आंकड़े कहां से आ गये! इसी प्रकार के आंकड़ों पर हमारी सरकार चलती है तो मुझे आप यह बतलाये कि उन आंकड़ों को किस प्रकार से सही माना जाय? मैं इसी तरह से समझता हूँ कि हमारे

(श्री हजारीलाल शर्मा)

जो बजट के आंकड़े हैं, बजट एस्टीमेटस हैं इसमें जो आंकड़े लिये गये हैं इसी तरह से कम्प्यूट किये गये हैं जो कतई सही मानने लायक नहीं हैं।

इसके अलावा एक बात और शिक्षा के संबंध में कहना था और वह यही थी कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से-युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की तरफ से ६० प्रतिशत एड शिक्षण संस्थाओं के डेवलपमेन्ट वर्क्स के लिये दी गई और अभी दो-तीन दिन पहले ऐसा मालूम हुआ कि उस ६० प्रतिशत में से हमारी सरकार ने ५० प्रतिशत करके उसमें से १० प्रतिशत का गोलमाल कर लिया। मुझे ताज्जुब होता है यह देख कर कि हमारी सरकार शिक्षण संस्थाओं को अपनी ओर से तो कुछ न करें और जो केन्द्रीय सरकार से अनुदान मिलता है उसमें से भी दस परसेंन्ट का घोटाला या गोलमाल कर दे! यह कहां तक बरदाश्त किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष: आप 'गोलमाल' 'घोटाला' इन शब्दों का प्रयोग न करें। आप तथ्य रखें कि किस प्रकार से ६० प्रतिशत से ५० प्रतिशत कर दिया ताकि मंत्री महोदय उसका उत्तर दे सकें।

श्री हजारीलाल शर्मा ; अध्यक्ष महोदय जहां तक मुझे मालूम हुआ है साठ प्रतिशत युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से जो ग्रान्ट मिली थी वह घटा कर पचास प्रतिशत कर दी है और उसमें से दस प्रतिशत सरकार ने अपने पास रख ली, यह कताई उचित नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिये। जहां ६० प्रतिशत ग्रान्ट युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से मिलती है वहां सरकार को उसमें ४० प्रतिशत ग्रान्ट अपनी ओर से देनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसके संबन्ध में मैं कुछ सुझाव सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। मेरा सुझाव यह है कि जो टेक्सेशन के सम्बन्ध में वित्त मन्त्री महोदय ने सुझाव दिये हैं १.२८ लाख का घाटा पूरा करने के लिये, उसके लिये जितने टैक्सेज़ लगाने की बात कही है उससे यह महसूस होता है यह टैक्स उन आदमियों पर लगने वाले हैं जिनकी आबादी राजस्थान में ६८ प्रतिशत है। इसके लिए सुझाव यह है कि आपने कपास, तिलहन पर टैक्स लगाया है, रॉ मेटीरियल जिनका ताल्लुक किसानों से रहता है उन पर टैक्स न ले करके इस प्रकार के टैक्स लगाये जाते जिससे थोड़े आदमियों पर टैक्स लगा करके ज्यादा रुपया वसूल कर सकते थे। मेरा सुझाव यह है कि कपास पर आपने टैक्स लगाया है उसका असर आम किसान पर पड़ेगा। इसके बजाय जो रूई निकलती है जिसको मालदार लोग खरीदते हैं; रूई पर यह टैक्स लगा दिया जाता तो काश्तकारों से वसूल न हो करके सेठ साहूकारों से वसूल होता जिनके पास पैसे की बहुतायत है।

इसी प्रकार दूसरा टैक्स है मोटर ट्रान्सपोर्ट टैक्स, जिसको पैसेन्जर टैक्स कहा जाता है। यह टैक्स ऐसा है जिसे आज भी ज्यादा कहा जा सकता है। थोड़े दिन पहले पैसेन्जर टैक्स

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

आपने लगाया था और दिन प्रतिदिन आप इस टैक्स को बढ़ाते जा रहे हैं। इससे यह महसूस होता है कि नेशनलाइज़ेशन की जो स्कीम राजस्थान सरकार की है उसके अनुसार दूसरी बेसेज़ की अपेक्षा यहां पर किराया ज्यादा वसूल किया जाता है। वैसी हालत होते हुए भी पैसेन्जर टैक्स और बढ़ा दिया गया। इससे राजस्थान गवर्नमेंट की बसेज़ को नेशनलाइज़ेशन करने की भावना है। इस प्रकार किराया बढ़ा देने से वह प्रोत्साहित नहीं होती; बल्कि निरूत्साहित करने का यह प्रयत्न है। पैसेन्जर टैक्स न लगा करके उसके बजाय प्राइवेट मोटर ओनर्स पर टैक्स लगा दिया जाता, जो वर्तमान में उन पर टैक्स है उसको बढ़ा दिया जाय तो इतना पैसा तो उनसे आसानी से वसूल किया जा सकता है।

इसी प्रकार जानवरों पर टैक्स लगाया है। यह दो दफा टैक्स हो गया। एक तो पंचायत व पंचायत समिति स्वयं वसूल करती है, दूसरा यहां सरकार फिर उस पर टैक्स वसूल करने लग जायेगी। इस तरह काश्तकारों को दो-दो दफा टैक्स देना पड़ेगा। जहां हम पशु-पालन को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहते हैं वहां इस प्रकार के टैक्सेज़ जानवरों पर लगा देते हैं! जिस उद्देश्य को लेकर हम चलते हैं जानवरों की नस्ल सुधार की जाय वे सारी योजनायें नाकामयाब रहेंगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि जानवरों पर भी इस प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिये।

इसके अलावा जो दूसरे टैक्सेज़ हैं उनके लिये मेरा सुझाव है कि शहरों के अन्दर या गांवों के अन्दर या बड़े बड़े कस्बों के अन्दर जिन लोगों के पास ज्यादा प्रोपर्टी है, जो किराये पर चलती है, जिनके पास जमीन-जायदाद ज्यादा है ऐसे लोगों पर कर लगाया जाय। इससे भी कुछ रुपया वसूल किया जा सकता है और हमारे घाटे की पूर्ति हो सकती है।

इसके साथ साथ कुछ माननीय सदस्यों ने फोरिन लीकर पर भी टैक्स लगाने का सुझाव दिया है। उस पर भी टैक्स लगना चाहिये। इसके अलावा वेजीटेबल ऑइल्स पर भी टैक्स बढ़ा दिया जाय। इससे जनता की तन्दुरूस्ती खराब होती है। ऐसी चीजों पर ज्यादा टैक्स लगायेंगे तो जहां आमदनी बढ़ेगी वहां तन्दुरूस्ती भी ठीक रहेगी; क्योंकि ज्यादा टैक्स देकर लोग वेजीटेबल ऑइल नहीं खायेंगे।

पैट्रोल और डीज़ल आइल पर पैसा, दो पैसा और टैक्स बढ़ा दिया जाता है तो इससे भी लाखों रुपयों की आमदनी हो सकती है।

कीमती खनिज हैं उन पर भी टैक्स बढ़ा दिया जाय तो कोई नुकसान नहीं होगा।

इस प्रकार के मेरे सुझाव हैं। अगर वित्त मन्त्रीजी इन पर कुछ ध्यान देंगे तो हमारे गरीब काश्तकारों को कुछ फायदा मिल सकता है।

दूसरा मेरा सुझाव है सेल्स टैक्स के बारे में। गांवों में छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको बार बार हिसाब-किताब देना पड़ता है। कभी इन्सपेक्टर तंग करता है तो कभी अफसर लोग। इससे परेशान हैं। उनका हिसाब-किताब पेश करने का तरीका सुगम बनाया जावे तो बहुत लोगों को इससे ज्यादा फायदा होगा।

इसी तरह फूड एडल्टरेशन एक्ट के मातहत

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

उनको लाइसेन्स लेना पड़ता है। वे मुश्किल से दिन भर में एक-दो रुपया कमाते हैं पर उनको भी साल में १२) रु० का लाइसेन्स लेना पड़ता है। छोटे दूकानदार के लिये यह एक अभिशाप बन गया है। दो-तीन साल से इसकी वसूली नहीं हुई और चुनाव के थोड़े पहले सेनीटरी इन्सपेक्टर उनके पास पहुंचे और फीस की वसूली की। तो यह दिक्कत की बात है, छोटे छोटे गांवों में यह टैक्स वसूल नहीं होना चाहिये।

चौथा मेरा अर्ज करना यह है कि कोआ-परेटिव फार्मिंग का विरोध इसलिये कुछ माननीय सदस्यों ने किया कि राजस्थान में पहले ज्यादातर बिचोलिया लोगों का तबका था जो स्वयं काश्त नहीं करते थे। उनको आज भी डर है कि यह कोऑपरेटिव फार्मिंग चलेगी तो जो उनके यहां हाली वगैरह रह कर काम करते हैं वे चले जावेंगे, वे सहकारी खेती में शामिल हो जावेंगे जिससे उनकी आमदनी पर असर पड़ेगा। इसलिये वे विरोध करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में हम जितना शीघ्र कदम उठा कर कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें उतना ही देश का और हमारे राज्य के गरीब किसान का भला है।

इर्रिगेशन में भी हमारे यहां पर बहुत से ऐसे बांध वगैरह बनाये जाते हैं जिनमें लाखों रुपया खर्च किया जाता है, पर इसका फायदा आस-पास के खेती करने वालों को न मिल कर दूर २ के लोगों को मिलता है। आगे से इस बात का ध्यान रखा जावे और इन्जीनियरों को यह आदेश दिया जावे कि जो कोई स्कीम वे आगे से बनावें तो यह भी ध्यान में रखें कि ऐसे बांधों आदि का लाभ आस-पास के लोगों को भी मिले। खास कर मैं अपनी तहसील आसीन्द में बांध खारी की बात कहता हूं। वहां बांध है, २७ मील से आगे तक उससे खेतों को पानी देने का प्रबन्ध है; जबकि हजारों बीघा जमीन इस २७ मील के एरिया में यों ही पड़ी है। बार बार विभाग को निवेदन किया जाता है कि पास में नहर बनाई जावे, पास की जमीन को पीवल बनाई जावे पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

इसी तरह माइनर इर्रिगेशन के सम्बन्ध में भी है। जब से जागीरें समाप्त होकर तालाब आदि सिंचाई विभाग के चार्ज में आये हैं उनका अभी तक सर्वे नहीं हो पाया, उनकी मरम्मत नहीं हुई, उन पर कोई खर्चा नहीं किया गया और उसकी तरफ किसी को तवज्जोह नहीं गई। परिणाम यह हुआ कि बहुत सी जमीन जो उन तालाबों के नीचे थी बिना पानी के रह गई और इस तरह काफी नुकसान हुआ। इस सम्बन्ध में वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान देकर ज्यादा रकम माइनर इर्रिगेशन को देंगे तो ज्यादा लाभ हो सकता है।

सड़कों के लिये अन्य माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ अर्ज किया। कहा गया उदयपुर डिविज़न में तो काफी खर्चा हुआ और दूसरे हिस्सों में कम। मेरी तहसील में भी एक भी रोड नहीं बनी और कुछ भी खर्चा नहीं हुआ। मुश्किल से इस साल भीलवाड़ा-आसीन्द रोड पर स्वीकृति हुई है। सरकार की यह घोषणा है कि जिला हैडक्वार्टर को तहसील हैडक्वार्टर

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

से जल्दी मिलाया जावे। इस प्रकार की योजना के होते हुए भी इस सम्बन्ध में किसी खास स्कीम में हमारे यहां रकम नहीं दी गई। सड़क के अभाव में बरसात के दिनों में ३४ मील की दूरी के बदले में १४० मील का फासला तय करके जिला हैडक्वार्टर पर जाना पड़ता है। इससे परेशानी रहती है। इस तरफ गौर किया जाना चाहिये।

गांवों में मेडिकल डिस्पेन्सरियों में बड़ी अव्यवस्था है। जितने भी डॉक्टर इनमें आते हैं शहरों से भेजे जाते हैं। पहले तो उनकी वहां तबियत ही नहीं लगती। दूसरे वे डिस्पेन्सरी में आने वाले बीमार की तरफ पूरा ध्यान नहीं देकर अपनी प्राइवेट प्रेक्टिस करना शुरू करते हैं। इसके कारण बड़ी तकलीफें होती हैं। पैसे के अभाव में और गरीबी के कारण गांव वाले वैसे ही इलाज करा नहीं सकते और ये शहरी डॉक्टर घर पर जाकर इलाज करना ज्यादा पसन्द करते हैं बनिस्पत अस्पताल के। तो मेरा इसके लिए सुझाव यह है कि तमाम डॉक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द कर दी जावे। फिर कम्पाउन्डर्स और नर्सों की भी बड़ी कमी रहती है। डॉक्टरों को अधिक तनख्वाह देकर भी अगर प्राइवेट प्रेक्टिस रोकनी पड़े तो रोकनी चाहिये।

एक बात और है। डिस्पेन्सरीज़ का दस, बारह हजार का बजट होता है जिसमें मुश्किल से हजार, डेढ़ हजार की दवाइयां होती हैं, बाकी एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च होता है। दवाइयों के अभाव में लोगों को दवाइयां बाजार से लाने के लिये मजबूर किया जाता है और खास कर गरीब लोगों को जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो इससे बड़ी मुश्किल होती है, गरीब इलाज नहीं करा पाता। बड़ों को तो वैसे भी लिहाज-मुरव्वत से सरकारी दवाइयां भी मिल जाती हैं। तो ऐसा प्रबन्ध किया जाना चाहिये कि गरीब को फ्री मैडिकल एड मिले।

इसी तरह से औद्योगिक क्षेत्र में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की मिक्स्ड इकॉनोमी के सिद्धान्त पर सरकार ने योजनायें स्वीकृत की हैं। मेरा सुझाव इसमें यह है कि जितने बड़े उद्योग-धन्धे हैं सरकार को चलाने चाहिये ताकि लोगों को उसका पूरा लाभ मिले। पर चूंकि हमारे पास इतना रुपया और साधन नहीं हैं इसलिये प्राइवेट सेक्टर के साथ चलना पड़े तब भी सरकार को उन पर पूरा ध्यान रखना चाहिये। आज तक हमने यह देखा है कि जितनी प्राइवेट इन्डस्ट्रियां चलती हैं वे सब घाटे में दिखाई जाती हैं और वे अपना बैलेन्स शीट भी घाटे का प्रस्तुत करती हैं। तो उससे यह होता है कि न तो लोगों को बोनस देने को तैयार रहती है न पूरा फायदा देना चाहती हैं। इस प्रकार से मेरा सुझाव यह है कि यहां जितनी भी इन्डस्ट्रीज़ चलती हैं उनमें जो भी मजदूर हैं उनको मैनेजमेंट में हिस्सा मिलना चाहिये ताकि वे मजदूर ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से काम करें।

दूसरे, नेशनलाइज़ेशन के विषय में बहुत से भाइयों ने विरोध किया है और बहुत से माननीय सदस्य इसके पक्ष में भी हैं। वैसे मैं भी पक्ष में हूँ कि इसका नेशनलाइज़ेशन होना चाहिये। जितने और भी बहुत से रूट्स हैं

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जिनका नेशनलाइज़ेशन किया जा सकता हो उनका तुरन्त नेशनलाइज़ेशन किया जाना चाहिये; ताकि सरकार को भी उससे ज्यादा फायदा हो और हमारे यहां सदन में घाटे का भी बजट पेश न हो। लेकिन नेशनलाइज़ेशन के सम्बन्ध में जितनी खराबियां हो सकती हैं उनके सम्बन्ध में अभी ध्यान रखना चाहिये। उसमें बहुत सी खराबियां आ सकती हैं और उनको नहीं आने देने के लिये शुरू से ही प्रयत्न करना चाहिये। जो नेशनलाइज़ेशन हुआ है इसमें ट्रान्सपोर्ट के जो भी सबसे बड़े अधिकारी हों वे इस प्रकार के काबिल आदमी होने चाहिये और उनको इतना तजुर्बा होना चाहिये कि वे नेशनलाइज़ेशन के सम्बन्ध में जितनी खराबियां आ सकती हैं उनको शुरू से ही ध्यान में रख कर नेशनलाइज़ेशन को एक आदर्श चीज़ बनायें, जो कि सबको पसन्द हो।

इसी तरह से लेबर प्रोबलम्स के ऊपर इस बजट में ध्यान नहीं दिया गया है। इस बजट पर खास तौर से यह निवेदन करना चाहता हूं लेबर के विषय में कि सबसे पहली बात यह है कि जो लेबर कमिश्नर राजस्थान में है वह टैक्निकल आदमी होना चाहिये, न कि कोई भी आई० ए० एस० ऑफिसर को बैठा दें जो कि लेबर के सम्बन्ध में जानकारी नहीं रखता है। इससे क्या होता है कि अगर हमारा लेबर कमीशनर टैक्निकल आदमी नहीं होगा तो उससे लोग डिस्सेटिस्फाइड रहेंगे। आज मजदूर कहते हैं कि सरकार हमारी बातों पर ध्यान नहीं देती है। मेरा मतलब यह है कि लेबर प्रोब्लम्स को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिये। मेरा तो यहां तक सुझाव है कि हमारे यहां लेबर मिनिस्टर एक अलग से होना चाहिये जो कि लेबर प्रोब्लम्स को अलग से डील करें और उस पर अधिक से अधिक ध्यान दें। इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो समाजवादी समाज में जो रीढ़ की हड्डी मजदूर हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जायेगा तो सारा काम ही गड़बड़ हो सकता है।

एज्यूकेशन के विषय में भी मेरा यह निवेदन है कि हमारे यहां जो हायर सैकन्डरी स्कूल्स खोले जाते हैं उनमें वे सब्जेक्ट्स पढ़ाये जाते हैं जो कि काम में नहीं आते। हमारे प्रधान मंत्रीजी कहते हैं कि हमारी शिक्षा ऐसी हो कि जिससे डॉक्टर्स, इन्जीनियर्स और ओवरसियर्स पैदा हों। पर हमारे यहां स्कूलों में तो ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाये जाते हैं कि जिनसे न तो इन्जीनियर बना जा सकता है न ओवरसीयर ही। वहां पर इनके सब्जेक्ट्स की व्यवस्था ही नहीं है। तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए; जैसे एग्रीकल्चर है, साइन्स है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्निकल शिक्षा मिल सके।

इसी प्रकार से हाउसिंग के विषय में मेरा निवेदन है कि ज्यादातर जो हाउस वगैरह के लिए लोन दिया जाता है व शहरों में दिया जाता है और गांवों में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गांवों में पंचायत समितियों को इसके लिए पैसा दिया जाता है पर इसकी शर्त यह होती है कि लोन लेने वाले यदि एक कॉलोनी बनायेंगे तो पैसा दिया जायेगा, अन्यथा नहीं। यह शर्त सही माने में गैर वाजिब है। जैसे लोगों को मकान आदि बनाने के लिए शहरों में पैसा मिलता है वैसे ही गांवों में भी मिलना चाहिए, ताकि लोग गांवों में अच्छी तरह से

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

रहना सीखें। अगर गांव में लोगों को रहने के लिए मकान अच्छे होंगे तो वे अच्छे नागरिक भी बनेंगे । इसलिए हाउसिंग के विषय में ज्यादा से ज्यादा बजट हमको गांवों के लिए देना चाहिए ।

पंचायतों के विषय में भी मुझे कुछ निवेदन करना है कि जो नई पंचायतें बनी हैं न्याय पंचायतें और विकास पंचायतें, तो पहले तो ये दोनों न्याय पंचायतें और विकास पंचायतें शामिल थीं। इसलिए हमारी पंचायतों का काम सुचारू रूप से चलता था। पर विकेन्द्रीकरण के बाद दोनों—न्याय पंचायतें और विकास पंचायतें अलग-अलग हो गई हैं। सुझाव तो अच्छा है लेकिन प्रेक्टिकल रूप से देखा जाये तो आज विकास पंचायतों की हालत यह हो गई है कि वह क्लर्क और चपरासियों को भी पैसा नहीं चुका सकती उनकी तनख्वाह का और यही हाल न्याय पंचायतों का भी है। इसके लिए सरकार ने जल्दी ध्यान नहीं दिया तो वे पंचायतें अव्यवस्थित हो जायेंगी और उनका काम चलना मुश्किल हो जायेगा । इनमें जो काम करने वाले हैं उनके लिए सुझाव है कि कम से कम क्लर्क और जो चपरासी हैं उनको पैसा सरकार के बजट से मिलना चाहिए; ताकि पंचायतें और भी अच्छे, व्यवस्थित तरीके से चल सकें । आज आपने देखा होगा कि पंचायत समितियों को डेवलपमेन्ट के लिए पंचायतों को पैसा मिलता है उसके लिए टैक्स पंचायतें नहीं लगा सकतीं । अगर वे लगाती हैं तो डरती हैं कि अगर हमने टैक्स लगा दिया तो आइन्दा पंचायतों में आने का मौका नहीं मिलेगा और इसके अलावा पंचायतों को को दूसरे काम भी कराने पड़ते हैं। गांव वाले श्रमदान देते हैं और जितने भी डेवलपमेन्ट के काम हैं वे वहां से पूरे होते हैं । लेकिन क्लर्क और चपरासी की तनख्वाह बिना टैक्स लगाये पंचायत वाले चुका नहीं सकते और इस कारण पंचायतों पर आर्थिक संकट चल रहा है। तो उन क्लर्क्स और चपरासियों को तनख्वाह के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो पंचायतों का सारा काम ठप्प हो जायेगा। मैंने पंचायतों में देखा है, वे लोग क्या करते हैं ? जब आमदनी नहीं होती तो जो रास्ते पर जानवरों का जत्था चलता होता है तो उसको पकड़ कर कांजी हॉज़ में बैठा लेते हैं और किसी पर दो सौ और किसी पर तीन सौ रुपया जुर्माना कर देते हैं और वे स्वयं कहते हैं कि भाई किसी तरह से चपरासी और क्लर्कों की तनख्वाह तो चुके। ऐसी गड़बड़ियां हमारे यहां होने लग गई हैं। तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि अगर हमें पंचायतें और न्याय पंचायतें सुचारू रूप से चलानी हैं तो हमें उनको आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी।

(१.२९ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मुझे रेवेन्यू के सम्बन्ध में भी कहना है। हमारे पटवारी जो कि नीचे की लड़ी हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर का फिर भी ठीक हो सकता है मगर पटवारियों की पे बहुत कम है। आज एल० डी० सी० के मुकाबले में पटवारी को भी तनख्वाह नहीं मिलती। इसलिए बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हमारे यहां पैदा

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

होती हैं मेरा सुझाव यह है। कि पटवारी भी उसी केडर में होने चाहिए जो कि एल० डी० सी० का है। इस प्रकार के सुझाव मैंने पेश किये हैं। इनमें कोई गलती भी हो सकती है।

श्री सभापति : श्री दलपतसिंह।

श्री दलपतसिंह (आबू) : सभापति महोदय, आज जो बजट के अभिभाषण पर ३ दिन से बहस चल रही है इसको मैंने गोर से सुना और गौर से सुनने के बाद मैं भी इस बहस को देख कर खड़ा हुआ कि कई माननीय सदस्य कई पार्टियों के सदस्य हैं उन्होंने अपने अपने विचार इस बहस के दर्मियान यहां सदन में पेश किये। बहस के अन्दर सबसे बड़ी बात मुझे मिली वह यह है कि कइयों ने कहा कि राजस्थान के अन्दर विकास के लिए बड़ी बड़ी योजनायें चल रही हैं; वे बड़ी योजनायें न चला कर हमारे राजस्थान के बजट को देख कर बनाई जानी चाहिए थीं। कहने का मतलब यह था कि छोटी छोटी योजनायें-कॉटेज इन्डस्ट्री की तरह होनी चाहिए। दूसरे, एक पार्टी के नेता ने कहा कि हमको हमारा बजट देख कर या हमारे बजट और राजस्थान की आय को देख कर चलना चाहिए 'Cut your coat according to the cloth.' तीसरे, कई लोगों ने कहा कि हमारी केबिनेट के मिनिस्टर्स हैं और बड़े बड़े आदमी हैं वे ज्यादा तनख्वाह लेते हैं। अगर वह रोक दी जाये और कम कर दी जाये तो इससे हम कई दूसरे छोटे लोगों को तनख्वाह दे सकेंगे और दूसरे लोगों के आर्थिक स्टेन्डर्ड को आगे बढ़ा सकते हैं।

इस बहस के अन्दर ज्यादा नहीं जाकर इतना ही सदन के सामने पेश करना चाहता हूं कि आज जो हमारे राजस्थान में विकास हो रहा है बड़ी २ योजनाओं के द्वारा और छोटी छोटी योजनाओं के द्वारा, यह सब राजस्थान की उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम बड़ी २ योजनाओं को नहीं लें तो बड़े बड़े बांधों से जो बिजली मिलने वाली है और जो हाइडल बिजली काश्तकारों को देना चाहते हैं और उनके स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं तो उनके स्तर को ऊपर नहीं उठा सकेंगे। बड़े २ बांध और योजनाएं राजस्थान के लिए बहुत जरूरी हैं और यह एक बहुत ही अच्छा प्रगतिशील कदम है।

दूसरी बात, जो उन्होंने कही कि छोटी २ इन्डस्ट्रीज़ पर जोर दिया जाय तो मैं भी कहूंगा कि छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज़ पर जरूर जोर दिया जाना चाहिये। ताकि रिटर्न जल्दी ही मिल जाय। राजस्थान सरकार ने इन पांच सालों में हजारों कुओं को तकावी दी है और छोटी छोटी कई सिंचाई की योजनाएं राजस्थान में पनप रही हैं।

दूसरी बात, यह कहा गया कि मिनिस्टर खुद अपने पेट पर पट्टी बांधें। मिनिस्टर तो अपने साथ में हॉल में बैठने वाले हैं उनको कुछ भी कह दें। लेकिन मेरा मूल सिद्धान्त यह है कि हमारे बड़े बड़े कर्मचारी हैं, जो राजस्थान गवर्नमेंट को चलाते हैं, एक अच्छा इन्जीनियर हैं एफिशियेन्ट हैं और जो कि बांध बांधने के अन्दर एफिशियेन्सी रखते हैं उनको १,०००) रु० के बजाय २,०००) रु० गवर्नमेंट देकर, एफिशियेन्सी का स्टेन्डर्ड रख कर बांधों में उनका फायदा ले। राजस्थान में जो इतने कन्स्ट्रेक्टिव

Page No.45

(श्री दलपतसिंह)

वर्क चल रहे हैं उनसे उनका फायदा ले सकते हैं। मैं इस बारे में बहुत तहे दिल से मानता हूं कि छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह जरूर बढ़नी चाहिये। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ इस क्रिटिसिज्म को रखें कि बड़े . बड़े कर्मचारियों की तनख्वाहें कम कर दें। मैं तो यह कहूँगा कि एक अच्छा इंजीनियर है वह बान्ध बांधना बहुत अच्छी तरह से जानता है और बान्ध और योजनाओं के अन्दर साथ देता है तो उसको १,०००) रु० मिलते हैं तो १,५००) रु० मिल जांय तो कोई पर्वाह नहीं। आपको यह मालूम होगा कि जब हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हुआ तो रेलवे के बारे में लोगों को डर हुआ कि काम कैसे चलेगा। लेकिन हमारे हिन्दुस्तान के ऑफिसर्स ने रेल का काम बहुत अच्छी तरह से हाथ में लिया और रेल का इन्तजाम अच्छी तरह से चलाया। मैं कहता हूँ कि उनसे उनकी एफिशियेन्सी बढ़ेगी जो कि बहुत जरूरी है राजस्थान के विकास के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल करने के लिए, अपने बंध बांधने के लिए जिससे कि राजस्थान आगे बढ़ सके।

ऐसे मुद्दे पर आगे नहीं जाकर टैक्सेशन की जो पॉलिसी है राजस्थान के अन्दर जिसको वित मन्त्रीजी ने हाउस के समक्ष रखा है उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आज हमारी जो टैक्सेशन की पॉलिसी है, जो डाइरेक्ट या इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ के निर्माण का तरीका है वह बिल्कुल सिम्पल तरीका रखना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज से दो साल पहले राजस्थान एग्रीकल्चर इन्कमटैक्स ५६ के अन्दर इन्ट्रोड्यूस किया था और लोगों पर एप्लाई किया था उसका यह हुआ कि राजस्थान एग्रीकलचर इन्कम टैक्स के द्वारा काश्तकारों को हैरेसमेंट होता था। काश्तकार जो विकास और योजनाओं के कामों में लगे थे उनको वकीलों और गवर्नमेंट द्वारा हैरेसमेंट होता था, उनको उनके पास बहुत सी बार जाना पड़ता था। तो हमारे पहले के वित मन्त्री ने देखा कि इससे उनको बड़ा हैरेसमेंट होता है जिससे प्रोडक्शन में बहुत कुछ फर्क पड़ता है। तो उन्होंने सन् ५६ में इसी विधान सभा में उस टैक्स को एबोलिश कर दिया और जिस टाइम वित मन्त्री ने ऐलान किया था कि राजस्थान एग्रीकलचर इन्कम टैक्स एबोलिश हो रहा है उस दिन मेरे ख्याल से इस हाउस के अन्दर तालियें की गड़गड़ाहट ही सुनाई देती थी और भूतपूर्व वित मन्त्री महोदय को धन्यवाद देने का यही कारण हो सकता है टैक्सेशन के अन्दर सिम्पिसिटी हो। पहले काश्तकारों को बार बार वकीलों के घर जाना पड़ता था, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पीछे दौड़ना पड़ता था या और उनको काफी हैरेसमेंट होता था। तो एक सिम्पल तरीका निकाला गया सरचार्ज काश्तकारों से लेकर डाइरेक्ट टैक्सेशन की पॉलिसी अपनाई तो उनका बिल्कुल साफ हो गया। उनके दिमाग में ,जो हैरेसमेंट और साइकोलोजिकल बात होती थी वह निकल गई और उन्होंने अपनी बुद्धि-विकास के कामों में लगाई। इसलिये मैं राजस्थान गवर्नमेंट के वित मन्त्री के सामने यह सुझाव पेश करना चाहता हूँ कि सेल्स टैक्स के अन्दर भी व्यापारियों को बड़ा भारी हैरेसमेंट होता है और करप्शन चलता है।

(श्री दलपतसिंह)

आज वित्त मन्त्रीजी बिक्री कर लगा कर ६७ लाख रुपये ले सकेंगे । मैं कहता हूँ कि आप सिम्पल टैक्सेशन की पॉलिसी करें तो एक व्यापारी ही उनको एक साल में २२ लाख रुपये नजराने के तौर पर भेंट कर सकता है क्योंकि आप देखते हैं कि सेल्स टैक्स ऑफिस में जितना करप्शन होगा मेरे ख्याल से और किसी डिपार्टमेंट में इतना करप्शन नहीं होगा । एक व्यापारी को दो, दो चौपड़े रखने पड़ते हैं । इस तरह से हमारी सरकार इन टैक्सेज के द्वारा नागरिकों को डिमोरेलाइज़ेशन सिखाती है । अगर काश्त-कारों की तरह से वे स्वतन्त्र हो जायं तो सीधे विकास का काम कर सकते हैं । इसी तरीके से सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में है, जिसके कारण से व्यापारियों पर बहुत परेशानी बढ़ गई हैं । उसको सिम्पल कर दिया जाय तो उनको दो, दो चौपड़े रखने की जरूरत नहीं होगी । उनको महीनों तक वकीलों के पास या सेल्स टैक्स ऑफिस में घूमना पड़ता है; वह समय उनका बच जायेगा और वे अपने व्यापार को उन्नत करने में लगायेंगे नहीं तो आप देखते हैं कि सेल्स टैक्स का एक चपरासी आता है तो उसके लिये केडलोक कार बड़े करोड़पति की खड़ी हो जाती है । क्यों नहीं किसी दूसरे चपरासी के पास खड़ी रहती है ? उसके बच्चों को दवा देने की कोई फिक्र नहीं करता है, लेकिन वह चपरासी दिन भर बिजली की घन्टी दबाता है और सेल्स टैक्स ऑफिसर के साथ काम करता है । सेल्स टैक्स में इतना बड़ा करप्शन है । मेरा खुद का अनुभव है एक काश्तकार के नाते जब कि राज-स्थान एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लागू था तो उसका कितना भार हमारे मगज़ पर था । उस भार से हम मुक्त हो गये, फ्री हो गये । इसलिए मैं वित्त मन्त्री महोदय से अर्ज करूंगा, रिक्वे-स्ट करूंगा, नम्र निवेदन करूंगा कि यह जो हैरेसमेंट राजस्थान के व्यापारियों को इस सेल्स टैक्स के द्वारा हो रहा है चाहे आप कैसा ही टैक्सेशन व्यापारियों पर डाल दें, एक दूकान-दार से आप ५) रु० टैक्स लेते हैं तो १०) रु० डाल दें लेकिन व्यापारियों के मगज़ को शुद्ध और फ्री रख लें । वे समझते हैं कि कितना हिसाब रखना पड़ेगा, यह ऑफिसर आ गया इसको इतना पैसा देकर छुट्टी पाओ । यह एक करप्शन का डिपार्टमेंट रख दिया है, उससे कुछ नहीं होगा । उनके दिल शुद्ध होने चाहिये । एक व्यापारी या काश्तकार का फन्डामेन्टल केरेक्टेरिस्कि ऑफ मोरेल प्लेट-फार्म है वह साफ होना चाहिये । उसके मगज से अच्छी तरह से यह निकल जाना चाहिए तो वह हर योजना के अन्दर कदम आगे बढ़ा कर चल सकता है । तो सरकार से यह निवे-देन करूंगा कि जो टैक्सेशन की पॉलिसी है वह बिल्कुल सिम्पल से सिम्पल करके अपने नागरिकों के सामने रखनी चाहिये, वर्ना यह जो हैरेसमेंट है जिसके लिये सरकार बदनाम है वह चालू रहेगा । इस तरह के हैरेसमेंट के कानून बन जाते हैं उसके कारण हजारों व्यापारी और काश्तकार परेशान रहते है । तो एक सीधा सा कानून बन जाना चाहिए ।

तकावी हासिल करने के लिए और अलॉ-टमेंट कमेटी से लैन्ड हासिल करने के लिये जो फॉर्म होते हैं उनके अन्दर यह लिखवाया जाता है कि खसरा नम्बर क्या है, किस भूमि के अन्दर से वह लैन्ड अलॉट होने वाली है, यह एक छोटी सी बात है । लेकिन एक इल्लिटरेट काश्त-कार है उसके पास खसरा नम्बर कहां से आता

(श्री दलपतसिंह)

है ? This is the first step of corruption which the cultivator feels. तो इस तरह से मैं यह कहूँगा कि सिम्पल अर्जी लिख कर देनी चाहिए या इन्ट्रोड्यूस करना चाहिये तहसीलदार को तफसीली फार्म में कि सीधा सा वह अपना नाम लिख दे और अलॉटमेंट जो जमीन का करना है, अलॉटमेंट जो जमीन का हो रहा है वह जमीन मिलनी चाहिये। वह तो नहीं हो रहा है, उसके बजाय यह कहते हैं कि लम्बे-चौड़े फॉर्म भर कर लायें और फिर वे अलाटमेंट कमेटी को भेजते हैं और फार्म ठीक तरह से नहीं भरते हैं तो जमीन नहीं मिलती है सभापतिमहोदय। तो मैं आपके द्वारा सभापतिजी, इस बात से कन्सर्न्ड मन्त्री जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि हरेक देश के अन्दर कानून में सिम्पिलसिटी होनी चाहिए। आज पंचायतों के अन्दर बड़े ताज्जुब की बात देखता हूँ कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और सीमेंट लाखों की तादाद में दे रहे हैं; राजस्थान के विकास के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने सक्रिय कदम उठाये हैं। कुएं खोदने के लिए सीमेंटें अलॉट कर रहे हैं तो सीमेंट प्राप्त करने का फॉर्म अजीब है- वह हैरेसमेंट का नमूना हो गया है। काश्तकार जाते हैं पहले अर्जीनवीश केपास। उसको दो रुपये दें दरख्वास्त लिखने के लिये। आज-कल एक तहसील में दो या एक अर्जीनवीश मिलते हैं। इसके लिए जो फार्म बनाया गया है वह ऐसा है कि मैं आपको सही कहता हूँ कि छठी या सातवीं पढ़ा हुआ काश्तकार होगा तो बड़ी सीमेन्ट का फॉर्म अच्छी तरह से भर सकेगा। इस तरह का जो हैरेसमेन्ट होता है उसको काश्तकार और व्यापारी फील करते हैं। सीमेन्ट का कोटा तहसीलदारों को दे दिया, लेकिन उसको लेने के लिये सबसे बड़ी दुविधा आ जाती है। तो मैं कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी में अच्छे से अच्छे ऑफिसर्स हैं, प्रशासनिक वेज हैं तहसील की तहत सीमेन्ट देने का तरीका है उसको सिम्पल कर दें, सिम्पल तरीके से उनको दें। हमारे नेहरूजी ने अच्छी अच्छी स्कीम्स बनाई हैं, मुख्य मंत्रीजी ने अच्छी योजनाएं बनाई हैं लेकिन उनको पूरा करनेवाले जो नीचे के लोग हैं वे बाधा डालते हैं। इर्रिगेशन स्कीम की तहत पानी देने के लिए पटवारी रख दिये। वे लोग गेहूँ की फसल में जिस समय पानी देने की जरूरत होती है उस समय पानी न देकर रोक देते हैं। और बाद में देते हैं तो वह पानी क्या काम का ? यह कोई गवर्नमेन्ट की पॉलिसी नहीं है। गवर्नमेन्ट की पॉलिसी है अच्छे से अच्छे ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। लेकिन हमारे अधिकारी, नीचे के आदमी, हमारी टैक्स की पॉलिसी को क्या, एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी को क्या, सब को खराब करते हैं। इसीलिये तो एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन और हैरेसमेन्ट बढ़ता है। तो मैं इस पॉइन्ट पर ज्यादा नहीं कहूँगा। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सभी मंत्री महोदयों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वे जरूर इस ओर ध्यान देंगे, वे जरूर सिम्पल तरीका अपनावेंगे और काश्तकारों को नीचे के लोगों से जो दिक्कतें पेश आती है उनसे उनको बचावेंगे।

अब मैं एग्रीकल्चर की तरफ थोड़ा सा

Page No.48

(श्री दलपतसिंह)

ध्यान दिलाना चाहता हूं। एग्रीकल्चर राजस्थान के लोगों का एक मुख्य धंधा है । इसके विकास के लिए सरकार ने योजनाएं चला रखी हैं। उनसे कई सुधार हुए हैं, इसमें शक नहीं। आज सरकार हजारों कुएं खुदवा रही है । जहां बिजली नहीं है वहां हाइड्रो बिजली देकर, अच्छे जेनरेटर और एंजिन लगा कर आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन एग्रीकल्चर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके कारण काश्तकार अनसिक्योरिटी फील करता है। जैसे आप अलॉटमेन्ट करते हैं। अलॉटमेन्ट रूल्स में यह है कि यदि काश्तकार जमीन लेना चाहता है तो उसको ५ एकड़ जमीन देनी चाहिये, चाही ५ एकड़ और बारानी १५ एकड़........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं जल्दी ही थोड़े से सुझाव देकर बैठता हूं। स्टेन्डर्ड रखा है ५ एकड़ भूमि देने का इससे तो बहतर है कि उसको जमीन नहीं देनी चाहिये । नहीं तो क्या होगा कि उसका इकोनोमिक स्टेन्डर्ड बिगड़ता है। इससे तो वह मजदूर ही अच्छा था दूसरों की जमीन जोत कर अपना गुजारा चलाता था। आपको पता होगा अपने यहां डॉक्टर बासु, लैंड युटिलाइज़ेशन कमिश्नर भारत सरकार के थे। उन्होंने कहा कि नये काश्तकारों को ४५ एकड़ जमीन देनी चाहिये। पंजाब में लैंड युटिलाइज़ेशन कमीश्नर बैठाया था। उन्होंने भी बताया कि लोगों को कम से कम ४५ एकड़ जमीन देनी चाहिये तभी उनका जीवन स्तर अच्छी तरह से बढ़ सकता है; नहीं तो ५ एकड़ में एक बलदों की जोड़ी रख कर वे कैसे अपना गुजारा कर सकते हैं? इससे तो अच्छा यह है कि कॉटेज इन्डस्ट्री खोल कर उनको लगाया जाय ताकि उनका आर्थिक स्टेन्डर्ड बढ़ सके। आपने टैक्स लगा कर उसका वजन पशुओं पर भी डाला है, कपास पर भी डाला है। बिनोला वगैरह पशुओं को खिला कर किसान लोग अपने पशु पालते हैं। पशुओं से घी निकाल कर काश्तकार खुद भी खाते हैं और बेचते भी हैं। वह इन्डस्ट्री बिल्कुल नष्ट हो जायेगी। आज एग्रीकल्चरिस्ट और उनका पशु-धन ब्रॉदर्स और सिस्टर्स की तरह है। खेती करते हैं तो उनको पशु रखना जरूरी होता है। उधर डालडा की रोक के लिये कुछ नहीं हो रहा है और इधर पशु-धन को जो कपासिये देते हैं उस पर टैक्स लगाया है। मैं कहूंगा कि कपास पर टैक्स बंद करना चाहिये........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति (राव श्रीनारायणसिंह) : श्री अमरसिंह।

रावल श्री अमरसिंह (पचपदरा) : Mr. Speaker, Sir......

श्री दलपतसिंह (आबू) : मैं सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बातें अर्ज कर दूं।

श्री सभापति : समय बहुत कम है।

(विराम)

श्री अमरसिंह।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, नये नये सदस्यों को भी बोलने का मौका दीजिये। आप कइयों का नाम नहीं जानते हैं।

श्री सभापति : श्री अमरसिंह।

Page No.49

रावल श्री अमरसिंह (पचपदरा) : Sir, I have had the opportunity of listtening to the Governor's Address and also the debate which followed it. If the criticism of Government's policy and their actswas to serve any purpose, I thought a sufficient measure of it had been delivered at their doors. This, together with the election results, was in my opinion, a sufficient indication to change the temperament of the Government and we expected the budget to show a changed tendency in their policy.

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, हिन्दी में बोला जाय तो अच्छा हो ।

रावल श्री अमरसिंह: I seek your permission, Sir, to speak in English this time. Next time I promise to speak in Rajasthani-pure and simple.

श्री निरंजननाथ आचार्य(राजसमन्द): It does not need any permission of the Chair.

रावल श्री अमरसिंह : Thank you very much.

The budget, Sir, I may be permitted to say, is a most disappointing work-disappointing from every point of view. It represents the State finances mis-handled, funds utilised without sanction, a deficit budget and heavy taxation. Since I rise to speak at the fag end of the debate, I will not take much time of the Honourable House in criticising the various aspects of the budget; nor I have collected various figures on which I may make substantial contribution. I will speak on a few points on which I want to draw the Ministry's attention through you, Sir.

The present budget reveals certain capital investments, certain expenditure which has fallen below the budgeted estimates and certain expenditure which has exceeded the budget estimates. Now, Sir, if this was a matter of few lakhs or thousands, I submit that that was a matter to be condoned. But when this excess expenditure comes to the figures of crores, I submit that this is unpardonable. What is worse, when funds can be drawn and utilised without sanction of this House, then it is a mockery of any budget approval by this House. I hope the Government will take notice of this and avoid this lapse.

We realise the present Hon'ble Finance Minister's embarrassing position when he says that he is helpless when he finds the finances of the State in this condition. We have sympthy for him, but that is not an end of it. We have no assurance that the finances will be better in future. My submission through you, Sir, is that in all matters let there be a high power committee to scrutinise the capital investments what is the amount which has been spent, how is it that these investments have not yielded any results and when are they to yield any such

Page No.50

(रावल श्री अमरसिंह)

results.

In the matter of expenture, Sir, I will submit that there should be a very strict control. It is poor people's money and we should see that the persons spending it have the sense of responsibility which they are supposed to exercise.

In the matter of taxation, which is very heavy, I will stoutly oppose the various taxes which have to be collected from the agturiculrists. This makes the life of the poor people very miserable. The eatables which are so costly even at present will be still more expensive in times to come as a result of this heavy taxation. The tax on animals is not warranted. I submit the Government will take due notice of it and reduce this tax.

The Government has claimed certain improvements and they say that agriculture has expended. I concede to certain extent that there has been increase in the area covered under cultivation. But I will submit that this is no credit to the Government, because it is a spontaneous move by the agriculturist which has tempted him to bring more land under cultivation. Partly this is due to rising population There are more members in the family and naturally, seeing no other occupation, they try to cultivate more land and this is how greater land has come under cultivation.

Through you, Sir, I will draw the Govrnment's attention to this fact that if agriculture is to prosper it is necessary that irrigation facilities should be provided. We have heard from the Governer' s Address as also from other talks that certain irrigation schemes are afoot and certain irrigation schemes have been materialised. I would submit that these schemes cover a very small fraction of the area of Rajasthan. Speaking on behalf of the arid zone lying on the west of Jodhpur proper, I say that there is great scarcity of water both for drinking purposes and for irrigation purposes. I further submit that there is scope for making more water available for this area. If tube wells are sunk we can bring more land under irrigation and raise the yield of land bringing prosperity to the cultivators. I hope some of the Ministers are aware that I personally pleaded with them and suggested that one or more boring machines should be provided for this area by which we can tap the water resources. Invain I reminded them from time to time, and it yielded no results. I still submit that if boring machines are made available great improvement will be made in the matter of agriculture and people, who need water for drinking purposes will have this dire necessity provided for. I hope Government will take steps and provide us with this necessity.

In the matter of decentralisation, it has been said that the opposition

(रावत श्री अमरसिंह)

parties do not welcome this change and want to put the hand of the clock backward. The question is, how is this scheme working ? It is entirely dependent upon the character of the people, how they take it with a sense of responsibility, and unless that sense of responsibility is fully developed, a certain amount of supervision and guidance becomes absolutely necessary. In this respect my suggestion is that an Evaluation Committee should be appointed to go through a selected number of these Samitis and report on their working. From this they can evolve certain formula as to how they can be made to work effectively and what advice do they need.

Much has been said about Co-operative Societies. You will permit me to say, Sir, that the spirit of co-operation has not touched even the fringe of our poverty. The people do not understand the spirit with which these Co-operative Societies are sought to be introduced and sought to be functioning. Money raised in the name of Co-operative Societies is mis-handled; i. e. it is spent either on marriage or on 'Mousar' or something like that. The result is that so much money which could otherwise have been usefully spent has been mis-used. I will lay emphasis on this at the risk of being mis-understood. I think it imperative necessity that you should have a Commission to go into this matter and till the Commission's report is forthcoming no new societies should be opened. It is a task achieved if you can say that the existing societies, which are already functioning, are functioning properly. The people should realise the importance of Co-operative Societies and then alone new societies should be started. Unless there is appetite, it is no use serving delicious dishes before a person. Therefore, unless the people know the importance of the appetite in the matter of these societies and they crave for it it is no use to impose them on the people.

You will permit me to say at this stage, Sir, why these societies are not working properly. The Government enjoins upon Vikas Adhikaries and Officers in charge of Co-operative Societies to open as many societies as possible. Their work is evaluated on the number of societies opened irrespective of the manner in which they work. So these people under pressure go in for more and more societies and if they are asked to report honestly, I am sure, you will have hardly 1 % of such people who will vouchsafe that these societies are working properly.

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

I will not take much time because I have not much to say.

These societies should not be

(रावल श्री अमरसिंह)

multiplied till this report is forthcoming.

In the matter of Education I, have to submit that this aspect has not received the attention which is due to it. If there are schools, there are no teachers; and if there are teachers, there are no schools. The curriculum is changed much too often. My humble submission is that the construction of school buildings which is left partly to the contribution by the people should be made a State concern. There should be a particular pattern for opening schools. Instead of opening 10 schools, let there be only four, but let there be good schools which are well managed.

I will fail in my duty, Sir, if I do not bring to the notice of this House the matter of water-supply scheme for my area, i. e. Pachpadra, Balotra Tehsil. It is a dire necessity for this area and I hope the Government will take prompt steps to provide us with drinking water as well as water for irrigation purposes. There is scope for industries also, but that scheme has not yet been surveyed. We have got scope for tanning and hides and salt, but these industries have not yet been surveyed. I hope the Government will take early steps to have this matter gone through.

I will make one more submission that at the time of elections, certain responsible people said that this area was neglected and no improvement could be made because the Congress candidate was not returned from there. I will submit that this is no criteria for making development in a particular area. Even if a non-Congress candidate is returned the area is still entitled to improvement.

(स्वामी श्री कुमारानंद के ट्रेज़री बैन्चेज़ में बैठने पर)

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): Sir, we expect some declaration about one more addition in the Cabinet in the form of Mr. Swami.

रावल श्री अमरसिंह : Since the House is getting impatient, I will not take much time and resume my seat.

(२.०. म. प.)

श्री गोकुलचन्द (कठूमर) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मन्त्री....

श्री सभापति : श्री गोकुलचन्द।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर) : सभापति महोदय, मैं बोल रहा हूं।

(श्री गोकुलप्रसाद (मांडल) भी बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सभापति महोदय, अगर ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो आप हमें मौका दे दीजिए।

श्री सभापति : श्री गोकुलप्रसाद बोलें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): माननीय सभापति महोदय, तीन-चार दिनों से बजट पर बहस हो रही है। बजट जब हमारे सामने आया और हमने उसको देखा तो जैसा सरकार का नारा है समाजवादी समाज का, उसे सुन कर मैंने यह देखा कि बजट तो हमारे सामने प्रस्तुत होगा वह बहुत अच्छा बजट होगा और बजट में जहां तक मजदूरों का प्रश्न है उनके लिए बहुत फायदा हुआ होगा। लेकिन जब मैंने बजट को देखा तो मालूम हुआ कि चालू साल में २६ लाख, ६१ हजार श्रम में खर्च किए जा रहे हैं और आगे जो बजट है उसमें ४९ लाख खर्च होंगे; देखने में यह सुन्दर है और यह दिखाई देता है कि २३ लाख की बढ़ोत्तरी हुई है। मैंने इसको अन्दर से पूरा हिसाब लगा कर देखा तो इसमें यह निकलता है कि जो दो, तीन साल पहले जो लेबर वैलफेयर पर खर्च करने की धन-राशि थी वह बढ़ने के बजाय घटी है; सरकार ने २८ जगह लेबर वैलफेयर सेन्टर्स खोले हैं।

श्री सभापति: मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि काफी बोलने वाले हैं और समय बहुत तंग है, इसलिए १०-१० मिनट में अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री मानसिंह महार (आमेर): कल के लिए और बहस का समय बढ़ा दें।

श्री सभापति: आप अपना भाषण चालू रखें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: मेरा यह निवेदन है कि जहां वैलफेयर के २८ सेन्टर्स सारे राजस्थान में रखे हैं वहां पर राशि रखी है वह है चिकित्सा पर लगभग १० हजार। इस हिसाब से २९ रुपये ७५ नए पैसे एक सेन्टर में एक व्यक्ति पर पड़ते हैं। तो मैं यह कहूँगा कि एक रूपया रोज का रहता है। इस तरह से माहवार २३ लाख रूपये पूरे सेन्टरों को मिलेंगे। इसी तरह से हस्तकला शिक्षण के लिए पैसा रखा है वह ३५) रू० प्रति सेन्टर पर माहवार पड़ता है, जब कि २३ लाख रू० साल में खर्च बढ़ गया है। मनोरंजन में सिनेमा भी होंगे, खेल-कूद भी होंगे और इसमें भी खर्चा लगेगा। मैं यह कहूँगा कि जहां पर मजदूरों के लिए पैसे बढ़ाने की बात आती है वहां मजदूरों के वैलफेयर में पहले से कम किए गये हैं, बढ़ाये नहीं गये हैं

औद्योगिक प्रशिक्षण में ६१-६२ में ९ लाख ६२ हजार खर्च करने का है, जिसमें ५ लाख ६२ हजार भारत सरकार से मिले हैं। अगर इस ९ लाख ६२ हजार में भारत सरकार जो ६० प्रतिशत सहायता देती है अगर जोड़ते हैं तो कम हो जाता है; वह नहीं जोड़ा गया है। इस वर्ष यह गलती रह गई है तो इसको सुधार लें ताकि घाटा न रहे।

इसी तरह से औद्योगिक प्रशासन में जहां ९ लाख ८७ हजार का खर्चा हुआ, इस साल १७ लाख खर्च होंगे; फर्नीचर सज्जादि में यह भी एक आइटम आता है। इतनी बड़ी रकम से क्या इमारतें बनायेंगे या फर्नीचर वगैरह होगा? १७ लाख का आइटम है। फर्नीचर आदि के लिए सक्रिय सामान क्या है, इसमें भारत सरकार सहायता देती है। वह भी इसमें है। तो मैं यह कहूंगा कि इस बजट में मजदूरों के वैलफेयर की बात नहीं है। मजदूरों के मकान

(श्री गोकुलप्रसाद)

बनाने के लिए पिछले साल १ लाख रुपया खर्च किया और इस वर्ष कुछ नहीं किया जा रहा है। ऐसा मालूम होता है कि सभी मजदूरों के मकान बन गये हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या सभी मजदूरों के मकान बन गये हैं ? औद्योगिक प्रशिक्षण पर जो भारत सरकार सहायता देती है वह बाद में जोड़ दी जावे तो अलग बात है।

इसके बाद यह कहा जाता है कि शहरों पर टैक्स लगाने से शहर के लोग नाराज कहीं न हो जायं। आप जेवरों पर टैक्स लगाते हैं। मैं यह कहूंगा कि एक किसान ने ५००)रू० में एक बैल की जोड़ी खरीदी और किसी महाजन से रुपया उधार लेकर उसने जोड़ी खरीदी वह अपने खेत पर काम करने के लिये। आप उससे ५०)रू० टैक्स के रूप में अधिक ले लेते हैं और यह कहते है कि आपको यह कर देना होगा। लेकिन दूसरी तरफ आपने यह छूट दे रखी है कि अगर कोई १५,०००) रूपयों तक का सामान बेचेगा तो उस पर टैक्स नहीं होगा। अगर किसान को इस तरह से १५,०००) रुपये माल के बेचने पर छूट हो जाय तो उसको नुकसान नहीं होगा। आज आप किसानों पर, जानवरों पर टैक्स लगाते हैं और इसलिए कि वे बोलते नहीं और अगर आप शहरों में कर लगावें तो लोग चिल्लाने लगते हैं और अखबारों में, बाजारों में कहेंगे कि यह कर गलत लगाया गया है। आप ऑपोज़ करते हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप लोग भी इसको ऑपोज़ करें तो पास नहीं होगा।

श्री गोकुलप्रसाद : हमारे कहने से कोई रुक नहीं जावेगा। हमारे वित्त मंत्री मान जायेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन जहां तक जानवरों के कर की बात है, इससे किसानों को बहुत नुकसान होगा। दूसरी बात है सोने-चांदी पर टैक्सों की। सोने के जेवर कौन बनाता है ? वह तो मजदूर नहीं बनाता है और सोना तो बाहर से ही आता है बिना आय करके। वह न तो भारत सरकार को कर देते हैं और न आपको। चांदी पर आप टैक्स लगा सकते हैं। सोने पर आपको टैक्स नहीं मिलेगा। चांदी पर आप टैक्स लगा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बेचारा किसान ५० तोले का जेवर भी चांदी का नहीं बनवा सकता। आपने जवाहरात पर कोई टैक्स नहीं लगाया है। आपने सेठों पर टैक्स नहीं लगाया है, आपने टैक्स लगाया है जानवरों पर और गरीब किसान पर।

(२. म. प.)

इमारती पत्थर के लिए कहा गया है कि किसानों को इस पर टैक्स छोड़ दिया गया है। मैं यह कहूंगा कि किसान पत्थर खोदने नहीं जाता है, किसान चूना पकाने नहीं जाता है। वह तो गांव में पत्थर खान वालों से खरीद कर ही अपना मकान बनाता है। इसलिए वह पत्थर आदि के टैक्सों से बरी नहीं हो सकता। किसान को तो वह टैक्स देना ही होगा। इसके अलावा मैं तो यह भी कहूँगा कि माइनिंग डिपार्टमेंट वाले मजदूरों से मिट्टी, सोप स्टोन आदि पर भी कर लेते हैं, माइका पर भी कर लेते हैं क्या सरकार ये जो टैक्सेज़ मजदूरों से ज्यादा लेती है वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए जो मिनरल कन्सेशन रूल्स बनाये हैं उसके अनुसार लेती है ? मैं कहूंगा कि उसके अनुसार नहीं लेती

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

और मजदूरों से मिट्टी के भी चार हजार रूपये पर एकड़ लेती है और वह मजदूरों को देना पड़ता है। तो मुझे तो ऐसा अन्दाज लगा है कि जो लोग नहीं बोल सकते, आप तक पहुं-चने की जिनकी ताकत नहीं उन्हीं की रोजी आप छीनना चाहते हैं। आप तो कहते हैं कि खानों का नेशनलाइजेशन कर दिया जाय। हम भी चाहते हैं, पर ८७ लाख की आमदनी खानों के आधार से बताई है उस ८७ लाख की आमदनी में से ७० लाख रुपयों की आम-दनी उन लोगों से है जिनके तन पर पहिनने को पूरा कपड़ा नहीं है। नेशनलाइज कर लीजिए पर पत्थर खोदने कौन आयेगा ? ७० लाख की आमदनी आप उनसे करते हैं जिनके पास भर पेट खाने को नहीं, रहने को झौंपड़ी नहीं, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं, जिनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए साधन नहीं और पैरों में पहिनने को जूतियें तक नहीं। ४,०००) रूपया पर एकड़ आप उससे लेंगे जिसके रहने के लिए केलू का भी घर नहीं है। अफसर बड़े चालाक हैं। यही चालें वे लोग सीख कर आते हैं। इसीलिए उनको ज्यादा पे मिलती है। जब आप ५० बाई २५ के टुकड़े बनाते हैं तो एक एकड़ में ४० टुकड़े हो गये और १००) रुपया एक टुकड़े के हिसाब से एक एकड़ के ४,०००) रुपये हो गए। मिनरल कन्सेशन रूल्स के अनुसार डेड रेट से ज्यादा हो तो रॉयल्टी वसूल की जा सकती है। राजस्थान माइनर मिनरल रूल्स में १००) रूपया इस तरह ले लेते हैं और २५%रॉयल्टी और ले लेंगे गैर कानूनी तौर पर। यों इन लोगों से ले लिए जाते हैं। पट्टी-पत्थर खोदने वाले सीधे आदमी हैं; लड़ाई नहीं कर सकते, आपके पास आ नहीं सकते उन लोगों से ७० लाख रुपया लेना किसी भी तरह न्यायसंगत नहीं। आप वास्तव में समाजवादी समाज कायम करना चाहते हैं तो उन लोगों के अन्दर जाकर काम करना पड़ेगा। उनकी हालत को देखना पड़ेगा और उन लोगों को छूट देनी पड़ेगी, जिनके पास ज्यादा है उनसे ज्यादा लेना पड़ेगा। उन लोगों की हालत की जांच के लिए कोई कमीशन मुकर्रर नहीं कर सकते,कोई कमेटी नहीं मुकर्रर करना चाहते। कोई कमीशन मुकर्रर करना नहीं चाहते तो आप नुमाइश ही लगवा दीजिए यानी सेमिनार कर लीजिए कि जो लोग १७ लाख देते हैं उनको क्या हालत है और जो लोग ७० लाख देते हैं उनकी क्या हालत है ? जहां तक मजदूरों का प्रश्न है; आपके यहां उनकी सुविधा का कोई प्रश्न नहीं है, न उनके बच्चों के लिए कोई शिक्षा केन्द्र हैं।

मोटरों का नेशनलाइजेशन नहीं हो, इस तरह की आवाज दूसरी ओर से आती है। राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से हमारी सड़कें बनती हैं। बाहर से मोटर पार्ट्स मंगाने के लिए डॉलर देने पड़ते हैं। इस तरह मोटरें और सड़कें दोनों ही सरकार की सम्पति हो सकती हैं। तो फिर मोटरों का नेशनलाइज़ेशन क्यों नहीं होगा ? मालूम होता है जिन लोगों को दलाली मिलती है, जिनके मोटरें हैं और जिनके पास मोटरों के परमिट हैं वे नहीं चाहते कि मोटरों का नेश-नलाइज़ेशन हो। अब यात्री-कर और बढ़ाया गया है। श्रीमान्, पहले जो टैक्स है उसको ही अगर सही माने में पूरे तौर से वसूल किया जाय तो और टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता ही

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

नहीं पड़ेगी। ४० लाख रुपया टैक्स का अभी से ज्यादा वसूल होगा। मैं भीलवाड़ा साइड से आता हूँ। वहां सवा रुपया अगर मोटर किराया है तो पौने तीन-आने टैक्स के हैं। कम्पीटीशन चला तो बस वालों ने १२ आने ले लिए भाड़े के और २ आने ले लिए टैक्स के। आपके यहां मनोरंजन कर है। फ्री सिनेमा दिखा, दे पर टैक्स नहीं छूट सकता। पहले सवा दो रुपया अजमेर का किराया था। उन्होंने ४ साल से ३ आना सरकार को दिया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसका नेशनलाइजेशन नहीं हो तो फायदा है, टिकट आदि के पैसे नहीं देने पड़ते हैं। पर सरकार को इससे नुकसान है. सरकार के टैक्स की चोरी हुई है। जो इस प्रकार टैक्स की चोरी होती है उसको रोका जाय और जितना टैक्स अभी लगा हुआ है उसको ही पूरे तौर से वसूल किया जाय तो नया टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। १५ पैसा टैक्स के तो पहले अच्छी तरह से पूरा का पूरा वसूलकर लीजिए, यह नया टैक्स मत लगाइये। पहले १२ नए पैसे टैक्स लगाया, फिर १५ कर दिया, अब २० कर रहे है तो कहां तक आप इस तरह टैक्स बढ़ाते ही जायेंगे ?

जानवरों पर टैक्स मत लगाइये। ग्रामोद्योग के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। इन पर टैक्स क्यों लगा रहे हैं? आप जो कानून बनाते हैं उसका पालन नहीं होता है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। मोटर मजदूरों के लिए कानून बनाया, पर पालन नहीं होता। दूकानों के लिए कानून बना हुआ है कि सन्डे को होलिडे हो, श्रम विभाग वाले पूछते ही नहीं हैं; क्योंकि वह अब चला गया है इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के नीचे और इन्डस्ट्रीज़ विभाग के अफसरों को फुर्सत ही नहीं है बाहर निकलने की। इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि यह श्रम विभाग का काम है, श्रम विभाग वाले देखें और श्रम विभाग वाले कहते हैं कि यह इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट का काम है वे देखें। तो इस प्रकार केवल कानून बनाने से राहत नहीं मिलनेवाली है। कानून आगे ही बहुत बने हुए हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि वास्तविक कार्य होना चाहिये। लेबर डिपार्टमेंट के लिए २३ लाख रुपया जो बढ़ाया गया है; मजदूरों के हितों में ज्यादा से ज्यादा खर्च हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

माइनिंग डिपार्टमेंट के जो कर हैं उनके संबंध में मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इनकी जांच के लिए एक कमेटी बैठाइये तब आपको पता चलेगा कि ७० लाख रुपये टैक्स के कौन देता है। वे लोग ७० लाख का टैक्स देते हैं जिनके तन पर पूरा कपड़ा नहीं है। आप डबल डबल टैक्स उन लोगों से वसूल करते हैं और समाजवाद का नारा लगाते हैं! समाजवाद इस तरह नहीं आयेगा। समाजवाद लाने के लिए आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी; इन लोगों के बीच में जाकर इन लोगों की हालत को सुधारना होगा।

जानवरों पर आपने टैक्स लगाया है, चाँदी के जेवर पर टैक्स लगाया है। आप इन टैक्सेज़ को छोड़ दीजिए। मुझे विश्वास है कि आप इस बात को जरूर मान जाएंगे। नहीं मानेंगे तो पीछे मान जाएंगे, मानना तो पड़ेगा। ये टैक्सेज़ जो लगाये हैं आपने ठीक ढंग से नहीं लगाये हैं। कोई भी ऐसा

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

टैक्स नहीं हैं जिसका असर गरीबों पर नहीं पड़ता हो। तो सरकार मान जाय और इस तरह के टैक्स बन्द हो जायं, यही मैं कहना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : ऑन ए पोइन्ट ऑफ इनफोर्मेशन, सर, इस डिबेट में सभी दलों के माननीय सदस्य बोल चुके हैं और अभी तक जनसंघ के एक भी माननीय सदस्य को मौका नहीं दिया गया है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों को भी मौका नहीं दिया गया है।

श्री सभापति : सब को मौका दिया जावेगा।

(विराम)

श्री हरिराम !

श्री हरिराम (तिजारा) : माननीय सभापति महोदय, हमारी पार्टी के लीडर ने बहुत विस्तार से सरकार की नीतियों के बारे में और कहां से आमदनी हो सकती है; बगैर टैक्स के हो सकती है; इस बारे में पूरी तरह से जिक्र किया था। मैं उन सब चीजों को दोहराना नहीं चाहता। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि जो बजट है उससे सरकार की किनके ऊपर करों का बोझा डालने की नीति है, किन लोगों को राहत देने की नीति है, किन लोगों की जेबों से इस बजट का पैसा आता है। और किन लोगों के लिये वह पैसा खर्च होता है और किन किन कामों पर खर्च होता है; यह थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा।

६१ करोड़, ७३ लाख रुपया हमारी राजस्थान सरकार की कुल आमदनी है और इस आमदनी का पैसा ज्यादातर किसानों की जेबों से, मजदूरों की जेबों से आता है, छोटे दूकानदारों की जेबों से, छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनकी जेबों से आता है। वह लगान के रूप में, सेल्स टैक्स के रूप में आता है। इस तरह के जो भी टैक्स हैं उनके रूप में आता है या सरकार की तरफ से भारत सरकार की तरफ से टैक्सेज़ हमसे वसूल किये जाते हैं उसके बदले में राजस्थान सरकार को मिलता है, उस रूप में आता है। गरज यह है कि जितना भी पैसा आता है आम लोगों की जेबों में आता है और फिर इसको खर्च किस रूप में किया जाता है? आप ताज्जुब करेंगे कि हमारी जो आमदनी है उसका ३५ परसेन्ट हिस्सा महज प्रशासन पर खर्च हो रहा है।

आप दूसरे प्रान्तों को अगर देखें तो मैं यह कह सकता हूं कि शायद ही कोई ऐसा प्रान्त हो जिसमें उसकी खुद की आमदनी का ३५ प्रतिशत पैसा खर्च हो जाय उसके प्रशासन पर। मद्रास के आंकड़ों को यदि हम देखें तो वहां १४ परसेन्ट खर्च होता है, जब कि हमारे यहां ३५ परसेन्ट खर्च होता है और उस ३५ में से किस काम पर खर्चा होता है? विकास पर खर्चा हो, निर्माण पर खर्चा हो, उन पर खर्चा न होकर खर्चा होता है वह इस प्रकार होता है कि किस चीज से जनता को तंग किया जा सकता है, किस तरह जनता पर आतंक बैठाया जा सकता है, उनको किस तरह से और जकड़ कर इस समाज में रखा जा सकता है उस महकमे पर और ज्यादा खर्च होता है। ज्यादातर पैसा टैक्स वसूल करने के लिये, कोई आसानी से न दे तो उसको तंग करके लिया जाय, किसी के

(श्री हरिराम)

देने की हिम्मत नहीं है, उसकी जेब में पैसा नहीं है, उसके घर के अन्दर नहीं है तो उस पर पुलिस का आतंक जमा कर लिया जाय, तहसीलदार को कहा जाय कि किसी एक आदमी की तरफ पांच रूपया भी बकाया रह गया है तो उसको हवालात में बन्द कर दो, पुलिस में भेज दो। वह ज्यादातर पैसा उस रूप में खर्च किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कसा जाय, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जकड़ कर रखा जाय। पुलिस पर ५ करोड़ रुपया, खर्च होता है। ५ करोड़ से ज्यादा खर्चा हो, पिछले साल से ४८ लाख रुपया ज्यादा खर्च का बताया गया है। ६० लाख रुपया सी. आई. डी. पर खर्चा होता है। मैं समझता हूँ, आजादी के पहले तमाम नेता लोग कहा करते थे कि यह फिजूल का महकमा है, काहे को हमारे सिर पर थोप रखा है? जो खर्चा हो रहा है उसको बढ़ाने के लिये हम से और मांग की जाती है। क्या काम है उसका? महज उसका काम है कि काम्युनिस्टों के इर्द-गिर्द जाकर चक्कर लगाये इस पार्टी को या उस पार्टी को स्टेशन पर पहुंचाये, जुलूसों में जाते रहे और लेक्चर सुनते रहे। उसके सिवाय उसके पास कितना काम है? कितनी रिपोर्ट उन्होंने भ्रष्टाचारी अफसरों के खिलाफ दी है, कितना होना चाहिये; वह काम वे करते हैं या नहीं करते, इस ओर कोई ध्यान नहीं देते। यह सब होते हुए भी कहा यह जाता है, राज्यपाल महोदय के भाषण में भी कहा गया कि पुलिस का काम बड़ा संतोषजनक है! और कोई महकमे का काम ठीक रहा हो या नहीं; वे कहते हैं कि पुलिस का काम ठीक है। हिन्दुस्तान के चीफ जस्टिस हैं मुल्ला साहब वे कहते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर अगर कानून तोड़ने वाला गिरोह है, शैतानी करनेवाला अगर कोई गिरोह है तो वह है पुलिस का महकमा। अब राज्यपालजी की बात सच मानें या हाई कोर्ट के जज हैं उनकी बात को सच मानें, यह समझ में नहीं आता। लेकिन हकीकत यह है कि देखने और तजुर्बे में यह बात आई है कि पुलिस पर खर्चा करना पड़ रहा है बजाय उसके फायदा मिले, वह फिजूल हो रहा है। किसके लिए पुलिस है? आज पुलिस इसलिए रखी जाती है कि पुलिस द्वारा किस तरह से प्रजातन्त्र के अधिकारों को दबाया जा सके, कैसे जन-संगठन को दबाया जा सकता है, किस तरह गरीबों को दबाया जा सकता है। गरीबों को ज्यादा से ज्यादा दबाया जा सके, जन संगठनों को ज्यादा से ज्यादा दबाया जा सके; इससे ज्यादा उनका और कोई मकसद नहीं है। गरीब लोगों को आज, जैसी भी पुलिस है जिस पर ५ करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उस पुलिस की जरूरत नहीं है; कल टूटते हुए महकमे को आज ही तोड़ दिया जाय। महज शरमायेदारों की रक्षा करने के लिए, यदि किसी मिल के अन्दर हड़ताल होती है, मालिक की मदद के लिए थानेदार की जरुरत पड़ी तो एस. पी. साहब पहुँच जावेंगे और उनका दिल नहीं होगा जाने का तो मंत्री महोदय टेलीफोन कर देंगे। कहीं सेठ साहब को कोई आंच न आ जाय, ज्यादा बात कोई न कह सके फौरन पहुँच जायं। वहां जाकर पिटाई करती है पुलिस मजदूरों की, उन मजदूरों पर गोलियां चलाई जाती हैं और जितनी यातनाएं उनको दी जा सकती हैं उतनी उनको यातनाएं दी जाती हैं। थानेदार का, पुलिस का काम चोरी

Page No.59

(श्री हरिराम)

बरामद करने का नहीं है, तफतीश का नहीं है। कुछ डाकू पकड़ लिये हैं। पता नहीं, उनकी होशियारी से पकड़े गये हैं या उनकी लापरवाही से पकड़े गये हैं, कई शराब वगैरह पीते हैं; ठीक किया पकड़ लिया। दूसरे दिन रिपोर्ट मिली कि डाकू ऊंट ले गये, पाकिस्तान चले गये और पाकिस्तान पहुंच गये तो हमारी पुलिस पहुंचती है और जांच शुरू हो रही है और मन्त्री महोदय भी कह रहे हैं कि अभी तो मैं बताने में असमर्थ हूँ जांच हो रही है। जांच ६ महीने में होगी, बात पुरानी पड़ जावेगी और जांच कहां से होकर आवेगी? उसी नौकरशाही से। वे ही आई० जी० पी०, वे ही एस. पी., वे ही सब-इन्सपेक्टर और इन्पेक्टर। वही तमाम पुराना ढांचा बना हुआ है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर....

श्री हरिराम : क्या आपका पोइन्ट ऑफ ऑडर है? मुझे बोल लेने दीजिये। आपकी बड़ी चक चक करने की आदत पड़ी हुई है, बर्दाश्त नहीं होता है आपको।

तो मैं कह रहा था कि पुलिस का वही पुराना ढांचा बना हुआ है और वह बरकरार है। बोर्ड अवश्य लगा देते हैं "हमारे योग्य सेवा"। सेवा की मिसाल दूं। एक किसान थाने में जाता है। वह कहता है कि रिपोर्ट दर्ज करिये। उसको दो गाली सुनाई जाती है। कुर्सी पर वह बैठ जाता है तो उसके दो तमाचे रखे जाते हैं। यदि रिपोर्ट किसी तरह से दर्ज करा देता है, पीछे से कोई आदमी आया और छुड़ाने की बात करे तो उसकी पिटाई होती है। आप ताज्जुब करेंगे कि म्युनिसिपैलिटी के चुने हुए नुमाइन्दे हैं उनको पुलिस ने पीटा है। अलवर में म्युनिसिपल कमीशनर को पीटा गया। जयपुर में पत्रकारों को पीटा गया है। जनवादी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी पूरी पिटाई करे, उन पर जुल्म करें और फिर हमारे वित्त मन्त्री जो हैं वे हमसे कहते हैं कि ४८ लाख रुपया इस बजट में इस पुलिस के महकमे के लिए और जोड़ दिया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अभी एक ही आया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य से मैं सहयोग की केवल प्रार्थना करता हूँ कि और भी काफी वक्ता बोलने वाले हैं, समय का संकोच कर थोड़ा बोलें।

श्री हरिराम : अब कहते हैं कि टैक्स के वगैर पैसा कहां से आये? मैं यह बता देना चाहता हूं कि एक कमेटी बनी थी सन् ५४ में। सन् ५४ में एक कमेटी बनी थी। उन्होंने यह महसूस किया कि हमारे मिनिस्टर लोग हैं उनकी कारों और पैट्रोल पर जो खर्चा होता है वह बहुत ज्यादा है। ६ लाख रुपया उस वक्त था। प्रशासन की गाड़ियों पर उस समय ६ लाख रुपया खर्च होता था। तो एक कमेटी बनी थी कि जांच करे। कहा गया कि ६ लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। सरकार ने यह महसूस किया था, कमेटी भी बनीं थी लेकिन उसके बावजूद ६० में १३ लाख वह बन गया। घटाने चले थे और ऊपर से १३ लाख बन गया। अब

(श्री हरिराम)

जांच करें तो यकीन कहां से हो ? एक मिनिस्टर का १॥। लाख रुपया खर्च का बताया तो १५ लाख रुपया पैट्रोल और प्रशासन के काम के लिए कारों पर खर्च होता है । तो उसमें कहा जाता है कि किस तरह मन्त्री महोदय की कार घूमती है, पान खाने को जा रहे हैं तो कार में जा रहे हैं, सब्जी के लिए जा रहे हैं तो कार में जा रहे हैं, उद्घाटन के लिए जा रहे हैं तो कार में जा रहे हैं, पंचायत के चुनाव में जा रहे हैं तो कार में जा रहे हैं, कोई भी काम हो हर काम कार के बगैर होता नहीं, ज्यादातर काम प्राइवेट होते हैं। इसी तरह से टेलीफोन का हाल है; इसी तरह से दूसरी चीजों का हाल है और हमें कहें कि पेट के पट्टी बांध लो।

इसी तरह से टेलीफोन का भी हाल-चाल है। इसी तरह से दूसरे हाल-चाल हैं। वित्त मन्त्री महोदय कहते हैं कि पेट पर पट्टी बांधो। मैं वित्त मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं पेट पर पट्टी बांधी जा सकती है लेकिन किन हालतों में; क्यों पट्टी बांधें ? आप टेक्स लेते हैं आखिर देते क्या हैं ? कुछ दें तो उसके लिये पट्टी भी बांधी जा सकती है। पेट पर तो पहले ही पट्टी बंधी हुई है। १२ नये पैसे के हिसाब से तो पहले ही मोटर ट्रान्सपोर्ट पर टैक्स बढ़ा दिया। अब उसके बाद १५ नये पैसे कर दिया। इसी से हमने तो पेट पर पट्टी बांध ली। लेकिन आप तो पेट की गांठ को जकड़ना चाहते हैं। हमारे तो आप पेट पर पट्टी बांधना चाहते हैं लेकिन आपने तो आंखों पर ही पट्टी बांध ली है; जो कतई समझ में आने वाली बात नहीं। हिन्दुस्तान के किसान, मजदूर के पेट पर तो पहले से पट्टी बंधी हुई है। आप आंखों पर पट्टी बांध कर यह चाहें कि जो पेट में गांठ है उसको भी जकड़ दिया जाय जिससे पेट सिकुड़ कर गड़ जाय, यह कभी बर्दाश्त होने-वाली बात नहीं है।

मैं सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ, २० नये पैसे का टैक्स आज किसान से लिया जाय। कई बार ऐसा होता है, किसान के पास दो आना कम होने की वजह से वह पन्द्रह-बीस मील पैदल चल कर आता है। दो आना किराया घट गया तो बेचारा १५-२० माइल पैदल चला आता है। तीन रुपये के पीछे तीन आना टैक्स गवर्नमेन्ट ले और आप यह कहें कि हम उनके टैक्स मन्जूर कर दें ! यह उस सरकार द्वारा कहा जाता है जो समाजवादी समाज के निर्माण की बातें करती है ! यह कैसे मुमकिन हो सकता है ? एक तरफ तो टैक्स बढ़ा कर इस तरह से आमदनी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ ट्रान्सपोर्ट की मोटरें बेकार पड़ी हैं। इससे कितने लाख रुपये का नुकसान हो रहा है ? इससे हमें ३१ लाख रुपये का सालाना नुकसान है। आपने उन बसेज़ को क्यों नहीं चलाया; यह किसकी लापरवाही की वजह से मोटरें पड़ी हैं ? इस तरह से एक तरफ तो पैसा बर्बाद किया जाता है और दूसरी तरफ टैक्स लगाने की बात की जाती है।

इसी तरह से जानवरों पर भी आपने टैक्स लगाया है; तिलहन पर भी टैक्स लगाया है। मैं नहीं समझता कि जिस तरह से छोटी छोटी दूकान वाले भी सेल्स टैक्स के हिसाब

(श्री हरिराम)

के लिये मुनीम रखते हैं; अब भेड़ चराने वाले या गायों का ग्वाला, भैंस वगैरह बेचने वाला जो भी होगा उसको भी एक मुनीम मिलना चाहिये ! वह भी अब मुनीम रखेगा ताकि सेल्स टैक्स का वह हिसाब रख सके। इस तरह से आप जानवरों के रखने वाले को इस तरह से जकड़ कर रखना चाहते हैं ! वह बेचारा पहले अपना गुजारा कर नहीं पाता फिर किस तरह से वह पशुओं पर टैक्स दे सकेगा ?

आपने बिजली पर भी टैक्स लगाया है । वह पहले ही टैक्स्ड है । उस टैक्स पर फिर टैक्स लगाया है । यह मेरे कत्तई समझ में नहीं आया यह किस आधार पर रखा है। हम जो अलवर के रहनेवाले हैं वहां आठ आना युनिट लिया जाता है, जयपुर में ६ आने के हिसाब से और चक्कीवालों को तीन आना युनिट में दे दिया जाता है । उसमें जो बड़े हैं उनको दो आना युनिट पर दे दिया जाता है और उससे भी जो बड़े हैं उनसे ६ पैसा युनिट के हिसाब से लिया जाता है और उससे भी जो बड़े हैं जैसे श्री घनश्यामदास बिड़ला, इनसे ३ पैसा युनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है और आगे चलिये इनसे भी बड़े जो राजा-महाराजा हैं उनको तो आप फ्री बिजली दे रहे हैं। आप दुनिया भर के लोगों से टैक्स वसूल करते हैं वहां जयपुर महाराजा को फ्री बिजली दी जाती है; लेकिन दूसरी तरफ जो गरीब हैं, चपरासी हैं उनको कहा जाता है कि आठ आना युनिट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा ! यह भेदभाव जो बरता जा रहा है उसको देखते हुए हम यह जानना चाहते हैं, आखिर यह राज्य किधर जाना चाहता है ?

मैं कहता हूँ, आपने जो टैक्स लगाये हैं उनके बगैर लगाये ही काम चल सकता है। वह इस तरह कि १ करोड़ ५ लाख रुपया आप जागीरदारों को कर्जे के रूप में देना चाहते हैं, मुआवजे का तो ३ करोड़ रुपया अलग है । उनको कह दीजिये कि हमें बड़े बड़े बांध बनाने हैं इसलिये आप एक साल के लिए रुक जाइये । फिर यदि आमदनी होगी तो आपको कर्जा दे दिया जायेगा। इससे एक साल में न तो वे भूखों मरने वाले हैं । इससे फायदा यह होगा कि आम जनता पर टैक्स जो लगने वाला है वह नहीं लग पायेगा; इससे आम जनता को राहत मिलेगी।

दूसरा सुझाव यह है कि आप राजाओं के प्रिवीपर्स को बन्द कर दो; नहीं तो जागीरदारों को जो मुआवजा दे रहे हैं वह खत्म कर दो । इसके अलावा हमारा सुझाव है ट्रान्सपोर्ट में जो गड़बड़ हो रही है उसको दूर करो । आपने मोटरें खरीद कर रखी हैं लेकिन वे बेकार पड़ी हुई खराब हो रही हैं। उनको काम में लीजिये । आपको इस प्रकार से टैक्स लगाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । लेकिन आपने तो हर मर्ज की एक ही दवा बना रखी है और वह है टैक्स । आप तो रामबाण चूर्ण यही काम में लेते हैं । आपके पास टैक्स के सिवाय कोई दूसरा चारा ही नहीं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, कुछ ही मिनट में मैं समाप्त करता हूँ । यह जो आपने टैक्स लगाने

(श्री हरिराम)

की बात सोच रखी है उससे यह गाड़ी चलने-वाली नहीं है। यह तो एक तरह से गाड़ी को धकेलना है। इसलिये हम सब लोग जो सुझाव देते हैं उन पर आपको अमल करना पड़ेगा।

इसके अन्दर यह भी कहा गया कि यह आफत और मुसीबत क्यों आ गई। बजट के भाषण में यह कहा गया कि यह इसलिये कि सिपाहियों की तनख्वाह में बढ़ोत्तरी की गई, छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा दी। उनको अच्छा खाने के लिये दे दिया, पहिनने के लिए दे दिया इससे यह मुसीबत आ गई। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आपके पांच रुपये बढ़ा देने से आपके बजट पर आफत आ गई तो आप उन लोगों को जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं उनकी तनख्वाहें घटा दीजिये। आपकी यह आफत दूर हो जायेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

छोटे कर्मचारियों का तो इससे भी गुजारा होने वाला नहीं और आप बड़े कर्मचारियों का वेतन कम करने के लिए तैयार नहीं, तो वैसी हालत में आपका घाटा बना रहेगा। इतना ही कह कर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय चेयरमैन महोदय, सदन के समक्ष नये वित्त मंत्री महोदय द्वारा एक निहायत दिवा-लिया बजट प्रस्तुत किया गया है। उसके लिये मैं उनको मुबारिकवाद देता हूँ। हमारे पुराने जो वित्त मंत्री थे जो शायद इस दिवालियेपन को शुगर कोटिंग लगा देते लेकिन हमारे नये वित्त मंत्री महोदय ने हालांकि वे अभी मौजूद नहीं हैं उन्होंने शुगर कोटिंग न लगा कर कम से कम ईमानदारी जरूर बताई है। वाकई यह स्टेट बर्बाद हो जाती अगर पिछले वर्ष १५ करोड़ रुपया सहायता के रूप में केन्द्रीय सरकार न देती। सभी कारोबार ठप्प हो जाता, इसलिये मैं उनको दूसरी बधाई और देता हूँ।

तीसरी बात उन्होंने यह फरमाई कि मुझे केवल १५ दिन का ही समय मिला इसलिये मैं इस प्रकार का बजट पेश कर रहा हूँ। मुझे इस पर जो शंका हुई १५ दिन की और मांग जो की जाती है उसका अर्थ यह है कि वे और नये कुछ कर थोपना चाहते हैं दो, चार महीनों के बाद। दूसरी बात और यह हो सकती है कि जिस तरह से पिछली दफा करोड़ों रुपयों की सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स रखनी पड़ी अब की बार भी कहीं यही गलत परम्परा रिपीट न हो, उसके लिए मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूं।

चेयरमैन महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि जो मेरा बजट भाषण होगा उसमें मुख्य चीज यह होगी कि शहरों की जनता के लिये सरकार क्या करती है और गांवों की जनता के साथ किस प्रकार का सौतेला व्यवहार करती है। मेरे भाषण में इसी बात का झगड़ा होगा; मेरे आज के भाषण में इसी का विश्लेषण होगा। बड़े बड़े डेवलपमेन्ट के काम आप कर रहे हैं, सब कुछ होता है। चेयरमैन महोदय, आपसे निवेदन करूं जहां गांवों का सवाल आता है, गांवों में किसी प्रकार के डेवलपमेंट का

(श्री मानसिंह महार)

सवाल आता है तो यह कहा जाता है कि आधा पैसा गांव वाले उसके लिए दें लेकिन जहां शहरों में वाटर वर्क्स के खोलने का सवाल आता है वहां सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर देती है वगैर शहरवालों से उसके लिए कुछ लिये। लेकिन किसी शहर वाले से यह नहीं कहा जाता कि तुम वाटर वर्क्स के खर्चे में आधा तो क्या चवन्नी रुपया भी दो। कभी आप नहीं कहेंगे ऐसा। यहां पर तो करोड़ों की, अरबों की मन्जूरी हो जावेगी; पर किसी शहरवाले से यह नहीं कहा जावेगा कि तुम भी इसमें दो। आप नमूने के लिये उदयपुर को ले लीजिये। पिछले पांच वर्षों में वहां पर जैसा कि एक पेम्फलेट छपा था उससे मालूम हुआ कि करोड़ों रुपया लगा है उदयपुर शहर में। एक नमूना पेश कर रहा हूँ यह तो माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की दिलासा के लिये, सभापति महोदय, आपकी मार्फत। वहां उदयपुर की जनता से रिटर्न में एक पैसा भी लिया गया ? नहीं लिया गया। पर इधर गांवों में पानी-पीने के पानी के लिये भी अगर कुआं खुदवाने के लिये हजार रुपया भी देते हैं तो चेयरमैन महोदय, गांव-वालों से कहा जाता है कि आधा पैसा दो तब कुआ बनेगा। पीने के लिए पानी चाहिये; इसके लिये भी बिना कुछ दिये ये एक पैसा गांववालों को नहीं देते। पर शहरों में कॉलेज खुलवाते हैं, यूनिवर्सिटियां खुलवाते हैं उनके लिये शहर वालों से थोड़ा सा भी पैसा तो लीजिये जरा। देखिये आपको दिन में तारे दिखते हैं कि नहीं ?

एक माननीय सदस्य : दिन में तो तारे आपको दिखते होंगे।

श्री मानसिंह महार : हमने तो आपको जयपुर में दिखा दिये दिन में ही तारे और आगे भी दिखा दिये जावेंगे।

सवाल यह है हमारे यहां गांवों में स्कूल की बिल्डिंग बनाई जाती है, तो मैं आपसे कहूं कि इतना जबर्दस्त अन्याय है कि आधा हिस्सा भी गांववाले अगर कन्ट्रीब्यूट करें तो सरकार को सब्र नहीं। सरकार इसके लिये उनसे कहती है, आधा नहीं २।३ हिस्सा तुम दो, १।३ हिस्सा सरकार देगी, ज्यादा नहीं। यहां शहर में सभी फ्री, पर गांवों में फ्री नहीं। वहां तो गांववाले २।३ हिस्सा दें और सरकार १।३ हिस्सा देगी ! फिर डींग क्यों हांकी जाती है कि डेवलपमेन्ट हो रहा है ? गांवों का तो ऐसा डेवलपमेन्ट उन्होंने किया है कि माशा अल्लाह ! गांवों में तो औरंगजेब के युग में भी ऐसा नहीं किया कि गांवों में पीने के पानी के लिए कुआ खोदे सरकार तो उसमें भी गांव-वालों से पैसा लेती हो या लिया हो। लाखों स्कूलें बन गई, आपने कह दिया यह डेवलप-मेन्ट हुआ ! पर आपने क्या दिया ? वह तो गांववालों ने अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे से किया है। आपने क्या दे दिया है जो नये बजट में करोड़ों रुपया मांगा जाता है ?

एक नई चीज लीजिये। तकावी लीजिये। जिला परिषद् में गया अभी मैं। मैंने वहां देखा और यहां कहा कि जो पैसा दिया जाता है तकावी में उसका सही रिटर्न सरकार को नहीं मिलता। मैंने कहा जिस किसी गांव

(श्री मानसिंह महार)

में यह तकावी का ऋण दिया जाता है वह कुछ लोग ही खा जाते हैं, इसकी जांच की जावे। मूल्यांकन कमेटियां ठीक काम करें। इसका जवाब क्या मिलता है ? तकावी दी जाती है, तकावीवाले काम ठीक नहीं करते; उसका हम क्या करें ? पैसा कर्ज देते हैं, कोई धौंस है आपकी ? ब्याज और रुपया वापिस देते हैं। इसमें किसी की बपौती थोड़े ही है ब्याज शामिल देते हैं। वह बैंक से भी ले सकता है और आपके पैसे में दस परसेन्ट तो पहले ही दे देना पड़ता है और फिर आना-जाना, दौड़-धूप करनी अलग पड़ती है; लोगों को देना पड़ता है वह अलग। आप फ्री पैसा देते हैं अपने मित्रों को, अपने सफेदपोश मित्रों को। उनकी जांच करिये। मैं फिर दावे के साथ इस सदन में मुख्य मंत्रीजी को यह बताना चाहता हूँ कि मैं आपको सबूत देने को तैयार हूँ। आप जांच तो थोड़ी करवाइये। तो आप पैसा तो देते हैं इस तरह फिर कहना कि जो पैसा दिया जाता है वह डेवलपमेन्ट के लिए गांवों में दिया गया है। अगर होती यह बात तो इस प्रकार से तकावी की बात नहीं करते। आप जांच करते कि जो टैक्स पेयर का पैसा इस तरह दिया जाता है उसका रिटर्न नहीं आता। इसके लिए जांच के लिए जरूर आयोग बनाना चाहिये जो इसकी जांच करे। आज अगर सरकार ने २० करोड़ रुपया डेवलपमेन्ट के नाम पर खर्च किया है तो सही ढंग से इसमें १ करोड़ ही लगा है और १९ करोड़ तो लोग बीच में ही खा गये हैं। मैं फिर यह बात कहूँगा और बार बार दोहराऊंगा। अगर आप आयोग का गठन नहीं करेंगे इस बात के लिये जब तक; तब तक गांवों की बहबूदी कभी नहीं होगी। यहां इस तरह से कह देने से कुछ नहीं होगा कि यह तो मानसिंह महार यों ही कहता है। कोई बात ऐसी नहीं है। आप इस पर भी मन्जूर करिये कि जांच के लिए आप तैयार हैं क्या ? मैं जांच के वक्त इसकी मिसालें दूंगा।

टिन की चद्दरें और सीमेन्ट जो गावों में जाता है सरे आम ब्लेक मार्केट उसका होता है। जयपुर के बाहर सड़कों पर जाते हुए रोज गाड़ी की गाड़ियां मैं पकड़ा सकता हूं। कहां है आपकी सी. आई. डी. और पुलिस कि जिन पर आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं ? पर मेरे इस कथन का अर्थ कोई सदस्य, खास कर साम्यवादी मित्र, यह न लगा लें कि मैं पुलिस और सी. आई. डी. की कोई बुराई करता हूँ। इसका अर्थ यह नहीं लगावें कि उनको एक पैसा भी नहीं दिया जावे। पुलिसवाले तो म्यूनिसिपलवालों को पीटते हैं, पंचायत वालों को पीटते हैं इसलिये पुलिस की ग्रान्ट ही नामन्जूर कर दी जावे और कहा उनको कुछ नहीं दिया जावे। उनके कहने का अर्थ यह है कि पुलिस को अगर कुछ नहीं दिया जावेगा तो पुलिस रहेगी नहीं। पुलिस अगर नहीं रही तो हमारे प्रान्त में अराजकता फैल जावेगी और अराजकता होगी तो मेरे इन लाल मित्रों का दांव लगेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अभी आप मौजूद हैं।

श्री मानसिंह महार : हम हैं तब तक

Page No.65

(श्री मानसिंह महार)

आपका दांव नहीं लगने देंगे। इस कम्पलीमेन्ट के लिये मैं मेरे मित्र को धन्यवाद देता हूँ कि अब भी हम हैं मौजूद इसलिए वे घबराते हैं अराजकता लाने और उसमें अपना दांव लगाने में। साम्यवाद को अगर कोई रोक रहा है यहां आने में तो हम रोक रहे हैं। हम भरसक प्रयत्न करेंगे कि इस देश में साम्यवाद नहीं आने पावे।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : आप साम्यवाद को रोक रहे हैं तो लोगों को आजादी भी रोक रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : आजादी तो साम्यवाद के आते ही अपने आप खतम हो जावेगी। रूस में आजादी नहीं है। हम रूस का राज यहां नहीं चाहते। चिन्ता मत करिये। रूस वालों का साम्यवाद यहां आ गया तो हम उससे टक्कर लेंगे। यह सरकार नहीं लेगी तो हम टक्कर लेंगे रूस से; साम्यवादियों से टक्कर लेंगे।

श्री कुमारानन्द : टक्कर की बात करते हैं।अंग्रेजों के राज में आपकी यह टक्कर तलवार-बन्दूक कहां रह गई थी?

श्री मानसिंह महार : अपनी तलवार-बन्दूक हमारे पास है। आपके लिये रिजर्व रख रखीथी। वह अंग्रेजों के लिये या अमेरिका के लिये नहीं है; न इन कांग्रेसी भाइयों के लिये है। उनका हम स्वागत करते हैं हालां कि उनमें कुछ भी हो, भ्रष्टाचार हो, सब कुछ हो, पर सब कुछ होकर भी ये बाहर से तो प्रेरणा नहीं लेते जैसे आप लेते हैं। इनको बाहर से कहीं से कोई प्रेरणा नहीं मिल रही, जैसी आपको मिल रही है। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मैं साम्यवाद का कट्टर विरोधी हूं। हमारी पार्टी के समस्त सदस्य और उन बैंचों पर बैठने वाले भी साम्यवाद के विरोधी हैं और हम सब को मिल कर तय कर लेना है कि देश में कतई साम्यवाद को नहीं रहने देना है जो इस तरह की पुलिस फोर्स को समाप्त करके अराजकता फैलाने की बात करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मुझे तो दस, पन्द्रह मिनट का समय चाहिये। अभी तो मैंने कम्युनिस्टों को ही खतम किया है। तो पुलिस फोर्स की इस प्रकार की अण्डर हैंड बात कही जाती है। तो इस सेबोटेज की बात का मैं विरोधकरता हूं। क्योंकि अगर पुलिस फोर्स खतम हो जावेगी तो यहां अराजकता हो जावेगी। इसलिये मैं यह कतई नहीं चाहता कि पुलिस फोर्स खतम किया जावे। उसके द्वारा गलतियां हो सकती हैं, भूलें हो सकती हैं। उनमें कुछ आदमी गलत हो सकते हैं, भ्रष्टाचार हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता हैं, पर उसे हमें सुधारने की कोशिश करनी चाहिये। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिये। यह नहीं कि हमारी नाक पर मक्खी बैठे तो नाक को ही काट कर फैंक दिया जावे। मक्खी को धीरे से उड़ा दिया जावे, यह अच्छी बात होती है। यह तो हुई एक मित्र ने फरमाया उसके बारे में दो बातें।

अब निवेदन करूं कि जैसा मैंने पहले निवेदन किया था हरेक पुलिस स्टेशन को जीप और वायरलैस दीजिये। आज सेल्स टैक्स विभाग और लेबर विभाग में जीपें हैं, गाड़ियां हैं। ये क्या काम

(श्री मानसिंह महार)

आती हैं? डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन बीकानेर से पधारते हैं तो उनको लेकर आने जाने में यह काम आती हैं। मैंने कई बार गाड़ी उनके यहां खड़ी देखी है। आप कहेंगे तो आपको भी ले जाकर दिखा सकता हूं। तो इस प्रकार इनके यहां जीपें बेकार पड़ी हैं। उनको उनसे लेकर पुलिस को दीजिये, पुलिस को एफिशियेन्ट बनाइये। गांव वालों का दुख दरिद्र दूर करना चाहते हैं तो यह तरीका है एक। किसी के घर में चोरी हो गई तो जीप होगी तो दो घंटे में पुलिस चारों ओर पहुंच सकेगी और चोरों को फौरन तलाश कर सकेगी? अगर उनके पास जीप जैसा साधन हुआ तो फौरन वह चोरों का पीछा कर सकेगी। तो इस तरह से गांववालों को काफी सहायता इससे मिलेगी, आपकी तारीफ होगी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूँगा कि ऐसा अगर आपने किया तो गांवों में आप की तारीफ के पुल बँध जावेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और आप भी इधर से उधर बैठ जावेंगे।

श्री मानसिंह महार : हमारे और उनके तो आप ही बीच में खाई हैं। आप निकल जाइये बाहर तो हम तो एक हो जावेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : टीले हैं बीच में।

श्री मानसिंह महार : रोड़ी के टुकड़े हैं, फैंक देंगे जब चाहेंगे तब।

(२.४६ म. प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

पुलिस की खामियों की तरफ मैं आऊंगा, इन्डिविजुअल केसों को भी मैं यहां लाऊंगा; पर यह तब करूंगा जब कि कट मोशन पर बोलूंगा। पर आज तो जो सदन में यह गलत बात कही गई है कि पुलिस ही को खतम करदिया जावे तो मैं बहुत घबराया। सोचा गांव वालों की क्या हालत होगी। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूँ और मेरे मित्र की इस बात का घोर विरोध करता हूँ........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको शिखर सम्मेलन में जाना चाहिए।

श्री मानसिंह महार : जाऊंगा। मैं तो रूस में भी जाकर सेबोटेज कर आऊंगा। मैं उनसे भी ज्यादा बुद्धि रखता हूँ।

तो चेयरमैन महोदय, मैं गांवों के बारे में निवेदन करूंगा....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं, चेयरमैन महोदय, इतना निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य जिस राष्ट्र के बारे में यहां चर्चा करें तो कम से कम अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न पर काफी विवेक से बोलना चाहिए। रूस से हमारे सम्बन्ध मैत्री के हैं, कोई ऐसे नहीं हैं। तो बोलते समय इसको अवोइड करना चाहिए।

श्री मानसिंह महार : माननीय सभापति महोदय, अब मैं चीन के लिए कहा करूंगा। उन्होंने हमारी इतनी सारी जमीन दबा ली है। अगर माननीय मुख्य मंत्रीजी को अपनी मित्रता रूस के साथ कायम रखनी है तो मैं चीन के लिए बोलने की कोशिश करूंगा और अब तक जो मैंने रूस के लिए कहा है

(श्री मानसिंह महार)

वह चीन के लिए समझा जाये। मैं सब मित्रों को खुश रखना चाहता हूँ। तो चेयरमैन महोदय, मैं शहरों और गांवों की बात कह रहा था। मैं फिर एक बात को दोहराऊंगा कि गांवों में जो कुछ पैसा लगाया जाता है तो उसके रिटर्न में जो स्कूल बिल्डिंग सरकार बनाती है उसके लिए २।३ पैसा गांववालों से लिया जाता है, कुंए बनाने के लिए १।२ पैसा लिया जाता है और मामूली रास्ते, खुरें भी बनायें तो मदद भी आधी श्रम दान के रूप में ली जाती है। सरकार कहती है कि हमने डेवलपमेन्ट कर दिया। मैं विरोध नहीं करता। आप गांवों में जो भी काम करते हैं उसके लिए कहते हैं कि इतना हिस्सा-पैसा लाइये लेकिन शहरवालों से भी तो श्रमदान करवाइये। आप शहरवालों से श्रमदान करायें सड़कें बनवाने में, थोड़ा उनसे फावड़ा और कुदाला तो चलवाइये तब हम समझें कि आप सब को बराबर समझते हैं। आप हमको सौतेली मां की तरह क्यों ट्रीट करते हैं?

इसके अलावा चेयरमैन महोदय, मैं माइन्स वगैरह के बारे में थोड़ी देर ठहर कर कहूँगा पहले शिक्षा के लिए कह दूं।

श्री सभापति : थोड़ा समय का खयाल रखते हुए बोलिये।

श्री मानसिंह महार : सभापति महोदय, मेरी पार्टी को तो बहुत कम समय मिला है। जो स्पीकर साहब ने हमारे लिए टाइम दिया है, तय किया है वही ले रहा हूँ। हमारे शिक्षा मंत्रीजी के लिए मैंने देखा कि खादी बोर्ड वापिस उनके नीचे आ गया। पता नहीं पहले किसके नीचे था लेकिन मैंने अखबार में देखा है कि खादी बोर्ड वापिस उनको दे दिया है....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री) : कहीं नहीं गया था।

श्री मानसिंह महार : वह तो और भी दुर्भाग्य है। कम से कम दो, चार दिन के लिए चला जाता तो सुधार भी होता लेकिन वह फिर आ गया। खादी बोर्ड वह एक संस्था है जो महात्मा गांधी के नाम को कलंकित करती है। ऐसे गांधीवादी आदमी इस खादी बोर्ड के इन्चार्ज हैं तो मैं प्रार्थना करूंगा कि महात्माजी के नाम को कलंकित मत होने दो, महात्माजी के नाम को हम भी पवित्र रखना चाहते हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कब से वह भावना आई?

श्री मानसिंह महार : आप पैदा हुए उसके पहले से।

तो महात्मा गांधी के नाम को आप पवित्र रखिये। मैं मिसाल देता हूँ कि चौमू के खादी घर में लोगों ने जब स्वतन्त्र पार्टी को वोट दिया तो वहां के कतवाहों से क्या कहते हैं कि तुम्हारा सूत नहीं लेंगे क्योंकि तुमने स्वतन्त्र पार्टी को वोट दिये हैं। इससे बढ़ कर ओछापन नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं लानत है ऐसे कार्यकर्ताओं पर। मैं मंत्री महोदय से कहता हूँ कि आप मेरे साथ चौमू चलिये। वहां एक से नहीं; हजारों से इस बात का सबूत दिलवा सकता हूँ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : खादी बोर्ड में कार्यकर्त्ता नहीं हैं । चौमू संघ एक स्वतन्त्र संस्था है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : किसी ने नहीं कहा है; बल्कि वहां आपको ही दिये हैं । हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं ।

श्री मानसिंह महार : माननीय चेयरमैन महोदय, जयपुर में तो हमको सभी ने वोट दिये हैं मिनिस्टरों की औरतों ने भी हमको दिये हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : औरतों ने बदल कर वोट दिया मालूम पड़ता है ।

श्री मानसिंह महार : लेकिन मुझे यह कहना था कि इस प्रकार की जो तुच्छी बातें की जाती हैं वह अच्छी नहीं हैं और वह संस्था एक अपने आपको महात्मा गांधी के नाम से जोड़ती है और गांधीवादी नेता जिसके संस्थापक भी हैं । आप जैसे बुजुर्ग आदमी नहीं समझेंगे तो गलत बात है । आपको मैं फिर कहता हूं और दोहरा कर कहता हूँ कि आप चौमू मेरे साथ चलिये। एक से नहीं पांच हजार से सबूत दिला दूंगा । इसे करोड़ों रुपयों की सहायता दी जाती है । अगर आप संस्था के ऊपर कन्ट्रोल नहीं कर सकते तो आप ऐसी संस्था को बदल दो । मैं माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूँगा कि अगर आप उन संस्थाओं पर कन्ट्रोल नहीं कर सकते जिनके अन्दर भ्रष्टाचार हो रहा है । मैं कहता हूँ कि हमारे सरकारी विभागों में जितने भ्रष्टाचार होते हैं उससे दस गुना भ्रष्टाचार खादी बोर्ड में है । यही नहीं, जो जयपुर में खादी घर है उसके लिए कहूँगा कि उसके जो कार्यकर्त्ता हैं वे गांवों के अन्दर न्याय पंचायतों के अध्यक्ष बने हुए हैं और वह खादी घर से तनख्वाह पाते हैं । वहां न्याय पंचायतों में काम करते हैं और असेम्बली के चुनावों में एक महीने गैरहाजिर रहते हैं और यहां हाजरी होती है । आमेर में एक खादी घर बना है । वहां पर मुसलमानों के ताजिये निकालने का जो रास्ता है उसको रोक दिया । इसके लिए आपकी सरकार ने आज तक फैसला नहीं दिया । वहां पर दो वर्ष से ताजिये नहीं निकल रहे हैं । यह सरकार के लिए शर्म की बात है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी वजह से ताजिये ठंडे हो गए ।

श्री मानसिंह महार : मैं कहता हूँ कि यह जनतंत्र नहीं है बल्कि नादिरशाही से भी बुरा जमाना आ गया । आखिर दोस्तों को भी कड़वी बात कही जाती है । दोस्ती के वक्त दोस्ती भी निभाई जायेगी । अगर आप बीच में आयेंगे तो दोस्ती के साथ दिल खोल कर रहेंगे । मैं, चेयरमैन महोदय, यह कहूँगा कि मेरी इन साम्यवादी मित्रों से कभी नहीं पटेगी और मैं यह भी जानता हूँ कि मेरे मित्र असली साम्यवादी नहीं हैं । कोई लखपति अलवर की मण्डी का मालिक है, कोई ५० मुरब्बे दाबे बैठा है, लेकिन हमें क्या ? खाओ, पीओ और मोज करो । माननीय मंत्री महोदय नोट कर लें, वहां पर मुसलमानों के दो वर्ष से ताजिये नहीं निकले हैं और जिस जमीन पर कब्जा हुआ है उस जमीन के लिए आपके खादी बोर्ड ने पैसा दिया है ।

(३. ० म. प.)

आप कह सकते हैं कि वह प्राइवेट इन्डिविजुवअल की चीज थी, लेकिन आपने सहायता

(श्री मानसिंह महार)

दी है। आपको उस पर हक है। आप दबायें। ये खादी बार्ड के नाम पर करोड़ों रुपये बरता करते हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सहायता देने की शर्तें होती हैं। उन शर्तों का कहीं कोई पालन नहीं होता है तो बोर्ड हस्तक्षेप कर सकता है।

श्री मानसिंह महार: माननीय चेयरमैन महोदय, टालने के हर काम के १०० तरीके होते हैं। कत्ल करने के बाद भी आज आदमी बरी हो सकता है। अगर इस तरह से राउन्ड अबाउट वे में टालना है तो दूसरी बात है। मगर मैं जानता हूं किस तरह किसे........

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आक्षेप करने के भी कई तरीके होते हैं।

श्री मानसिंह महार : अभी तो आ-क्षेपों की शुरुआत ही हुई है, घबराइये मत। खादी बोर्ड से पैसा दिया है तो कम से कम कह सकते हैं कि नाजायज ज़मीन पर कैसे कब्जा किया है ? मैं जानता हूं कि वह तरीका होता है, लेकिन कहना नहीं चाहते........

श्रीनिरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): जमीन तो नाजायज नहीं होगी, तरीका नाजायज होगा।

श्री मानसिंह महार : Thank you for your advice. गल्ती हुई ; माफी चाहता हूं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसकी ओर ध्यान दिया जाय।

जयपुर शहर में इतने हायर सेकिन्डरी स्कूल और हाई स्कूल खोले जाते हैं, लेकिन यहां से ५ मील की दूरी पर आमेर है जो जयपुर की पुरानी राजधानी है और टूरिस्ट सेन्टर है वहां पर हायर सेकिन्डरी स्कूल नहीं है। इतनी बड़ी आबादी है, म्यूनिसिपल टाउन है। कितनी बैकवर्डनेस वहां पर है, लेकिन दिये के नीचे अन्धेरा है। आमेर में हायर सेकिन्डरी स्कूल नहीं है। आमेर वाले हो सकता है कि श्रमदान भी नहीं करेंगे, यह मैं यहां पर ऐलान करना चाहता हूं। आप जयपुर शहर में श्रमदान करवा लेंगे तो आमेर वाले भी कर देंगे; नहीं तो कभी नहीं करेंगे।

एक पोइन्ट और निवेदन करना चाहता था जिसकी मुझे बहुत कमी महसूस हुई, वह है टूरिस्ट फेसिलिटीज़ के बारे में। आज हमारे देश में जितनी आमदनी डालर्स की टूरिस्ट्स के आने से होती है उतनी और किसी चीज से नहीं होती। लेकिन टूरिस्ट फेसिलिटीज के लिए इस बजट में जिक्र भी नहीं है। राज्य-पाल महोदय के भाषण में भी नदारद और इस बजट में भी कोई बात नहीं है कि डेवलप-मेंट टूरिस्ट्स के लिए कर रहे हैं, किस तरह करेंगे, क्या है। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत भारी कमी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : स्पाइज़ को बुलाना चाहते हैं क्या ?

श्री मानसिंह महार : स्पाइज़ तो इस हाउस में बैठे हैं बाहर के क्या करेंगे बेचारे।

तो, चेयरमेन महोदय, मैं निवेदन कर रहा था टूरिस्ट सेन्टर है उसके डेवलपमेंट

Page No.70

(श्री मानसिंह महार)

के बारे में सरकार ने बिल्कुल आंख मींच रखी है और अब वह मेरे खयाल से और ज्यादा मींच लेंगे, क्योंकि मैं वहां से विरोधी दल का आदमी चुन कर आ गया हूं ।

अभी कुछ दिन पहले डिग्गी हाउस में गुप्त मन्त्रणा हुई है मन्त्रियों की, जिसमें कहा गया है कि जयपुर डिविजन से विरोधी ज्यादा तादाद में जीत कर आये हैं तो और ज्यादा इग्नोर होना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : डिग्गी हाउस में मन्त्री नहीं रहते हैं ।

श्री मानसिंह महार : डिग्गी हाउस में मन्त्री बनाने वाले जरूर हैं । यह ऐसी बात नहीं होनी चाहिये, ध्यान दिया जाना चाहिये । अगर कोई बात होती है तो प्रेम से होनी चाहिये । हम जीत गये तो क्या या उधर वाले जीत गये तो क्या, सब बराबर होने चाहिये - एक बार ट्रेजरी बैन्चेज पर बैठने के बाद सब बराबर होने चाहिये । उनको भूल जाना चाहिए कि वे कांग्रेस पार्टी के हैं । एक बार कुर्सी पर बैठने के बाद........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह जनता में गलतफहमी फैलाने के लिये xxxx नहीं छोड़े ।

श्री मानसिंह महार : xxxx में तो आप लोग ही पड़े रहते हैं दिन रात । हमें मालूम है कि अजमेर के xxxx मशहूर हैं ।

श्री योगेन्द्रसिंह हांडा : यह जयपुर का त्रिपोलिया गजट चल रहा है ।

श्री मानसिंह महार : त्रिपोलिया गजट ने तो xxxx, यह आपको मालूम होना चाहिये ।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि आमेर में टूरिस्ट फेसिलिटीज की ओर ध्यान देना चाहिए । बहुत सी पुरानी चीजें हैं उनको सरकार को सुधारना चाहिये । टूरिस्ट्स को एट्रेक्ट करने के लिए और काम करने चाहिए । वहां पर फर्स्ट क्लास रेस्टरां खोलना चाहिये, बहुत ही बढ़िया । टूरिस्ट्स आयें वे एट्रेक्ट हों, इस प्रकार की बात होनी चाहिए ।

इसके बाद, खादी बोर्ड के बारे में निवेदन कर दिया, सोशियल बोर्ड के बारे में और निवेदन कर दूं । सोशियल वैलफेयर की ओर थोड़ा सा ध्यान दें जिसके अन्दर हमारे कांग्रेसी भाइयों की स्त्रियां, बहिनें और कई रिश्तेदार हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस तरह से कहना गलत है । कुछ इन्स्टान्सेज़ दें ।

श्री मानसिंह महार : माननीय मोहन लाल सुखाड़िया की धर्म पत्नी हैं, मैं निवेदन कर दूं आपको इत्तिला के लिए, वह चेयरमैन हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : चेयरमैन होना अलग बात है और नौकर होना अलग बात है ।

श्री मानसिंह महार : नौकर भी सब वे ही हैं ।

---

xxxx अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये ।

xxxx अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सबूत के साथ बात करें। सदन में गलतफहमी न फैलायें।

श्री सभापति : आप भाषण जारी रखें।

श्री मानसिंह महार : आप चिन्ता न करें, मैं उनकी बात नहीं सुन रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनको तनख्वाह नहीं मिलती है सोशियल वैलफेयर बोर्ड से।

श्री मानसिंह महार : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि पार्टी बेसिस पर नहीं बनना चाहिये और सब लोगों का सहयोग होना चाहिये। वहां के एम. एल. एज़ को अपने विचार जाहिर करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अब के काफी विरोधी पक्ष के एम० एल० एज० आये हैं तो कम से कम आधे इलाके से हैं वहां विरोधी पक्ष से जायेंगे तो सही ढंग से चलेंगे। वहां आपको मालूम है कि क्या २ गड़बड़ियां होती है? मैं माननीय मित्र के कहने को जानता हूं। वे आपके विरोधी हैं, मेरे से आपके विरोध में पर्सनल बातें कहलाना चाहते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा। मैं नहीं कहूंगा, मैं इशारे से ही समझा दूंगा। मेरे मुंह से ऐसी गलत बात नहीं होने की। और उसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं आप दोनों को अपना मित्र मानता हूं।

श्री मानसिंह महार : दुनियां जानती है कि आप दोनों के दिल कहां हैं। आप ऐसी बात फर्मा कर लज्जित करते हैं, दा साहब!

तो मैं चेयरमैन महोदय, निवेदन कर रहा था कि सोशियल वैलफेयर, क्योंकि आज समय कम है उस पर बहुत कम कहूंगा और कट मोशन्स पर सब डिटेल्स दूंगा, लेकिन इसकी ओर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अब मैं आता हूं एक ही आइटम पर जिसमें पूरा समय लेकर भाषण समाप्त कर दूंगा। (मुख्य मन्त्री महोदय के सदन में प्रवेश करने पर) मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी पधार गये। इस आइटम को इसलीए रखरखा था। यहहै माइन्स विभाग। माइनिंग पर मैं अर्ज करूंगा। चेयरमैन महोदय, आज उन बेंचों पर बैठने वाले मेरे एक मित्र ने, उनका नाम मैं नहीं जानता, उनका डिविजन नम्बर भी नहीं जानता, शायद मेरे पूर्व वक्ता ही थे, बड़े मार्के की बात कही कि ८७ लाख की आमदनी में से ७० लाख की आमदनी तो गरीबों से होती हैं और १७ लाख यह जो बड़े २ महारथी हैं उनसे। मैंने इस प्रकार की बात पहले भी कही थी कि जिस पंचायत समिति में कोई बड़ी माइन है, मैं यह पट्टी कातरों की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं जहां लाखों, करोड़ों के सौदे तय होते हैं वहां पर कोई ताम्बे की खान है, कोई लोहे की खान है। मैं जानता हूं सरकार की मजबूरी है क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रॉयल्टी मुकर्रर है। उस रॉयल्टी से अधिक आप नहीं ले सकते। मैं आपकी डिफिकल्टीज को जानता हूँ। चेयरमैन महोदय, हमारी सरकार की जो मुश्किलात हैं उनको मैं जानता हूँ। लेकिन जानते हुए भी मैं बता सकता हूं कि उनसे कैसे निकला जा सकता है। आप पंचायत समितियों को अख्तियार दे दें। वे जो बड़ी माइन्स हैं उन पर पंचायत समिति के लेवल पर टैक्स लगावें। पंचायत समिति जो..........

एक माननीय सदस्य : वह दे रखा है।

श्री मानसिंह महार : वह माइन्स मंत्रीजी जानते हैं।

एक माननीय सदस्य : वह ५०) रू० तक लगाने का अधिकार है।

श्री मानसिंह महार : मैं कहना चाहता हूँ कि एक करोड़ जिस मोरीजा आयरन ओर की माइन से सेठ साहब कमा कर जेब में धर रहे हैं उनसे ५०) रु० का टैक्स लें तो मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर सरकार रॉयल्टी लेती है १०) रु० टन तो पंचायतों को ५) रु० टन की इजाजत दे दें तो देखिये क्या होता है। पंचायत समितियों को जितने भी टैक्स लगाने पड़ते हैं वे सब खत्म हो जायेंगे। वह एक ही टैक्स इतना हो जायेगा तो सारे टैक्सों की जरूरत है वह खत्म हो जायेगी। मैं आपको सुझाव देता हूँ, छोटी माइन्स के लिए नहीं कहता हूँ पर मोटी माइन्स के लिए कहता हूँ। मोटी मोटी माइन्स का एक नमूना सदन के समक्ष आपकी आज्ञा से पेश करना चाहता हूँ। मैं यह कहूँ कि हमारी सरकार कहती है कि हमारी श्रम नीति ऐसी है, लेकिन मेरे इलाके में तो दिवाला ही निकल गया है। वहां स्टेट की कोई श्रम नीति ही नहीं है। मैं जानता हूँ; क्योंकि मोरीजा मेरे से नज़दीक है, मेरे क्षेत्र में है। मोरीजा आयरन ओर माइन्स में एक रामसुख नाम के मज़दूर ने ७,८ वर्ष तक काम किया। वहां एम्प्लॉईज़ प्रोविडेण्ड फण्ड कटता है। वह रामसुख बीमार हो गया और एक साल से उसने नौकरी छोड़ दी। तो उसने मुझ से कहा कि मेरा प्रोविडेण्ड फण्ड कटा हुआ है और उस खान की तरफ जितना कटा है वही मुझे मिलेगा। तो इसमें यह कहा। अब मैं मिसालें दो पेश करता हूँ........

श्री सभापति (श्री भीमसेन) : मिसाल कटौती प्रस्ताव के समय पेश करें तो बेहतर होगा।

श्री मानसिंह महार : आधा बोल दिया है, उस समय ज्यादा लगेगा। उसका इतना प्रोविडेण्ड फन्ड कटने के बाद कितना गलत हिसाब रखते हैं माइन्सवाले, यह नमूना बताता हूं। यह लिखा है फोर रीजनल कमिश्नर, जयपुर ने कि आप के ७ वर्षों में ६ रु० १२ आने काटे गये हैं और ६ रु० १२ आने माइन ऑनर्स की तरफ से जोड़े गये हैं। ७ वर्षों में उसको पी० एफ० के रूप में १३।।) रु० मिले। यह माइन्स का नमूना है और सात वर्षों में सेठ साहब ने करोड़ों रुपये कमाये होंगे। आज मजदूर किसी प्रकार का विरोध करते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है। उनकी कोई फरियाद नहीं,कुछ नहीं। लेकिन यदि हम सदन में कहते हैं कि इस इन्डस्ट्रीपर टैक्स लगाना चाहिये, इसे लोकल रूप में ही करिये। यदि सरकार बाध्य है इसलिये कि भारत सरकार रॉयल्टी लेती है, आप ज्यादा नहीं लेते हैं तो उसको छोड़ दीजिये लेकिन कम से कम आप लोकल टैक्स की इजाजत दीजिये।

एक माननीय मित्र ने कहा कि ५०) रु० तक का टैक्स ले सकते हैं। मोरीजा माइन पर यदि कोई पंचायत समिति ५०) रु० का टैक्स लगाती है तो मैं यह शर्म की बात

(श्री मानसिंह महार)

मानता हूं। वह तो ऐसी खान है जिस पर २५ हजार या ५० हजार रुपयों का टैक्स लगाना चाहिये। यदि यह टैक्स लगाने की इजाजत दे दें तो पंचायत समिति को दूसरा कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनसे ५० हजार भी वसूल करें तो भी सेठ साहब छोड़ने वाले नहीं हैं। यदि वे छोड़ दें तो मैं उनसे दुगुनी रॉयल्टी दूसरों से दिला दूंगा। मैं छोटी माइन्स के बारे में नहीं कहूंगा। यदि उन पर टैक्स लगाने की बात कहेंगे तो मैं विरोध करूंगा। क्योंकि छोटी माइन्स छोटे छोटे आदमियों की उदर पूर्ति की चीज है। मैं तो बड़े बड़े पूंजीपतियों की बात कहता हूं जिन्होंने देश में कब्जा कर रखा है।

इसी तरह से सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि नया टैक्स चना और चने की दाल पर और जानवरों पर लगाया गया है। अरे भाई! बैलों पर तो रहम किया होता। बैलों के नाम पर तो आपने वोट लिये हैं और बैलों पर ही टैक्स लगाते हैं तो यह नुगरापन है। बैलों पर भी टैक्स लगाने लगे! अब वे १५ वर्ष के बूढ़े हो गये हैं, लड़खड़ा रहे हैं, अब उन पर टैक्स लगा दिया तो गिर पड़ेंगे। यह आपके भले के लिये हैं। फाइनल एप्रोप्रियेशन बिल के समय फौरन बैलों पर से टैक्स को विड्रा कर लें।

चना हमारे जानवरों का मुख्य चारा है....

एक माननीय सदस्य : आदमियों का भी है।

श्री मानसिंह महार: आदमी बहुत कम खाते हैं। चना खाने से मुझे मालूम है खुश्की पैदा होती है और बीमार हो जाते हैं। इसलिये आदमियों पर टैक्स हो तो कोई हर्ज नहीं। उनको तो जौ, गेहूं या बाजरा खाना चाहिये। चना जानवरों के लिये बहुत अच्छी चीज है। इसलिये निवेदन है कि चना, चने की दाल और बैलों पर टैक्स है वह गांववालों पर लगाया है। गांववालों को बचाइये इस टैक्सेशन से। मैं मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करता हूं कि इसको विड्रा करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो हम दूसरा जरिया बतावें, और तरीके हैं सरकार के खर्चे में कमी करने के लिये। हमें और किसी तरीके से नुकसान नहीं होगा, लेकिन यह जौ, चना, चने की दाल और जानवरों के ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : बिल्कुल एक मिनट में खत्म कर दीजिये।

श्री मानसिंह महार : मैं बिल्कुल कनक्लूड कर रहा हूँ। मैंने जो बातें निवेदन की हैं वे तो की हैं, लेकिन एक बात यह है कि आपने जो अपनी नीति बजट में रखी है वह गलत है। इतने पैसे आपने इन १० वर्षों में ले लिये कि राजस्थान, मैं कहता हूं, ने घुटने टेक दिये। अब आप नये नये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। उन पर लाखों, करोड़ों रूपये खर्च करते हैं; उन पर ध्यान दीजिये। मैं अपनी एक आखिरी मिसाल पेश करके अपना भाषण समाप्त करूंगा। यह मैं मुख्य मंत्रीजी की इन्फॉर्मेशन के लिये कहूंगा। जयपुर में कलकारों और मोरेना दो बांध हैं। उन पर

Page No.74

(श्री मानसिंह महार)

सरकार ने लाखों रूपये लगाये हैं, अच्छे बांध बन गये लेकिन आपको लेक आॅफ प्लानिंग का नमूना सदन के समाने पेश करता हूं। क्या मालूम पानी में खराबी है या जमीन की लेवल में खराबी हो गई है कि बांधों से पानी लेना किसानों ने बंद कर दिया है क्योंकि इन बांधों से पानी लेने से जमीन में खारड़ा पड़ जाता है। मैं मुख्य मंत्रीजी के सामने यह मिसाल इसलिये पेश करता हूं कि उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां धन्यवाद देंगी। लेकिन मैं कहता हूं कि कलकारों और मोरेना के लोग आपको धन्यवाद देते हैं। सब की काश्त खराब हो रही है, इस गलत काम की वजह से। इनका पहले सही ढंग से सर्वे कराना चाहिये था। इन बांधों पर जो लाखों रूपये लगाये हैं वे कुए में डाल दिये। यदि मुख्य मंत्रीजी इस बात को रिफ्यूट करते हैं तो मैं मान लूंगा। लेकिन परसों जिला परिषद के सामने यह चीज आई थी। आपके इंजीनियर ने कहा कि इतने हजार एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये ये बांध बनाये थे लेकिन काश्तकार पानी लेते नहीं हैं, कारण यह है कि जहां पानी जाता है वहां जमीन खारडा हो जाती है। इस तरह के अनप्लान्ड काम करते हैं तो उनका रिटर्न नहीं मिलता है। आपने इतने रूपये वे सब व्यर्थ चले गये। इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिये।

मुझे एक, दो बातें डवेलपमेन्ट की बतानी थीं, लेकिन अब नहीं बताऊंगा और चेयरमैन महोदय की आज्ञा को शिरोधार्य करता हुआ स्थान ग्रहण करूंगा।

श्री सभापति: श्री जयनारायण।

श्री जयनारायण (निवाई) : सभापति महोदय, बजट के संबंध में जो बहस हो रही है, अधिकतर सदस्य महानुभावों ने टैक्स का विरोध किया है और वह एक तरह से सही बात भी है। हमारे जैसे प्रान्त में इस तरह के टैक्सों का वजन है पब्लिक पर, गरीब जनता पर और इसके विपरीत हम इस प्रान्त को एक कल्याणकारी राज्य, समाजवादी प्रगति की ओर बढ़ता हुआ राज्य कहें, यह एक बेमेल बात है। इस राज्य के किसान, गरीब मजदूर, मध्यम श्रेणी के सरकारी कर्मचारी टैक्सों के बोझ से इस तरह दबे हुए हैं कि उनको सांस लेने की फ़ुरसत नहीं है। वे अपने आपको सिकंजे में जकड़ा हुआ महसूस करते हैं और फिर हम विधान सभा में बैठ कर या हमारे माननीय मंत्री महोदय कोठियों में पंखों के नीचे बैठ कर इस राज्य को कल्याणकारी राज्य कहें, यह कतई उचित बात नहीं है। आपको अगर सही स्थिति देखनी है, आपको अगर सही स्थिति का अवलोकन करना है तो आप उन किसानों से मिलिये, जो बेचारा मजदूर वर्ग है, उसके सम्पर्क में जाइये। अगर आपको जनता का सबसे ज्यादा विरोध मिलेगा तो इन टैक्सों के बारे में मिलेगा। जो टैक्स आवश्यक हैं, जिनके बिना काम नहीं चल सकता या जिनका असर उन गरीबों पर पड़ता है वे टैक्स वास्तव में लगने चाहिए। लेकिन हमारे यहां के अधिकतर टैक्स ऐसे हैं जिनका सीधा असर उन गरीबों पर पड़ता है, उन बेकस मजदूरों पर पड़ता है उन मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों पर पड़ता है जो अपनी आवाज आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं और उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा कर आप उन पर टैक्स पर टैक्स लगाये जा रहे हैं, यह शोभा की

(श्री जयनारायण)

बात है ?

टैक्स सरकार क्यों लगाती है ? इसमें एक रहस्य है। टैक्स गवर्नमेंट इसलिए लगाती है कि बिना टैक्स के इतना रुपया कैसे इकट्ठा हो, इतने डवलपमेंट के काम कैसे हों। और जितने डवलपमेंट के काम होते हैं, जितना रुपया टैक्स से इकट्ठा होता है उसमें ज्यादा गबन किया जा सकता है, उनमें अपने ज्यादा आदमी घुसाये जा सकते हैं, उनमें अपने ज्यादा आदमी पाले जा सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाती है और उसके द्वारा सारी राजनीति चलती है। यह पब्लिक पर अन्याय है। अगर आप किसी तरह अपने आदमियों का जरिया रखना चाहते हैं, किसी तरह अपने एजेन्ट कायम रखना चाहते हैं तो उसके लिए सोसेंज के अध्ययन करने के बाद इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। उस गरीब के पैसे से इस तरह खिलवाड़ करें और फिर कल्याण-कारी राज की शिक्षा दें, यह कतई नामुमकिन बात है।

टैक्स के सम्बन्ध में जितने माननीय सदस्य बोले और सुझाव भी दिये हैं उन सुझावों पर सरकार के पदासीन माननीय मंत्री महोदय को विचार करना चाहिए, उन पर मनन करना चाहिए और वाजिब बातों को मानना चाहिए। उन सब को इसलिए नहीं ठुकराना चाहिए कि ये सब सुझाव जो उपयुक्त हैं जो प्रजा की आवाज है, वे खिलाफ बैंचों की तरफ से पेश हुए हैं, इसलिए ये सुझाव नाकाबिल हैं, यह न मानने योग्य हैं।

टैक्सों के बाद मैं थोड़ा सा समाज कल्याण के सम्बन्ध में अर्ज करूंगा। समाज कल्याण एक ऐसा महकमा है जिसका उन गरीबों से सम्बन्ध है और उस महकमे की मन्शा है कि जो गरीब सदियों से पिछड़े हुए हैं उनको इस विभाग के द्वारा रिलीफ मिले। लेकिन जितना पैसा इस विभाग में देते आये हैं, लाखों का बजट होता है इस विभाग का लेकिन समाज कल्याण के मंत्री महोदय जो यहां विराज रहे हैं यह बताने की कृपा करेंगे कि जितना पैसा इस बजट में उन लोगों के लिए रखा जाता है उसमें से कितना पैसा उन तक पहुंच पाता है और कितना पैसा आपकी लाल फीताशाही पर खर्च हो जाता है और उसकी वजह से उन बेचारे गरीबों को जो बिना पढ़े लिखे हैं, जो आपके इन कानून कायदों को समझ नहीं पाते हैं कितनी परेशानी उठानी पड़ती है ? मैं अर्ज करूं कि ऐसे ऐसे उदाहरण मौजूद हैं, जहां दस-दस, पांच-पांच साल से, सात-सात साल से लड़कों को छात्र वृत्तियां नहीं मिल रही हैं और उनको नहीं मिल रही हैं जो फर्स्ट क्लास पास हैं और जो थर्ड क्लास पास हैं ऐसे लड़कों को छात्र वृत्तियां मिलती हैं।........

श्री सभापति : कृपया जल्दी समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री जयनारायण : ऐसे लड़कों को छात्र वृत्तियां मिलती हैं जो समाज कल्याण के होस्टल्स में रहते हैं। इसके सिवाय आपका विभाग का नाकाबिलापन इससे साबित होता है कि दो-दो जगह से छात्रवृत्तियां मिलती हैं, लड़के दो-दो जगह से छात्र वृत्तियां प्राप्त करते हैं। ऐसे लड़कों को छात्रवृत्तियां मिलती हैं जो होस्टल्स में रहते हैं लेकिन ऐसे ऐसे

Page No.76

(श्री जयनारायण)

लडकों को दस, दस साल से छात्र वृत्तियां नहीं मिल रही हैं जो फर्स्ट क्लास पास हैं और कानूनन एप्लाई करते हैं। यह समझ में नहीं आता है....

श्री सभापति : आप प्रस्तुत मांग के वक्त ये बातें कह सकते हैं।

श्री जयनारायण : अब मैं पंचायत समितियों के अध्यापकों के लिए अर्ज करूंगा क्योंकि इस विभाग के मन्त्री महोदय विराजमान हैं। उन अध्यापकों के लिए जो मैट्रिक पास करते हैं और एक साल अपने खर्चे से ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद वे आपके विभाग में पदार्पण करते हैं उनको आप पंचायत समिति में लगा देते हैं। उनके लिए, सरकार क्या सोच रही है? उनकी प्रगति के लिए उनके विकास के लिए सरकार के पास क्या योजना है? क्योंकि पंचायत समिति में जितने भी स्कूल है वे पिछड़े दर्जे के स्कूल हैं और उन पिछड़े हुए स्कूलों में जो अध्यापक महोदय हैं वे बड़े उच्च स्तर के हैं। उनका विकास होना चाहिए। इसलिए उनको मिडिल स्कूल में ट्रांसफर कर देना चाहिए। और मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में ट्रांसफर कर देना चाहिए। उनके लिए पेन्शन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे मालूम हुआ है कि इस तरफ सरकार कुछ करने का विचार नहीं रखती है। मैं समझता हूं कि पंचायत समितियों के अध्यापकों को पेन्शन दी जायेगी या नहीं, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री गोकुलचन्द।

कृपया पांच मिनट में समाप्त कर दें।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर) : सभापति महोदय, वित्त मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये भाषण का वही हिस्सा चर्चा का विषय रहा है जिसको उन्होंने अपने भाषण में बदजायका बताया है। इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने इस बात को माना है। सदन की राय में यह जो बदजायका हिस्सा है वह है टैक्स का और इस बारे में वैसे तो बहुत सी बातें भावुकतापूर्ण आई हैं लेकिन वास्तव में इस समस्या को हल करने के लिए यदि कोई हल निकाला जाय तो इसमें दो राय नहीं हैं कि टैक्स लगने चाहिए और टैक्स के बिना यह लोकतांत्रिक प्रणाली सफल नहीं हो सकती। एक तरफ तो हम लोग यह इच्छा करते हैं कि देश में विकास हो, गांवों का विकास हो और उनके लिये बड़ी बड़ी योजनायें हों, उनसे गरीब जनता को लाभ पहुंचे, दूसरी ओर यह कहते हैं कि गरीब जनता पर टैक्स का बोझ न पड़े। तो ये बातें कुछ मेल नहीं खाती हैं। लेकिन यह बात जरूर है कि यह जो टैक्स के मामले हैं इनमें उलट फेर किया जा सकता है। और उसको थोड़ा सा भी कुछ न्याय की दृष्टि से देखा जाय तो वास्तव में यह गड़बड़ी जरूर हुई है बजट बनाने में। क्योंकि टैक्स जिस पर लगना चाहिए उस पर न लग कर ऐसे लोगों पर ज्यादा असर करता है जो वास्तव में गरीब हैं। मैं समझता हूँ कि उनको इससे बचाना चाहिए। लेकिन यहां पर टैक्स लगाने का सवाल नहीं है; टैक्स को बढ़ाये जाने का सवाल है। यह रकम १२८ लाख रुपये की जो टैक्स बढ़ाने के लिए रखी गई है, मैं इसमें थोड़ा उलट फेर निवेदन करना चाहता हूँ। यह आबकारी कर

(श्री गोकुलचन्द)

एक लाख रुपये रखा है और यात्री कर का २५ लाख रखा है। मुझे यात्री कर के बारे में ज्यादा ध्यान दिलाना है सरकार का; क्योंकि यात्री कर की जो पोजीशन है यह बहुत ही मंहगी बनती जा रही है, यह बहुत मंहगी बन गई है और बनती जायेगी। क्योंकि मुझे याद है जब १९५७ में मैं यहां आया था उस समय अलवर से जयपुर का असल किराया २ रु० ७५ नये पैसे था और जब पहली बार टैक्स लगा उस समय वह किराया ३ रु० ६ पैसे हो गया यानि २५ प्लस ६ पैसे बढ़ गये। बीच में ऐसा मौका और आया उस समय १३ पैसे बढ़े। शुरू में हुआ उस समय दो आने बढ़े उसके बाद १३ नये पैसे और बढ़े तो ४७ पैसे और बढ़े। आज हम देखते हैं कि ४ रु०, १६ पैसे अलवर से जयपुर तक का किराया देना पड़ता है और अब आप ५ परसेन्ट टैक्स और बढ़ाते हैं तो वह कुल मिला कर ५८ पैसे हो जाते हैं, जो अलवर से जयपुर में किराये के रूप में काफी बढ़ जाता है। आपने यह टैक्स तीसरी बार बढ़ाया है, तो आगे के लिये भी क्या गारन्टी है कि आगे कोई कर नहीं बढ़ाया जावेगा? मैं यह कहूँगा कि अगर इस २५ लाख की यह आमदनी किसी दूसरी तरफ डाल दी जावे तो कोई कठिनाई नहीं आवेगी। अगर आपको वास्तव में गरीब आदमियों को टैक्स के बोझ से बचाना है तो मैं आपको इसके लिए एक सुझाव देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि यह सुझाव हमारे वित्त मंत्री के समझ में आ जावेगा।

आपको कुल १२८ लाख रुपया चाहिये। आबकारी कर में आपको १५ लाख की आय होगी। उसमें आप ५ लाख और बढ़ा दीजिये। इस प्रकार वह ५ लाख को कमी को पूरी करेगा और जो २५ लाख की रकम आप यात्री कर के रूप में लेना चाहते हैं उसको समाप्त करिये। आपके ५ लाख आबकारी में बढ़ जाते हैं तो बाद में २० लाख रुपये रह जाते हैं। इसको आप अंग्रेजी शराब पर लगा दें। क्या कारण है कि जब आपने देशी शराब पर टैक्स लगाया है तो अंग्रेजी शराब पर यह टैक्स नहीं लगाया जाए? आपका इस पर टैक्स नहीं लगाने से मतलब क्या है? मैं समझता हूँ कि आपका मतलब यही है कि इस अंग्रेजी शराब को ऐसे लोग पीते हैं या इस्तेमाल करते हैं जिनका आपको लिहाज है। जब आप देशी शराब पर कर बढ़ाते हैं और लगाते हैं तो अंग्रेजी शराब पर भी आपको कर लगाना चाहिये। मेरा खयाल है कि यह २० लाख की कमी है वह पूरी हो सकती है। ५ लाख आप देशी शराब पर बढ़ा कर इस घाटे को पूरा कर लीजिये।

अब रहा मनोरंजन कर और बिजली पर कर के बारे में। बिजली कर के १५ लाख रुपये ऐसे हैं.......

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री गोकुलचन्द : अच्छा मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूँ।

आपने कहा है कि रेलवे के डिब्बे वगैरा

(श्री गोकुलचन्द)

कारखानों में बनते हैं उससे आपने यह कर माफ कर दिया है। आप इसमें कर लगाना नहीं चाहते। मेरा यह निवेदन है कि कारखाना जो लोग लगाते हैं वह कमाने के लिये लगाते हैं। वे लोग कोई किसी को खैरात नहीं करते। अगर उन पर कोई थोड़ा टैक्स बढ़ जावे तो कोई बुराई नहीं है। उद्योग धन्धों में बिजली लगती है उसमें कर देना चाहिये। लेकिन हमारी ज्यादा चिन्ता का विषय यह है कि जहां पर टैक्स लगाने की गुंजाइश है वहां टैक्स नहीं लगाये जाते हैं। गरीब मजदूर गांवों में शराब पी कर बहुत मस्त रहते हैं। मैं उन लोगों को जिनकी शराब पीने की आदत है उनको देखता हूँ तो मुझे अनुभव होता है कि वह गरीब थोड़ी सी शराब पी कर मस्त हो जाता है और अपने सभी दुखों को भूल जाता है। उसको उसी उस प्रकार का संतोष होता है जैसा बढ़िया कोठी में रह कर लोगों को संतोष होता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मजदूर जिसकी आदत है वह ५ आने की शराब पीकर मस्त रहता है। मैं यह जरूर कहूंगा कि शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। यह बुरी चीज है और बुरी चीज को अच्छी नहीं कहा जा सकता।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

लेकिन अगर कोई आदमी इस वजह से शराब पीता है कि उसके पीने से वह अपने दुखों को भूल जाता है और मैं यह कहूंगा कि उसके लिये दोषी कोई भी है तो वह हमारी सरकार है। हमारी सरकार को चाहिये कि इस शराब को बन्द करे।

मैं यह कहूंगा कि बिजली पर टैक्स नहीं लगना चाहिये और दूसरे तरीके टैक्सों के हैं उनको काम में लिया जाना चाहिये। दूसरे तरीके से टैक्स लगाना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति, इस सदन में इस साल के प्रस्तुत बजट पर पिछले तीन दिनों से और आज चौथे रोज बहस चल रही है और इस बहस के दौरान में इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने, जो इस ओर बैठनेवाले हैं या उस ओर बैठनेवाले हैं, हिस्सा लिया है और उस बहस से जो कुछ मुद्दे सुनने में आये हैं उसमें खास तौर से कुछ मुद्दे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या सहकारिता के बारे में इस सदन के माननीय सदस्यों ने उठाये। उसके बारे में मैं शोर्ट में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ; क्योंकि सदन का समय पांच बजे तक का हो है और सदन के नेता और माननीय वित्त मंत्री को भी अपने भाषण देने हैं। इसलिये मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेकर कुछ बुनियादी मुद्दों पर जो माननीय सदस्यों ने उठाये हैं उसकी ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

खास तौर से जनसंघ के नेता, जिन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में कहा, उन्होंने इस बात को कबूल किया कि राजस्थान में वास्तव में खेती का उत्पादन बढ़ा है लेकिन उन्होंने एक गम्भीर मसला उठाया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा है लेकिन पर एकड़ प्रोडक्शन कम हुआ है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

यह बात उन्होंने पहले भी कही थी और मैंने उसका पहले भी उत्तर दिया था और बाद में फिर जांच पड़ताल की । यह ठीक बात है कि हमारे राजस्थान में जैसा पहले भी मैंने सदन के सामने रखा है और फिर भी दोहराना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दूसरी पंचवर्षीय योजना में जहां लक्ष्य हमारा ८ लाख का फूड प्रोडक्शन का था वहां ११ लाख टन हमने राजस्थान में प्रोड्यूस किया । इसका गौरव मुख्य तौर से सिंचाई को है । इस सिलसिले में कुल ४२ लाख एकड़ नई भूमि हमारे राजस्थान में कल्टीवेशन के नीचे आई है। इसमें करीब १० लाख एकड़ बैरानी जमीन थी उसमें बेरों की वजह से सिंचाई हुई; छोटे इर्रिगेशन और बड़े इर्रिगेशन से सिंचाई हुई । बांधों से भी सिंचाई हुई । यह इर्रिगेशन जो बेरों से बढ़ी है इस हिसाब से जहां पर बेरों से सिंचाई होती है वहां पर प्रोड-क्शन हमेशा बढ़ता है और जहां पर बांधों से सिंचाई होती है वहां पर अनसर्टेनटी रहती है । खास तौर से यहां पर दो तरह से इर्रिगेशन होता है । एक प्रकार से पेरीनियल इर्रिगेशन और नॉन पेरीनियल इर्रिगेशन जो बरसात का पानी रोक कर बनाया जावे वह पानी जो रूकता है वह रेनफॉल पर डिपेन्ड करता है । जिस साल ज्यादा वर्षा होती है, पानी बरसता है तो ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी नहीं बरसता है तो वह सूखा रह जाता है । इसलिये नॉन-पेरीनियल रिसोर्सेज हैं उनसे किसानों के दिमाग में हमेशा अनसर्टेन्टी रहती है कि कितने रकबे में पिलाई हो सकेगी । इसके अलावा खास तौर से ऐसे नॉन पेरीनियल इर्रिगेशन के नीचे ज्यादा जमीन ऐसी होती है इसमें नई जमीन इर्रिगेशन के नीचे आती है उसको लेवल करने में समय चाहिये और वह विकास के साथ में जोड़ी जाती है । इस सदन के माननीय सदस्य जो किसानों से सम्बन्ध रखते हैं या जिनका गहरा संबंध किसानों से रहा है....

(३.३८ म.प.)

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष पुनः पदासीन)

वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे वह पेरीनियल या नॉन पेरीनियल हो या चाहे कुओं की सिंचाई उसमें होती हो मगर उस जमीन को किसानों को पहले बनानी पड़ती है और उसमें कुछ समय लगता है और उसमें कितना समय लग सकता है। यह वहां के रिसोर्सेज हैं उन पर निर्भर करता है कि कितने समय में वह जमीन को लेवल बना कर ठीक ढंग से, अच्छी तरह से, खेती के काम की कर सकेंगे ।

यह ठीक बात है कि चम्बल के बारे में कोटा से आनेवाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं । नहर बन गई, करोड़ों रुपये लगे । उसके बाद भी यह हालत है कि किसानों को समय पर पानी नहीं मिलता है और कहीं किसानों को खेतों में ज्यादा पानी पहुंच जाता है और कहीं पानी पहुंचना चाहिये वहां नहीं पहुंचता ।

अध्यक्ष महोदय, भाखरा या चम्बल की नई नहरें बनी । चम्बल का इर्रिगेशन शुरू हो चुका है और भाखरा का भी अगले साल से

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इर्रिगेशन शुरू हो जावेगा। कहीं पर जमीन का लेवल ठीक नहीं होने से और कुछ नहर में लीकेज होने से कुछ हो सकता है। लेकिन इन समस्याओं को लेकर हम किसानों के दिमाग को इतना बदलने की कोशिश करें कि यह सरकार उनको बर्बाद कर देगी और उनको खा जायेगी, यह बात कतई ठीक नहीं होगी।

इस प्रकार का विकास किया जाता है चाहे वह पेरिनियल इर्रिगेशन से किया जाता है, चाहे नॉन पेरिनियल इर्रिगेशन से किया जाता है, और चाहे कुओं के इर्रिगेशन से किया जाता है इनके परिणाम अवश्य लाभदायक निकलेंगे। हां, इनमें और अधिक श्रम, शक्ति और पैसा लगाने की आवश्यकता है। इसके लिये किसान अपने रिसोर्सेज लगाते हैं। इसके लिये सरकार उनको आर्थिक सहायता और दूसरी तरह की मदद देती है। उसके बावजूद भी समय लगेगा जब कि मेग्जिमम प्रोडक्शन जमीन में हो; इस लेवल पर उस जमीन को ला सकें। १० लाख एकड़ नई भूमि में सिंचाई बढ़ाई गई। इसकी वजह से भी क्योंकि वहां दो क्रॉप्स पैदा होती हैं, पहले एक क्रॉप होती थी, अब दो होने लगी हैं इसकी वजह से उस जमीन की फर्टिलिटी भी लोवर डाउन हुई है। इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाना, नये इम्प्लीमेंट्स को काम में लेना ये सारी बातें कोई सोचे कि ६ महीने में, एक साल में या दो साल में कर दी जायं, इतनी आसान बात नहीं है।

नहरों के बारे में यह बात कही कि नहरों पर लीकेज होता है; यह ठीक है। उसको ठीक कराने के लिये ड्रेनेज की प्रोब्लेम पहले भी सरकार के ध्यान में थी। उसको सरकार ने हाथ में ले रखा है कि किस तरह जमीन का लेवल ठीक करके ड्रेनेज की प्रोब्लेम को सोल्व करके लीकेज को रोका जाय और इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि फालतू पानी किसानों की जमीनों में न पड़ा रह कर नदियों में, बांधों में डाल दिया जाय। यह भी कहा गया कि कौनसी जमीन में किस तरह की फसल अच्छी हो सकती है, इस बारे में कोई सर्वे नहीं किया गया है, यह कहना गलत है। चम्बल के बारे में जब से यह स्कीम चालू हुई थी कमान्ड एरिया में आने वाली जमीन में स्टाफ लगा कर जांच करा ली गई थी कि कौनसी जमीनों का लेवल क्या है, किस प्रकार की जमीन में, किस प्रकार की फर्टिलिटी में किस किस प्रकार की फसल अच्छी हो सकती है, किस जमीन में किस प्रकार के फर्टिलाइज़र्स की कमी है, किसमें नाइट्रेट्स की, फॉस्फेट्स की आवश्यकता है। जो सदन के माननीय सदस्य जागरुक हैं वे जानते होंगे कि चम्बल के बारे में बहुत बड़ी रिपोर्ट्स भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से प्रकाशित हो चुकी हैं। किस तरह के फर्टिलाइजर्स देने से कौनसी क्रॉप अच्छी होती है, यह सारी बातें जनता की जानकारी में लाने की कोशिश की गई है। इसके प्रचार के लिये सारी की सारी संस्थाएं जो इस कार्य से सम्बन्ध रखती हैं पूरी तरह से प्रयास करती हैं। पर इतने बड़े काम को चलाने के लिये समय की निश्चित तौर से आवश्यता रहेगी। जैसा कि मैंने निवेदन किया १० लाख एकड़ डबल क्रॉप्ड एरिया हुआ है, दूसरी जमीनें खेती के नीचे आई हैं, १४ लाख एकड़ ऐसी जमीनें, जिन्हें एक प्रकार से मार्जिनल सब-मार्जिनल किस्म की जमीनें कहा जा सकता है; वे जमीनें किसान

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अपनी खेती के नीचे लाया है। मार्जिनल, सब-मार्जिनल किस्म की जमीनों में काश्त की जाय तो यह मानी हुई बात है कि जो अच्छी किस्म की जमीनें हैं उन अच्छी किस्म की जमीनों में जितना उत्पादन होगा उतना इन जमीनों में उत्पादन नहीं हो सकता। इनमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये इन जमीनों में लेवल लाने और रिसोर्सेज लगाने की, अन्य आधुनिक अच्छे साधन लगाने की आवश्यता रहेगी। इस सब को करने के लिये, किसान के लिये और सरकार के लिये-दोनों के लिये समय की आवश्यकता रहती है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रोडक्शन निश्चित तौर से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ क्रॉप्स में कुछ कम हुआ है, कुछ में जरूर बढ़ा है। वीट के बारे में जो हमारा प्रोडक्शन सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में बनता था वहां पर एकड़ ८८४ पाउण्ड पर यूनिट प्रोडक्शन बनता था। अब वह ७८८ है तो इसमें ७ परसेंट कमी हुई है। इसी तरह बारली में ७.९ परसेंट की कमी हुई है, बाजरे में ४.४० परसेंट की पर एकड़ यील्ड में कमी हुई है। कॉटन में १.४१ परसेंट प्रोडक्शन बढ़ा है, १९ प्रतिशत प्रोडक्शन चने में बढ़ा है। तो कुछ में घटा है, कुछ में बढा है। इन सारी चीजों को पूरा करने के लिये, तृतीय पंचवर्षीय योजना में ये साधन उपलब्ध कराने के लिये सरकार किसानों को मदद देगी। पर मैं यह नहीं कहता कि जितने साधनों की किसानों को आवश्यकता है वे सारे के सारे साधन किसानों को मिल जायेंगे। तो इस तरह हमें समय की आवश्यकता है और इससे सम्बन्धित विभागों के लोगों की शक्ति, जनता की शक्ति, किसानों की शक्ति इन सब को साथ में मिला कर, जितनी भी शक्ति और साधन हैं उनको सब को जुटा कर नये ज्ञान और नये साधन किसानों को उपलब्ध कराने को आवश्यकता है। वह आवश्यकता पूरी की जायेगी।

जनसंघ के नेता ने कहा कि यह समाज देश के पूंजीपतियों के नीचे दबता जायेगा, औद्योगीकरण के नाम पर मिलों के लाइसेंस मिले हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अब तो समय लगेगा पर पिछली दो योजनाओं में राजस्थान की जनता की पर केपिटा इन्कम बढ़ी है और यह देखने की बात है कि वह जो पर केपिटा इन्कम बढ़ी है वह एनीमल हस्बेन्डरी और एग्रीकल्चर की योजना से राजस्थान की जनता की आमदनी में बढोतरी हुई है। जहां एग्रीकल्चर और एनीमल हस्बेन्डरी के जरिये लोगों की पर केपिटा इन्कम बढ़ती है तो यह माना जायेगा कि वितरण ठीक हुआ है। इसके लिये उन्होंने कहा कि मालदार और मालदार बनते जा रहे हैं, यह ठीक नहीं। एनीमल हस्बेन्डरी और एग्रीकल्चर के जरिये राजस्थान की जनता की पर केपिटा इन्कम बढी है वहां वितरण सही और ठीक माना जाता है। देखा जाय तो हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों और इलाकों के मुकाबले में राजस्थान का वितरण ठीक हुआ है। अगर पर केपिटा इन्कम बढने के फीगर्स को देखें तो पता चलेगा कि जितना फेयर डिस्ट्रिब्यूशन राजस्थान में हुआ है उतना और कहीं नहीं हुआ है। साथ ही, उन्होंने कहा कि यह मुल्क पूंजीवाद की ओर जा रहा है। न पूंजीवाद से और न दूसरे तरीकों से समाजवाद आ सकता है। मैं तो इसके

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लिये एक ही तरीका एक ही रास्ता रखता हूं और वह रास्ता है सहकारिता का रास्ता। किसी गरीब देश को आगे बढ़ाने के लिये जब पूंजीवाद या साम्यवादी व्यवस्था की तरफ नहीं जांना चाहते तो बीच का रास्ता सहकारिता का रास्ता हो सकता है। सब लोगों को मिल कर श्रम और अन्य साधनों को हर तरह से जुटाना पड़ेगा कि सब मिल कर देश के उत्पादन को बढ़ायें। उन्होंने कहा कि क्रिया शक्ति को बढ़ाना होगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कैसे बढ़ायेंगे क्रिया शक्ति को जब तक कि सहकारिता को नहीं बढ़ायेंगे? क्रिया शक्ति को बढाने के लिये सहकारिता को हर क्षेत्र में लागू करना पड़ेगा। इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं हो सकता। हर प्रोग्राम को सहकारिता के आधार पर लिया जाय, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उत्पादन, मार्केटिंग, कन्ज्यूमर्स को चीजों का डिस्ट्रिब्यूशन आदि जितने भी क्षेत्र हैं उन सब क्षेत्रों में सहकारिता को बढाना होगा। देश की कांग्रेस सरकार ने इसे अच्छी तरह से महसूस किया है और सहकारिता को सारे क्षेत्रों में प्राथमिकता दी है। हमने इसके लिए तैयारी की है और हम देश के सब लोगों को सहकारिता की कड़ी में बांधना चाहते हैं ताकि उनके जरिये ज्यादा उत्पादन खेती के अन्दर करवा सकें। इसको ध्यान में रखते हुए जिला सेवा सहकारिता समितियों का गठन किया है।

खास तौर से विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने कहा कि सामुहिक खेती की ओर एकदम बात नहीं सोचनी चाहिये; बल्कि सहकारी समितियों को एक्सपेरिमेन्टल तौर पर बना कर करना चाहिये। वे समितियां भी ठीक तरह से नहीं चलती हैं। माननीय अध्यक्ष, मैंने कई बार बताया है फिर भी मांग के दौरान में बहस का मुद्दा होगा तो निश्चित तौर पर कह सकूंगा और विश्वास दिला सकूंगा सदन को कि राजस्थान में सहकारी समितियां जो कुछ भी थोड़े से समय में गठित हुई हैं वह कितने परसेन्ट में कितने लाभ और कितनी हानि में हैं और कितनी न लाभ में और न ही हानि में हैं। ये सहकारी समितियां ज्यादातर आम तौर पर ठीक काम कर रही हैं।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर): ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन सर, आप से पूछना चाहता हूं कि आप सहकारी समितियों को एन्करेज करने के लिए तैयार हैं? आपके पास कोई ऐसी चिट्ठी पत्री है सहकारी समितियां खोलने के बारे में?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो हमारी नीति है। हम परिवारों को सहकारी क्षेत्र में लाना चाहते हैं और उस नीति को हम पूरा करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक। करीब ६५ परसेन्ट तक सहकारी सेवा समितियों में बांधना चाहते हैं, यह हमारी नीति है।

सहकारी खेती के बारे में इस पक्ष से या उस पक्ष से बातें कही गई हैं। निश्चित रूप से यह हमारी नीति है और हम इसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ३०० ऐसी खेती की सहकारी समितियां बनाना चाहते हैं जो अच्छे तरीके से काम करें और स्वेच्छा से अपनी जमीन को एक साथ पूल करके जो उस सम्बंध में रूल्स और बाइलॉज हैं उनको मानते हुए

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अच्छा काम चलायें। उनको विशेष तौर से मदद देने के लिए, उनको टैक्निकल गाइडेन्स देने के लिए और किसी किस्म की मदद देने के लिए सरकार तैयार है। पायलेट प्रोजेक्ट एरिया में बनाई है वालेन्टियेरिली लोगों ने और वे अच्छी तरह से काम कर रही हैं। किसानों ने इनकी मांग करके बनाया है, वालेन्टियरिली बनाया है, अपनी जमीनों को किसानों ने एक साथ पूल किया है और ३०-४० हजार एकड़ जमीन को मिलजुल कर उसमें काम करने के लिए इसको किया है। किसानों को यह कहना कि उनकी जमीन चली जावेगी, उनकी जमीन स्टेट के नीचे आ जावेगी, यह केवल गलत प्रचार है, माननीय अध्यक्ष महोदय और इस तरह के गलत प्रचार से किसान जिनके पास टैक्निकल गाइडेन्स नहीं है, जो इन सहकारी समितियों को वालेन्टियेरिली, स्वेच्छा से अपनी जमीनों को एक साथ पूल करके चलाना चाहते हैं और अपने को ऊंचा उठा सकते हैं वे अपनी स्वयम् की इच्छा से ऐसा करना चाहते हैं। उनके लिए इस प्रकार के गलत प्रचार से बाधा उत्पन करते हैं तो यह उनके हित में नहीं है। हमको भ्रम में नहीं रहना चाहिये। वालेन्टियेरिली किसान इन संगठनों को बनाते हैं और उन्होंने बनाये हैं गत एक, डेढ़ साल में और उससे उनको लाभ भी हुआ है। प्रोडक्शन का प्रोग्राम बनाया वह कामयाब हुआ है। रिसोर्सेज को पूल किया है, वितरण किस प्रकार हो, किस प्रकार पेमेन्ट हो; इसके लिए ये सहकारी समितियां बाई लॉज के अनुसार काम करती हैं। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि किसानों को पांव जमा कर काम करने से इससे किसानों को फायदा मिला है। वे कहते हैं कि सैकड़ों किसान इसको नहीं मानते हैं। मैं भी सारे राजस्थान में घूमता हूँ, मुझे तो एक भी किसान ने ऐसा नहीं कहा बशर्ते कि सही माने में वह इस प्रोग्राम को समझता हो। गलतफहमी से कोई किसी किसान से कहला सकता है। मुझे तो ऐसा कोई किसान नहीं मिला जो इस सहकारी खेती को सही माने में नहीं मानता हो। तो इस प्रकार के मुद्दे हैं। ठीक वातावरण में पनपा कर विकेन्द्रीकरण की गई संस्थाओं के बारे में लोगों को समझा कर, उनको ट्रेनिंग देकर विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता; क्योंकि सदन के माननीय नेता और वित मंत्रीजी अपना भाषण देंगे। मांगों के समय मुझे समय मिलने पर मैं इस सम्बन्ध में और भी स्पष्टीकरण करूंगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट की बहस के दौरान में इस सदन में काफी चर्चा हुई। कुछ अच्छे सुझाव भी इस सदन के समक्ष आये थे नॉन टैक्स रैवेन्यू बढ़ाने के बारे में और इकॉनोमी करने के बारे में, और प्रकार के सुझाव भी थे। उनका मैं स्वागत करता हूँ। हम अपनी तरफ से जो भी इकॉनोमी संभव हो उसको करना चाहते हैं। पिछले वर्ष ६० लाख के करीब की इकॉनोमी कर पाये। इस वर्ष ५० लाख की इकॉनोमी के बारे में इस सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा गया है, और भी इसके ऊपर जो कुछ विचार किया जा सकता है गम्भीरतापूर्वक उस पर विचार किया जावेगा।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इस बहस के दौरान में मुझे अध्यक्ष महोदय, यह सुन कर कुछ अफसोस होता था कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति को एक इस प्रकार से बताने का प्रयत्न किया गया कि जिसमें कुछ माननीय सदस्यों ने तो 'दिवालियापन' और न मालूम किन किन शब्दों का प्रयोग करना उचित समझा। मैं सबसे पहले तो माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में जो कुछ हम बहस करते हैं वह बहस केवल एक दूसरी राजनैतिक पार्टियों को नीचा दिखाने के लिए या तारीफ के लिए ही सीमित नहीं रह जाती है, बल्कि उस बहस का असर कुछ व्यापक तौर से और भी होता है। खास तौर से जब कि हम आज एक पंचवर्षीय आयोजन चलाते हों, हमें मार्केट में लोन्स के लिए जाना होता है, भारत सरकार के पास आगे अपनी स्टेट के विकास को बढ़ाने के लिए अपनी स्थितियों को रखना होता है उस वक्त मैं यह अगर दर्ख्वास्त करूं माननीय सदस्यों से तो अनुचित नहीं होगा कि हम वित्तीय स्थिति के बारे में जो कुछ भी कहें उसको काफी गम्भीरता के साथ राजनैतिक पहलू को उसके साथ मिलाये बिना, कहें तो राजस्थान की दृष्टि से ज्यादा उपयुक्त होगा।

जहां तक राजस्थान की वर्तमान स्थिति का सम्बन्ध है, मैं इस सदन को पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कोई दिवालियापन या उस जैसा कोई सवाल खड़ा नहीं होता है।

(४. म. प.)

जो हमारे यहां पर अकाउन्टेन्ट जनरल के जरिये असेटस् और लाइबिलिटीज का फाइनेन्स अकाउन्ट तैयार किया जाता है उन फाइनेन्स अकाउन्ट्स के आधार पर ही हम पब्लिक लोन फ्लोट करते हैं, जिनको आधार मान कर ही पब्लिक लोन सब्स्क्राइब करती है। उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ ३१ मार्च, १६६१ तक जो राजस्थान की स्थिति है उसके अनुसार राजस्थान की असेट्स की पोजीशन १७४.३७ लाख रुपया है और जो हमारी लाइबिलिटीज है उसको कुल मिला कर १६० करोड़ के करीब होती है और एक्सेस ग्रान्ट जो ली है वह १४ करोड़, ३७ लाख रुपया है, जो हमारी लाइबिलिटीज और असेट्स से ज्यादा है। जो हमारे पर कर्जा है उस कर्जे को इस लाइट में देख कर चलना होगा जैसे मामूली गृहस्थ भी होता है और वह कर्जा लेकर मकान बनाता है उसको दिवालिया नहीं कहते। इसी तरह से अगर हमने कर्जा लिया है भाखरा, चम्बल बान्ध के लिये कर्जा लिया और और कामों के लिये इनवेस्ट किया। जिसको फाइनेन्सेज की दृष्टि से असेट्स स्वीकार किया जाता है उस प्रकार की स्थिति को यह मान कर चलना कि कर्जा हम पर ज्यादा है इसलिये दिवालियापन की स्थिति है, यह उचित नहीं है।

दूसरा सवाल आता है १५ करोड़ रुपया जो भारत सरकार से स्पेशल लोन की तौर पर लिया गया? यह लोन लेने की नौबत आई क्यों? हमारे यहा पर ओवर ड्राफ्ट हो गया, पहले से ही सावधानी से क्यों नहीं चला गया? मैं निवेदन करूं इस प्रश्न को इस दृष्टि से विचार करना है कि जो राजस्थान की दूसरी पंचवर्षीय योजना में ओवर ड्राफ्ट हुआ उसका मूल कारण है, जिसके अन्दर खर्चा ज्यादा हुआ उन खर्चे के आंकड़ों को भी मैं सदन की जान-

Page No.85

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कारी के लिये प्रस्तुत करना चाहता हूं । हमने केन्द्रीय सरकार से दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये ७१.६ करोड़ रुपये के असेट्स मान कर दूसरी पंचवर्षीय योजना को तैयार किया था । उसके अगेन्स्ट वहां से जो असेट्स मिले उसमें ८.७६ करोड़ पोइन्ट कम मिला ।

इसके अलावा दूसरा एडीशनल एक्सपेन्डीचर हमारा जो हुआ वह पे स्केल्स में वृद्धि और महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की गई । उसके लिये जितनी बढ़ोत्तरी पहले रखी गई थी उसमें केन्द्रीय सरकार से महंगाई भत्ते की वृद्धि के लिये जो रकम मिलनेवाली थी उससे २.५० करोड़ रुपया ज्यादा खर्चा हुआ ।

तीसरा यह कि गाडगिल कमेटी ने स्कूल्स खोलने के लिये पहली पंचवर्षीय योजना की शुरूआत में जो मन्जूरी दी थी उसको दूसरी पंचवर्षीय योजना के पीरियड में उस असेट्स को कन्टिन्यू नहीं किया गया । उन असेट्स को कन्टिन्यू नहीं करने की वजह से एक्स्ट्रा लाइबेलिटी आई १.५० करोड़ रुपये की ।

चौथा एस्टीमेट करते वक्त प्राइवेट पार्टीज को इन्डस्ट्रीज के लिये लोन देने के लिए प्रावधान नहीं किया गया था उसमें ४० लाख रुपया खर्च किया गया ।

बसेज़ के नेशनेलाइज़ेशन के लिये ट्रान्सपोर्ट बसेज़ पर ८० लाख रुपये का इनवेस्टमेन्ट किया गया था वह भी इसमें शामिल है ।

इसके अलावा अब हमें यह देखना है कि जो हमने इनकम की एस्टीमेट की थी उसमें शोर्टफॉल किस प्रकार से हुआ । माननीय अध्यक्षजी, मैं आप से निवेदन करूं जहां तक इनकम में शोर्टफॉल का सवाल है हमने रखा था कुछ प्रोपर्टीज़ जो हमारे राज्य से बाहर थी उनको डिसपोज़ ऑफ करना चाहते थे । इसके लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया था उसके मुकाबले दो करोड़ रुपये की कम आमदनी हुई । प्रोपर्टी डिसपोज़ ऑफ नहीं हो सकी, सेल नहीं हुई वे असेट्स ऐसे के ऐसे मौजूद हैं । इसके साथ साथ बेटरमेन्ट लेवी और सेल ऑफ लैन्ड जितनी आमदनी की हमने व्यवस्था की थी उसमें ३.६ करोड़ की कम आमदनी हुई । यह नहीं कि बेटरमेन्ट लेवी आ करके खर्च हो गई; यह बात नहीं । इस पीरियड के अन्दर बेटरमेन्ट लेवी वसूल नहीं हो सकी, यह आगे वसूल होगी और सेल ऑफ लैन्ड की इनकम भी आगे आयेगी । जो हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इनकम इसके फलस्वरूप एस्टीमेट करके चले थे वह रिएलाइज़ नहीं हो सकी ।

शोर्ट टर्म लोन्स में १.५ करोड़ का रिएलाइज़ेशन कम हुआ । इसके अलावा ज्यादा म्युनिसिपैलिटीज़ और बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन के लिए लोन्स दिया गया वह १.५ करोड़ के करीब आता है । इस प्रकार से यह करीब २०.८ करोड़ का अन्तर पड़ा ।

इस प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि जो आमदनी नहीं हुई और बहुत सी ऐसी है जो आमदनी आगे होनेवाली है । दूसरा जो खर्चा हुआ सेलेरीज आदि में जो कन्टेम्प्लेट करके चले थे उससे ज्यादा हुआ । यह कहा जा सकता है कि

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

फिर इतना अन्दाज करके पहले क्यों चला गया ? यह सब तो कन्डीशन्स पर डिपेन्ड करता है। गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की स्कीम थी उसके अनुसार राजस्थान गवर्नमेन्ट भी चाहती थी कि अपने एम्प्लॉइज के इमोल्यूमेन्ट्स में अन्तर पड़ सकता हो उसकी वजह से ये स्टेप्स लिये गये। उस सब का परिणाम जो सामने आया वह स्थिति मैंने आपके सामने रख दी। इससे पोज़ीशन स्पष्ट हो जायेगी।

दूसरा, जो कुछ खर्चा किया गया आखिर यह किसके लिये किया गया ? यह बहुत स्पष्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हमने १०५ करोड़ रुपये की बनाई थी उसको अधिक से अधिक पूरा करने के लिये राज्य सरकार ने प्रयत्न किया। हरेक योजना जो हम बना कर चलते हैं उसको पूरा करना चाहते हैं। इसको पूरा करने के पीछे खास तौर से वजह क्या है ? हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेशों के रहने वाले हर व्यक्ति की औसत आमदनी में वृद्धि हो और दूसरा यहां के रहनेवालों को एम्प्लॉयमेन्ट मिले। आप और हम खास तौर से इस प्रश्न पर विचार करें और गहराई से करें कि जो कुछ पिछले पांच, दस सालों में हमने जो भी कार्य किया है उससे हमने राजस्थान में क्या अचीव किया है ? केवल इस बात पर हम क्रिटीसिज्म शुरू कर दें कि लोन हमने लिया, तो यह ठीक प्रतीत नहीं होता। राजस्थान के अन्दर जो हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल था उस योजना काल में राजस्थान में हमने कुल मिला कर ३.७७ हजार आदमियों को डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट एम्प्लॉयमेन्ट दिया। यह एम्प्लॉयमेन्ट कई अलग अलग सेक्टर्स में हुआ; जैसा कि मैं पहले सदन के सम्मुख रख चुका हूँ। गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के जो पब्लिकेशन्स निकले हैं प्लानिंग कमीशन के जो एस्टीमेट्स हमारे सामने आये थे उस वक्त भी यह आम तौर पर माना गया था कि राजस्थान के अन्दर जो अन-एम्प्लॉयमेन्ट का बैक-लोक था न्यू एन्ट्रेन्ट्स के एम्प्लॉयमेन्ट के लिए वह हमने कवर-अप कर लिया। दूसरी जगह, अन्य प्रान्तों में पहली योजना और दूसरी योजना के अन्दर जो अन-एम्प्लॉयमेन्ट था वह बढ़ा है। अब राजस्थान के अन्दर हमने न्यू एन्ट्रेन्ट्स को कवर-अप कर लिया; पहली और दूसरी योजनाओं के बाद एडीशनल अन-एम्प्लॉयमेन्ट की प्रोब्लेम पैदा नहीं होने दी। इसके बारे में जो कदम उठाये गये उससे अन्दाज किया जा सकता है। राजस्थान ने कन्टिन्यूइंग एम्प्लॉयमेन्ट इन दी प्लान सेक्टर जो दिया है वह करीब ७० हजार आदमियों को मिला है। नॉन प्लान सेक्टर में १ लाख, ५ हजार। कन्स्ट्रक्शन एक्टीविटीज़ में करीब १७ हजार। सेन्ट्रल सेक्टर की वजह से ८ हजार, राजस्थान केनाल की वजह से ७ हजार, एडीशनल इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेन्ट १ लाख ८ हजार। यह सब आउट साइड एग्रीकल्चर सेक्टर के आंकड़े हैं। विदिन एग्रीकल्चर सेक्टर करीब ६२ हजार। यह सब मिला कर, जैसा मैंने निवेदन किया ३,७७ हजार के करीब व्यक्तियों के लिये एम्प्लॉयमेन्ट के लिये ओपोर्चुनिटी क्रीएट की गई।

लोन के बारे में चर्चा की गई। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सब राजस्थान

Page No.87

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

की हालत को, लोग-बागों की खुशहाली को बढ़ाने के लिए, यह कहा जा सकता है, एक तरफ से कि हमने ज्यादा प्रयत्न किये, ओवर एम्बिशियस प्रयत्न किये। पर मैं समझता हूँ कि जो कुछ कहा गया है उसके साथ साथ हमने जो अचीव किया है उस अचीवमेंट को भी स्वीकार किया जाना चाहिये कि दूसरी योजना के पीरियड में काफी तेजी से अन-एम्पलॉयमेन्ट की समस्या को हल करने की तरफ भी कदम उठाये गये और उसमें काफी प्रगति हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में बार बार प्रश्न उठाया जाता है कि देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर होता जा रहा है—गरीब की कमर टूटती जा रही है। ये सारी बातें यहां पर चर्चा में आती हैं। मैं इस बारे में निवेदन करूं। बहुत से आंकड़े इस सम्बन्ध में हैं। राजस्थान के तो नहीं हैं, पर फिर भी जो जानकारी हिन्दुस्तान के बेसिस पर है वे हमें इस सम्बन्ध में निश्चित तौर पर एक बात बताते हैं। उनके बारे में मैं थोड़ा जिक्र कर देना चाहता हूँ। जैसा माननीय सदस्य जानते हैं स्वयं भी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ की जो एज थी, जो राजस्थान में भी इतनी खराब हो, ऐसी बात नहीं, वह ५१ में मेल की ३२॥ साल के करीब थी, जो आज ४१॥ साल के करीब हुई। इसी तरह फीमेल की एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ की एज ३२ से ४२ हुई। यह जाहिर करते हैं अंक की क्या आयु में फर्क पड़ा।

दूसरा, मैं निवेदन करूं आज सारे हिन्दुस्तान में जिसमें राजस्थान को भी हम उसी एवरेज पर मान कर चलें तब भी जो फूड कन्जम्पशन पहले था पर-केपिटा वह आज क्या है। वह ५०-५१ में १,८०० केलोरीज पर डे पर केपिटा था और क्लॉथ का ५०-५१ में पर-केपिटा कन्जम्पशन ६.२ यार्ड था वह आज ६१ में १.८०० केलोरीज से २,१०० केलोरीज हो गया और उसी प्रकार पर-केपिटा क्लॉथ का भी ६.२ से १५.५ हो गया। ये आंकड़े अपनी कहानी अपने आप कह रहे हैं। मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। यह मैं खास तौर से इसलिये कहना चाहता हूं कि अन्न और कपड़ा—ये दो चीजें ऐसी हैं कि जिन पर अमीर के अमीर होते जाने से भी असर नहीं पड़ सकता। वह तो जितना खाता है उतना ही खा पावेगा। इसी तरह जितना कपड़ा है सारे आदमियों के अमीर होने से भी इतना ऊंचा नहीं जा सकता। तो इससे साफ है कि एवरेज लोगों का स्टेन्डर्ड बढ़ा है इसकी कॉन्क्रिट एग्जाम्पल इतनी चीजों से मालूम होती है। मैं मानता हूं कि बिल्कुल सेन्ट परसेन्ट लाभ न पहुंचा हो सब को जो पर-केपिटा में हुआ है लोगों को, यह स्वभाविक भी है। पर राजस्थान में तो यह निश्चित तौर से मान कर चलना चाहिये कि यहां अधिक वेरीएशन नहीं हो सकता। दूसरी जगह वेरीएशन ज्यादा है; इस कारण कि वहां औद्योगिक कल-कारखाने अधिक हैं। उनके कारण सम्भव है अधिक लाभ कुछ लोगों को मिला हो। तो जैसा हमारे यहां एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा राजस्थान में दूसरी योजना में हमारी इकोनोमी में जो तरक्की हुई है उसमें इन्डस्ट्रियल

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आउट पुट की वजह से हुई, टोटल इन्कम को बांट कर बढ़े हों, ऐसा नहीं है; बल्कि ज्यादातर एग्रीकल्चर, ऐनीमल हस्बेन्डरी और दूसरे साधनों में वृद्धि से हुई है। ये चीजें स्वाभाविक तौर से ज्यादा स्प्रेड हुई हैं। यह राजस्थान के अन्दर तो बहुत स्पष्ट है। हो सकता है किसी स्टेट में स्टील प्रोडक्शन की वजह से फर्क पड़ा हो, अन्य औद्योगिक प्रगतियों से फर्क पड़ा हो, पर यहां पर राजस्थान में तो इन चीजों से भी अभी तो अन्तर नहीं पड़ता।

माननीय अध्यक्षजी, एक माननीय सदस्य ने जो जयपुर से आते हैं हमारे यहां एग्रीकल्चर लेबर की हालत बमुकाबले हिन्दुस्तान के खराब बतलाई। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो एग्रीकल्चर लेबर इन इण्डिया की रिपोर्ट ऑफ दी सेकिन्ड इन्क्वायरी वॉल्यूम वन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जो प्रकाशित की है उसमें इस बात को बताया गया है कि ऑल इण्डिया में डेली एवरेज वेज ऑफ मैन के ५६-५७ के जो आंकड़े हैं उनके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ऑल इण्डिया का एवरेज ५६-५७ में आदमी के लिये था ९६ नये पैसे जब कि राजस्थान में था ९८ नये पैसे। उसी तरह फीमेल है। उसका एवरेज वेज ५६-५७ में ५६ नये पैसे ऑल इण्डिया का था और राजस्थान का एवरेज था ६१ नये पैसे। मैं समझता हूं। कि इसको भी अगर हम इण्डिकेटर समझें तो ये भी यह जाहिर करते हैं कि यहां की एग्रीकल्चर लेबर की हालत हिन्दुस्तान के एवरेज के मुकाबले में ज्यादा कमजोर हो और उनकी कमर टूट रही हो, न जाने क्या क्या तोड़ते हैं उनकी अपने भाषण में माननीय सदस्य; तो ऐसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : लेटेस्ट सर्वे हुई है। लोकनाथन की रिपोर्ट से बता दीजिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने भारत सरकार की अधिकृत लेबर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आपके सामने रखी है। तो मैंने आपके समक्ष इसलिये इन बातों को रखा है माननीय अध्यक्षजी कि, इन चीजों से हम यह अन्दाज लगा सकते हैं कि राजस्थान की इकॉनामी में इन योजनाओं के दौरान कोई सुधार न हुआ हो और सारे टैक्सों के भार की वजह से या और वजह से लोगों पर ज्यादा असर होता जा रहा हो और यहां कोई सुधार जैसी स्थिति न हो; मैं समझता हूं ऐसा मानने का कोई कारण उपस्थित नहीं होता।

रहा प्रश्न तीसरी योजना का। इसके सम्बन्ध में कुछ भाषणों के दौरान में यह कहा गया कि हम टैक्स क्यों लगाते हैं और टैक्स के बजाय भारत सरकार के पास हम ज्यादा से ज्यादा इस बात का प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं कि वह और रुपया हमें दे दे जिससे टैक्स लगाये बिना ही हमारा काम चल जावे ! तीसरी योजना अथवा कोई भी पंचवर्षीय योजना को तैयार किया जाता है तो यह न तो भारत सरकार के डाइरेक्शन से बनानी पड़ती है और न दूसरे किसी के डाइरेक्शन से। मोटे तौर से नेशनल आधार पर इसे स्वीकार किया जाता है और इसको स्वीकार करने में

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

नेशनल डेवलपमेन्ट कौंसिल जिसमें सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर और स्टेटों के सम्बन्धित मिनिस्टर होते हैं तय करती है और इसके आधार पर सारी स्टेटों के लिए एक योजना तैयार की जाती है। अन्तिम रूप से भी जो योजना तैयार की जाती है वह भी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके की जाती है और भारत सरकार हमारे रिसोर्सेज़, हमारी केपेसिटी को देखते हुए जितना अपनी तरफ से मदद कर सकती है वह करती है। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह शायद सब को मालूम होगा कि जो कुछ दूसरी योजना में हमने ऐफर्ट्स किये और जो अचीवमेन्ट किये उसी का परिणाम आज यह है कि तीसरी योजना के लिये जितना स्टेट सेक्टर में पर-कैपिटा अलॉटमेन्ट राजस्थान को किया गया है उतना जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर किसी अन्य स्टेट का नहीं आता है। जम्मू और काश्मीर की एक विशेष परिस्थिति है, यह बात हम सब जानते हैं। तो इस तरह से राजस्थान का पर-केपिटा अलॉटमेन्ट हाइएस्ट रहा है। साथ साथ जहां रिसोर्सेज की पोज़ीशन का सवाल है वहां स्टेट रिसोर्सेज और भारत सरकार की मदद दोनों को देखें तो हमारा रेशो आता है १.६५। अगर हम आज रिसोर्सेज जो इकट्ठे करते हैं तो १.६५ की असिस्टेन्स हमें भारत सरकार से मिलती है। इसमें हमारी पोज़ीशन सारे देश में सिक्स्थ आती है। मतलब; हम से कम जितनों के अलॉटमेन्ट हैं उनको रिसोर्सेज ज्यादा जुटाने होंगे, हमारे अलॉटमेन्ट हाइएस्ट हैं तो रिसोर्सेज जुटाने में हमारी पोजीशन सिक्स्थ आती है। हमारे से पांच स्टेटें पैसा इकट्ठा हम से ज्यादा करेंगी। गुजरात का तो १.१ से भी ज्यादा मिलो है। तो ये सारे एफर्ट्स करके ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से असिस्टेन्स मिल सकती है उसके लिए प्रयत्न किया गया है।....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): पोंग डेम के एलोकेशन से सम्बन्धित है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: जी हां।

अब इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान केनाल के बारे में और पोंग डेम के लिए जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को कहा कि हम अपने यहां इसका लाभ १० साल बाद उठायेंगे तो ऐसी योजनाओं पर हम अभी क्यों खर्च करें और क्यों उन पर इतना ज्यादा खर्च होना चाहिए कि जिसके लिए हमको तकलीफ उठानी पड़े? मैं समझता हूँ कि कभी भी राजस्थान में बड़ी योजनाओं को लिया जायेगा। चम्बल योजना है, भाखरा केनाल है तो आखिर इन योजनाओं में थोड़ा समय तो ज्यादा लगेगा। ऐसी योजनाओं पर १० साल, १२ साल या ८ साल का वक्त आम तौर पर लगने वाला है। वह चाहे आज-शुरू कीजिए या बाद में कीजिए। जैसा कि इन योजनाओं के बारे में वर्ल्ड बैंक के सामने, दूसरों के सामने इस बात को बराबर जोर दिया कि हम चाहते हैं कि हमारे यहां फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़े, हमारे देश के विकास के लिए हमको पानी मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी हम उस पानी को लेना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि आज दिन राष्ट्रीय दृष्टि से, राजस्थान के विकास की दृष्टि से आगे जो लाभ पहुंचनेवाला है उन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सब दृष्टियों से हम किसी प्रकार से कहें कि जो हमने वर्ल्ड बैंक को वायदा किया है, जो इन्डिया के लिए लेना चाहते हैं, उस डेट को पोस्टपोन करवा कर हिन्दुस्तान को यह कहना पड़े कि वक्त पर उस पानी को नहीं ले सकते हैं; मैं समझता हूं कि यह कतई उपयुक्त नहीं है; बल्कि हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा उपयुक्त यही हो सकता है कि उस पानी से हम जल्दी से जल्दी लाभ उठायें और देश का हित उससे ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो इस सारी दृष्टि से हमने राजस्थान नहर के काम को आगे बढ़ाया और उनको यदि हम जल्दी से जल्दी पूरा नहीं करें तो वह उपयुक्त बात नहीं है। इसलिए हम प्रयत्न में हैं कि इस काम को पूरा करें। जो हमारा पर-केपिटा अलॉटमेन्ट है उसके अलावा मैं समझता हूँ कि सारे हिन्दुस्तान में जहां हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना १०५ करोड़ रुपये की थी तीसरी पंचवर्षीय योजना दुगुनी से भी ज्यादा यानि २३६ करोड़ की योजना इस राजस्थान के लिए स्वीकार हुई है, तो हम यदि अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी की शिफ्ट करें तो यह वाज़िब बात नहीं हो सकती और उन चीजों को वक्त पर पूरा कर सकें, इसका प्रयत्न करना चाहिए। यह मैंने आपके सामने हमेशा रखना चाहा है।

जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी उस समय भी मैंने कहा था कि राजस्थान में आर्थिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से जो कुछ यहां चल रहा है और जो हमारी वित्तीय स्थिति है उन सब का असर क्या हुआ है। उसको मैं पुनः संक्षेप में रखने का प्रयत्न करता हूँ। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि बहस के दौरान में कई बार बहुत सी चर्चायें सामने आती हैं और उन चर्चाओं के दौरान में हमारे यहां औद्योगीकरण के बारे में कई प्रकार की बातें आती हैं कि हमने बहुत कन्सेशन्स दे दिये, हमने उद्योगों के लिए यह कर दिया, वह कर दिया। मैं सिर्फ इतना ही माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन के सदस्यों को अर्ज करना चाहूँगा कि किसी भी उद्योग के लिए हम अपनी राय जाहिर करें उसके पहले मेहरबानी करके उसी प्रकार के उद्योगों के लिए दूसरी स्टेट्स के अन्दर उनको क्या सहूलियतें हैं, क्या क्या परिस्थितियां वहां हैं, उसका एक बार अध्ययन करें और फिर यहां चर्चा करें। दूसरे, यह कि हमारे यहां राजस्थान के अन्दर जहां औद्योगिक वातावरण नहीं है उसको लाने के लिए हम दूसरी जगह के मुकाबले पर ज्यादा फेवरेबल कन्डीशन्स करें, करनी पड़ेंगी; तभी हमारे यहां औद्योगीकरण का काम चालू होगा। एक बार यह चालू होता है तो उसके बाद अन्तर पड़ सकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं समझने में असमर्थ हूँ कि एक या दो उद्योग शुरू होने की बात है, बहुत से उद्योग लगाने वाले यह समझेंगे कि राजस्थान में उद्योग लगाने का मतलब गालियां खाना है और मुश्किलें भी सामने आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमको इस मामले में बहुत गम्भीरता के साथ यह देख कर चलना होगा कि जब प्राइवेट सेक्टर में एक क्षेत्र दे रखा है, पब्लिक सेक्टर में जितना कर सकते हैं उतना करना चाहते हैं उसके बाद जो कुछ कार्य है उस कार्य के बारे में हमारा एटीट्यूड काफी गम्भीरता के साथ इस प्रकार का होना चाहिए

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कि जिससे कहीं भी उसके सम्बन्ध में चर्चा जाये तो वह ऐसी न हो कि जिसका एक प्रकार का बुरा असर हो।

मैं समझता हूँ कि जो नॉन-टैक्स रेवेन्यू के लिए अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने लिग्नाइट के बारे में, सोडियम सल्फाइट के बारे में, ट्रान्सपोर्ट के बारे में जो बातें कहीं उन बातों में कोई मतभेद नहीं है। हम चाहते हैं कि नॉन-टैक्स रेवेन्यू को राजस्थान में बढ़ाया जाये और उसके लिहाज़ से जिन उद्योगों की तरफ़ उन्होंने संकेत दिया उसमें जल्दी से जल्दी प्रगति हो, उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे। विस्तार से तो जब इन्डस्ट्रीज़ की ग्रान्ट आयेगी उस समय चर्चा करेंगे। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि अन्य अन्य प्रकार से इसके लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं लेकिन नॉन-टैक्स रेवेन्यू में मैं आपको जानकारी के लिए निवेदन करूंगा कि १९५१-५२ में हमारा नॉन-टैक्स रेवेन्यू ४ करोड़, ४२ लाख के करीब था उसके बजाय अब १९६२-६३ में १२ करोड़, ७१ लाख के करीब फर्क पड़ा है। तो नॉन-टैक्स रेवेन्यू में अन्तर नहीं पड़ रहा है या बढ़ाया नहीं जा रहा है; ऐसा नहीं है। यह मैं मानता हूँ कि इसको और बढ़ाया जाना चाहिए और उस दिशा में जहां नीति का प्रश्न है इस सरकार द्वारा नीति निर्धारित की हुई है। हमारी लिगनाइट की इन्डस्ट्री, सोडियम सल्फेट की इन्डस्ट्री, सांभर साल्ट की इन्डस्ट्री है उसमें भी माननीय सदस्यों को पता होगा कि राजस्थान सरकार भारत सरकार के साथ शेयर-होल्डर है कि वह पब्लिक सेक्टर में चलाया जायेगा और हम चाहते हैं कि दूसरी इन्डस्ट्रीज़ भी शुरू की जायें, उसमें भी हमने हिस्सा लिया है। उनके ज़रिये जो स्टेट गवर्नमेन्ट को इनकम हो सकती है उसको भी बढ़ाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। हम यह भी चाहते हैं और मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार इस प्रस्ताव को मन्जूर करेगी कि कॉपर स्मेल्टर लग रहा है पब्लिक सेक्टर में वहां गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया का हिस्सा है उसके साथ ही साथ राजस्थान स्टेट को भी शेयर होल्डर बना कर चला जाये जिससे हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौका मिले और यहां के लोगों पर टैक्सों का अधिक भार न पड़े। इस बात को हर एक सरकार चाहेगी। शायद हमें शौक तो नहीं कि हम टैक्स लगायें और आप लोगों के भाषण सुनें। कोई शौक तो है नहीं। आखिर हमें भी मजबूरी के कारण यह कदम उठाना पड़ता है ताकि हम अपनी इकॉनोमी को डेवलप कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इन्फलेशन और प्राइसेज़ के अन्दर राइज़ेज़ हैं उनके लिए विरोधी पक्ष के नेता ने कहा था कि डेफीसिट फाइनेन्सिंग ज्यादा करने की वजह से इनफ्लेशन के चान्सेज बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि यह सब की जानकारी में है कि दूसरी योजना में डेफीसिट फाइनेन्सिंग का पैसा रखा गया था एस्टीमेट में १,२०० करोड़ लेकिन एक्चुअल डेफीसिट फाइनेन्सिंग २४८ करोड़ का और थर्ड फाइव ईयर प्लान में ५५० करोड़ का रहा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): १,००० करोड़ का किया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ९९८ का फिगर है । यह डेफीसिट फाइनेन्सिंग सेकिण्ड फाइव ईयर प्लान में और थर्ड फाइव ईयर प्लान में ५५० करोड़ थर्ड फाइव ईयर प्लान में उसको कम करके रखा गया है । बाद से ही कन्टम्पलेट किया गया कि डेफीसिट फाइनेन्सिंग क्या है और जहां तक हो सकेगा इसमें जितनी कमी की जा सकेगी भारत सरकार स्वयं उस मामले में प्रयत्नशील है ।

मैं दूसरी सारी चीजों के विस्तार में तो नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि माननीय वित्त मन्त्रीजी को भी अपनी बात कहनी है, लेकिन फेमिली प्लानिंग के लिए भी पंचवर्षीय योजना में एक महत्वपूर्ण स्थान है और उससे हमारी इकॉनोमी पर आगे जो असर पड़ता है उसके संबंध में दो राय नहीं हो सकती है । हम खुद भी इस बात को मानते हैं कि हम इस संबंध में जितने ज्यादा से ज्यादा सफल हो सकें उतना अच्छा है । लेकिन उसके लिए सामाजिक उपयुक्त वातावरण, लोगों में चेतना पैदा करने की आवश्यकता होगी वर्ना चुनावों के मौके पर इसका भी उपयोग किया जा सकता है और किया गया है कि अब तो सरकार यह काम भी करने लगी । आपने उस पर भाषण भी दिये । उसका राजनैतिक पहलू हटा कर सही पक्ष लोगों के सामने आये तो इस राय में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आता है ।

रूल्स के अन्दर सिम्पलिसिटी लाने के लिए और अर्ली डिस्पोज़ल के बारे में सदन के समक्ष बात आई है । उसके संबंध में पहले से ही राजस्थान में परीक्षण किया है और आगे भी स्टेप्स उठाना चाहते हैं; क्योंकि यह ठीक बात है कि जितना जल्दी स्पीडी डिस्पोज़ल हो सके काम का उतना ही उपयुक्त होगा ।

कोना डेम के बारे में गुजरात सरकार के साथ लगातार इस प्रयत्न में हैं हाइट ठीक लेवल तक रखी जाय तो राजस्थान के गांवों के डूबने का जो खतरा है उस पर ज्यादा नहीं हो।

माननीय अध्यक्ष, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि जन संघ पार्टी यह राय रखती है कि सेल्स टैक्स के बजाय प्रोडक्शन पर टैक्स लगाने में हमारा विश्वास है और जिस प्रकार से कपड़े पर एक्साइज़ ड्यूटी है इसी तरह से और कॉमोडिटीज़ पर भी कर दी जानी चाहिए । अगर मैं सही समझा हूं तो शायद उनकी यही मन्शा थी । इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं और शायद माननीय सदस्य की जानकारी में होगा कि इस प्रश्न को नेशनल डेवलपमेंट कौन्सिल में उठाया था और नेशनल डेवलपमेंट कौन्सिल में एक बार विचार हो जाने के बाद दुबारा इस प्रश्न के बारे में मैंने जोर दिया कि कई कॉमोडिटीज़ पर एक्साइज ड्यूटी की तरह इसको लगाया जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा । उसके बाद फिर यह प्रश्न रेफर हुआ था कि इस प्रश्न के बारे में अलग अलग स्टेट्स की राय क्या है । असल में सवाल यह आकर पड़ता है कि दूसरी स्टेट्स में जिनके, वहां सेल्स टैक्स से ज्यादा इनकम होती है और जिन लोगों के वहां इन्सीडेन्सेज़ ऑफ टैक्सेज ज्यादा हैं और कई जगह मल्टी पोइन्ट्स टैक्सेशन हैं; जैसे बंगाल, बम्बई, गुजरात के अन्दर वह और कई दूसरी स्टेट्स इस बात से सहमत नहीं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

होती हैं । क्योंकि वे मानती हैं कि यह फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू है । उसको सारी की सारी को सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास सौंप दें, जो कि वेरी कर सकते हैं। वे वक्त वक्त पर वह उसके हाथ से निकल जाती है इस प्रकार से। और डिस्ट्रीब्युशन कैसे हो अलग अलग जगह, उस पर इस प्रश्न के ऊपर एक राय नहीं हो सकती और नहीं हुई जिसकी वजह से इसका फैसला नहीं हो पाया। मैं समझता हूं कि जन संघ के माननीय नेता इस बात को मानेंगे कि राजस्थान गवर्नमेन्ट चाहे कि प्रोडक्शन पर एक्साइज़ ड्यूटी लगा दी जाय तो शायद नहीं लगा सकती है ; भारत सरकार ही लगा सकती है केवल । उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं लगा सकता है । लगाने की बात आये तो कॉन्स्टीट्यूशनल रीज़न्स से स्टेट की कन्सेन्ट के बिना वह अपने आप उस स्टेट की रेवेन्यू के रास्ते वाइप-ऑफ नहीं कर सकते और अपने हाथ में लेकर उस टैक्स के बारे में फैसला करके नहीं चल सकते ।

मैं साथ में यह भी निवेदन कर दूँ कि यहां पर प्लानिंग होता है उसके लिए यह कहा गया कि प्लानिंग से स्टेटिज्म आ जाता है और डेमोक्रेसी में सोशलिज्म की बात करना और प्लानिंग की बात करना; यह चल नहीं सकता। अल्टीमेटली इसका रिज़ल्ट यह होगा कि डिक्टेटोरियल टाइप की सिचुएशन पैदा होगी। मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में यही सबसे बड़ी बात की जा रही है कि हम प्लान से आगे बढ़ रहे हैं और प्लान से बढ़ने के साथ साथ इस बात की कोशिश की जा रही है, कोशिश ही नहीं की जा रही ; बल्कि डेमोक्रेसी हमारे देश के अन्दर पूरी तरह से स्थापित है और प्लान्ड तरीके से इस देश की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो ऑल्टर्नेटिव यह होता है कि फ्री एन्टरप्राइज हो । फ्री एन्टरप्राइज़ वाली जो कल्पना करते हैं और उसको प्लानिंग से रोकेंगे नहीं तो वह जाकर वहां पहुँचेगी। और फ्री एन्टरप्राइज़ का रिजल्ट यह होगा, उसका मतलब यह होगा कि एक तरफ तो हम भाषण देना चाहते हैं कि लोगों के पास-कुछ व्यक्तियों के पास सारी चीजें जाकर सीमित होती है प्लानिंग के बिना उस पर कन्ट्रोल नहीं रहेगा। माननीय अध्यक्ष, योजना आज नहीं हो तो बहुत सी चीजों का राजस्थान के उद्योग के बारे में फैसला हो सकता है वे उद्योग लगेंगे कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में या और कुछ ऐसी जगह जो पहले से ही डेवलप्ड हैं। वे ज्यादा डेवलप्ड होते हुए चले जायेंगे और जो लेस डेवलप्ड हैं, अन्डर डेवलप्ड हैं वे अन्डर डेवलप्ड रह जायेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि प्लानिंग की आवश्यकता खास तौर से जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, जिनकी इकॉनोमी कम डेवलप्ड है उनके लिए और ज्यादा आवश्यक है कि प्लान्ड तरीके से देश के अन्दर चला जाय और जो खतरे हमारे सामने खड़े होते हैं वे भी इससे हल होते हैं।

अंत में, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि खर्च शहरों पर ज्यादा किया जा रहा है और गांव वालों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो रही है, और ये सारी बातें सामने आई। उस संबंध में आज हमारी पंचवर्षीय

Page No.94

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

योजनाएं हैं उन पर एक नजर डाली जाय, जो इर्रिगेशन की योजनाएं हैं उन इर्रिगेशन की योजनाओं पर, इलेक्ट्रिसिटी की योजनाओं पर, मुझे ठीक फीगर्स याद नहीं हैं शायद २३६ करोड़ और १२१ या १२३ करोड़ के करीब में इलेक्ट्रिसिटी और इर्रिगेशन पर सारे का सारा खर्चा होने वाला है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अन्दर, सोशियल वैलफेयर सेक्टर के अन्दर जो दूसरे खर्चे हैं वे अलग हैं। इन सेक्टर्स का सारे का सारा लाभ, एज्यूकेशन का जो इतना फैलाव हुआ है उसमें जिसके अन्दर शहरों में जो कॉलेज बने हैं और हमारी युनिवर्सिटीज़ पर करोड़ों रुपये का जो फैलाव हुआ है, करोड़ों रुपये की सड़कें निर्मित हुई हैं, जो भी ये सब चीजें हैं मैं समझता हूं कि पूरी तरह से इनकी विवेचना में जाया जाय। एनीमल हस्बेन्ड्री पर जो खर्चा होता है, कोऑपरेटिव के सेक्टर पर जो खर्चा होता है यह सारे का सारा धन इसी तरफ खर्च किया जा रहा है। जहां पर कुओं का विकास हो सकता है गांवों के अन्दर तो गांवों में उसके लिए तकावी दी गई है। उसका रिज़ल्ट लोगों पर हो रहा है, जनता पर असर हो रहा है। लोगों में विकास का गांवों के अन्दर परिणाम हुआ है। मैं समझता हूं कि नारों के लिए, पोलिटिकल स्लोगन्स के लिए इस बात का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। वोट तो कल नहीं पड़ रहे हैं कि जिससे लोगों को पता चले कि गांवों के लिए बहुत जोर से पैरवी की है वहां जाकर। तो यह सारी बातें आपने कही उनको अलग तरीके से देख सकते हैं।

दूसरा, मैं यह कहूं कि उदयपुर वाटर वर्क्स का यहां पर फरमा रहे थे तो वह कर्जा म्युनिसिपैलिटी के ऊपर है, जिस कर्जे को किश्तों के अन्दर चुकाना है। आपने कहा कि वहां फ्री बना सकते हैं। वहां पर जो वाटर वर्क्स बनेगा उसके लिए रुपया इन्स्टॉलमेंट में कर्जा चुकाने के लिए मिला है और गांवों के अन्दर गांवों की स्थिति को देखते हुए अलग योजनाएं हैं। पब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम्स में ५० पर्सेन्ट कन्ट्रीब्यूशन गांव के लोगों को देना पड़ता है। उससे सुविधा मिलती है। गांवों में जो कुएं बनाये जाते हैं तो लोन नहीं होता है, स्टेट ग्रान्ट होती है जो वहां के लिए प्राप्त होती है। हमारी तरफ से जितने प्रयत्न हो सकते हैं वे प्रयत्न किये जा रहे हैं कि दूसरों के समान रूरल एरिया का भी ज्यादा से ज्यादा विकास हो।

और, अध्यक्ष महोदय, और अलग अलग विभागों से संबंधित बातें यहां पर आई हैं। मैं समझता हूं कि जिस समय मांगों पर विचार होगा तो विस्तार से उन प्रश्नों के बारे में उत्तर दिया जायेगा। अब वित्त मंत्री महोदय को अपनी बात आपके सामने रखनी है और माननीय सदस्य उनसे कुछ सुनने के लिए उत्सुक होंगे, मैं समझता हूं कि वह उन्हीं की ओर से सामने आये तो उपयुक्त होगा।

श्री अध्यक्ष : अगर सदन की अनुमति हो तो बैठक का समय कुछ समय के लिए और बढ़ा दिया जाय, जब तक वे समाप्त कर लें तब तक के लिए ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : टैक्स ही बढ़ रहे हैं तो समय बढ़ाने में क्या लगता है ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : टैक्स अब घटाये जा रहे हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : श्रीमान्, बजट की आम बहस में भाग लेते हुए करीब ४० माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिये हैं उन्हें मैंने ध्यान से सुना है और उन पर गौर भी किया है । अपने पुरजोर भाषणों में माननीय सदस्यों ने बजट की और सरकार की नीतियों की आलोचना की है और कुछ सुझाव भी दिये हैं । राज्य की....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, यहां पर लिख कर भाषण पढ़ने की प्रथा नहीं है । क्या सदन इनको एलाउ कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष : वित्तीय सब्जेक्ट का भाषण है । मंत्री महोदय ने मुझ से पूछ लिया था । साथ में नोट होंगे तो कहीं पढ़ने पड़ेंगे । इस स्थिति को देखते हुए अनुमति दी गई थी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मंत्री महोदय को दिक्कत आये तो कोई एतराज नहीं है ।

श्री हरिराम (तिजारा) : यह बादशाही फरमान की तरह पढ़ रहे हैं; अच्छा नहीं लगता है । वैसे सुनायें तो ठीक है ।

श्री अध्यक्ष : आपको अच्छी तरह से समझ में आ जायेगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह जवाब छपवा कर बांट दिया जाय तो ठीक रहेगा ।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमन्, फाइनेन्स मिनिस्टर को अधिकार है कि अपना भाषण लिख कर दे; क्योंकि हरेक मुद्दे पर उसके कुछ मायने होते हैं और उसके काफी कॉन्सिक्वेन्सेज़ होते हैं....

श्री भैरोंसिंह : आप लिख कर बोलिये ।

श्री बालकृष्ण कौल : राज्य की माली हालत में माननीय सदस्यों ने जो दिलचस्पी जाहिर की है वह वाकई तारीफ के काबिल है और इसके लिए मैं उन्हें मुबारिकबाद देता हूं । लेकिन साथ ही, माननीय सदस्य मुझे माफ करेंगे, अगर मैं कहूँ कि आम तौर पर भाषणों का स्तर ऊंचा होते हुए भी आलोचनाएं और नुक्ताचीनियां ज्यादा हुईं और ठोस सुझाव नहीं के बराबर रहे । मुझे ऐसा महसूस होता है कि इन भाषणों का रूप ज्यादातर राजनीतिक रहा । कभी कभी यह मालूम होता था कि सदन में पार्लियामेन्टरी ढंग के सतर्कसंगत और ठोस भाषण नहीं हो रहे हैं और किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Sir, the House should resent this comment. When the Hon'ble Speaker allowed us to speak then it is not parliamentary that this remark on the part of the Finance Minister should come. It cannot be appreciated by this House.

श्री बालकृष्ण कौल : पार्टियों के पोलिटिकल नुक्तेनिगाह से भाषण दिए जा रहे हैं ।

(श्री बालकृष्ण कौल)

मेरे बजट भाषण की आलोचना करते हुए माननीय सदस्यों ने उसे जिस नुक्ते निगाह से देखा है उसी ऐतबार से मेरे शब्दों की तशरीह भी की है। इसके बजाय अच्छा यह होता कि माननीय सदस्य यह समझने की कोशिश करते कि जो कुछ मैंने कहा उसमें दरअसल मेरी मंशा क्या थी। मसलन....

श्री निरंजननाथ आचार्य (राज समंद) : Is that part of the speech going to be expunged to which the Hon'ble Member has raised objection ?

श्री अध्यक्ष : There is nothing in the speech which repuires expunction.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : When you have allowed us to speak then his remarks are not parliamentary.

श्री अध्यक्ष : I have given my ruling, Hon'ble Member.

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने राज्य की माली हालत की जो सही तसवीर सदन के सामने रखी उसके अलग अलग किस्म के अर्थ लगाये गये। एक तरफ तो यह समझा गया कि जैसे मैं सरकार की कलई खोल रहा हूं या पिछली सरकार की मजम्मत कर रहा हूँ।........

श्री भैरोंसिंह : यह मजम्मत है या मरम्मत है ?

श्री बालकृष्ण कौल : दोनों ही समझ लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : पिछली सरकार की मरम्मत हो तो ठीक है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : इधर की मज़म्मत है और उधर की मरम्मत।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Point of Order, Sir. I want to point out about our rules and regulations. In this House, it has been the practice, and your ruling has also been there, that a Member who has tried to read out his speech has been disallowed. So under your powers can it be allowed to any Member if he brings in written speech ? This question is very important for this House and it should be settled for all times.

श्री भैरोंसिंह : There is no such ruling.

श्री बरकतुल्लाखां (स्वास्थ्यमन्त्री) : The usal parliamentary practice is that whenever a Government member wants to give a policy statement or budget speech, it is read from a written statement.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Is it a policy statement, Sir ? It is a reply to the dabate.

श्री अध्यक्ष : (श्री बालकृष्ण कौल से) Please continue.

श्री बालकृष्ण कौल : दूसरी तरफ यह मतलब लगाया गया कि सरकार दिवालिया हो गई है। लेकिन हकीकत में ये दोनों ही नजरिये

(श्री बालकृष्ण कौल)

से सही नहीं है। जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण में कहा था, राज्य की माली हालत की सही तसवीर सामने रख कर मैं माननीय सदस्यों को भरोसे में लेना चाहता हूं। लोकतन्त्र में जनता ही असली मालिक होती है और वह राजकाज चलाने के लिए अपने प्रतिनिधि चुनती है। यह प्रतिनिधि एक तरह से उसके सेवक होते हैं। इन्हीं सेवकों में कुछ सेवक सरकार बनाते हैं यानि इन्तजाम का जिम्मा लेते हैं। तो, इन जिम्मा लेने वाले सेवकों का फर्ज हो जाता है कि मालिक को घर की असली हालत बतायें, कोई बात उससे छिपायें नहीं। मैंने दरअसल यही फर्ज अदा किया है।

अब रही यह बात कि राज्य दिवालिया हो रहा है। उसके बारे में मुझे कहना है कि दिवालिया वह होता है जिसके पास कुछ भी पूंजी न हो और जो अपना सारा कारोबार चौपट करके बैठ जाये। राज्य या सरकार के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती। राज्य के पास अपने साधन होते हैं ....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : यह तो व्यक्तिगत विचार की बात है। मैंने मेरे विचार प्रगट किये।

श्री बाल कृष्ण कौल : मैं अपने विचार रख रहा हूँ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : जरा दिवालिया की डेफिनेशन बता दीजिये, क्या होती है?

श्री बालकृष्ण कौल : जो दिवालिया होते हैं वे ज्यादा अच्छी तरह से कह सकते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : १५ करोड़ रुपयों का कर्ज लेकर राइट ऑफ हो जाय तो भी मेरे खयाल से दिवालिया की संज्ञा राज्य सरकार के लिए न हो तो क्या होगी? मैं फोरकास्ट करता हूं, पेशिन्गी करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ कि ये १५ करोड़ रुपये राइट ऑफ होंगे।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : जो भाषण वित्त मन्त्रीजी दे चुके हैं उस पर सदन के माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये हैं। या तो सुझाव मानने हों तो मानें और नहीं मानने हैं; मन्त्रीजी अपने विचार पेश कर चुके हैं। लेकिन पढ़ कर सुनावें तो समझ में नहीं आवे कि क्या स्थिति है........

श्री अध्यक्ष : आप शांति रखिये सब समझ में आ जायेगा।

श्री बालकृष्ण कौल : और सरकार इन साधनों का विकास करती है। ये साधन ही दरअसल धन या सम्पत्ति हैं और इन्हीं के बल-बूते पर और इन्हीं को बढ़ाने के लिए सरकार खर्च करती है। सरकार का कारोबार कभी बन्द नहीं होता। हमेशा चलता रहता है। अगर हम कर्जदार हैं तो यह कर्ज हमने अपने साधनों के विकास के लिए, जनता के हित के लिए लिया है और हमारी इतनी साख है कि इतने बड़े बड़े कर्ज हमको मिल जाते हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि पिछले सालों में हमने जो सार्वजनिक कर्ज जारी किये हैं उनमें कर्ज की तयशुदा रकमों से भी ज्यादा रकमें हासिल हुई हैं। यह दिवालियापन की नहीं

(श्री बालकृष्ण कौल)

बल्कि आसूदगी की निशानी है। लोगों को भरोसा है कि हमारे पास साधनों के रूप में इतनी पूंजी है और राजस्थान में इतनी पोटेन्शियल वैल्थ है कि हम इन कर्जों को बखूबी अदा कर सकेंगे। इसलिए ओवर ड्राफ्ट वगैरह का खुला जिक्र करने में मेरा मकसद सिर्फ यह बतलाना था।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर. सर, जो चीज कतई....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार खड़े होकर सदन की कार्यवाही में बाधा न डालें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो भाषण पढ़ा जा रहा है, मन्त्रीजी जवाब दे रहे हैं तो उनको लिखा हुआ पढ़ने की क्या आवश्यकता है ? या तो सेक्रेटरी ने भाषण लिख कर दिया है तो हमको सेक्रेटरी का लिखा हुआ भाषण नहीं चाहिये।

श्री अध्यक्ष : पहले आप इसको सुन लें, सारी बात आपके सामने आ जायेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर सेक्रेटरी ने नहीं लिखा है तो फिर यह इतना जल्दी टाइप कैसे हो गया ; तीन बजे तक तो हम लोग बोल ही रहे थे ?

श्री अध्यक्ष : आपने कैसे अन्दाज लगा लिया कि यह भाषण उनका नहीं है ?

श्री हीराभाई : उनकी तरफ से वकील खड़ा कर दें तो अच्छा होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसका क्या सबूत है कि यह उनका ही लिखा हुआ है ?

श्री बालकृष्ण कौल : मेरा है या नहीं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा जब कि मैं पढ़ रहा हूं।

श्री हीराभाई : मानना पड़ेगा तो जवाब वैसे ही दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शांति रखें। इस तरह से बाधा न डालें।

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिए ओवर ड्राफ्ट वगैरह का खुला जिक्र करने में मेरा मकसद सिर्फ यह बतलाना था कि योजना को पूरा करने में सरकार के सामने क्या क्या दिक्कतें और मुश्किलें हैं और उन्हें हल करने में जनता के चुने हुए नुमाइन्दों की मदद सिर्फ जरूरी ही नहीं, बल्कि लाज़िमी है। मुझे कहना पड़ता है कि इस मामले में माननीय सदस्यों ने जो रुख इख्तियार किया वह रियेलिस्टिक नहीं नजर आया, पोलिटिकल केपीटल बनाने का ज्यादा दिखाई दिया।

प्लानिंग के बारे में कहा गया कि वह गलत ढंग का है, बूते से बाहर किया गया है, महज दिखावटी है, इससे रुपये की कीमत कम हुई है और मंहगाई बढ़ी है, वगैरह वगैरह। जो लोग प्लानिंग में विश्वास ही नहीं करते उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जहां एक पार्टी का नज़रिया यह था कि योजना को बूते से बाहर बनाया है, वहां दूसरी पार्टी का कहना था कि योजना इससे भी बड़ी होनी चाहिए थी। इसलिए ये दोनों बातें आपस में ही कट जाती हैं। इसके अलावा योजना खर्च

(श्री बालकृष्ण कौल)

का ८० फी सदी से ज्यादा हिस्सा-सिंचाई ५४ परसेन्ट, खेती ६ परसेन्ट, चिकित्सा व स्वास्थ्य ७ परसेंट, शिक्षा ६ परसेंट, सड़कें ५ परसेंट वगैराह जन हित के कामों में लगाया जा रहा है। ऐसी हालत में योजना को दिखावटी कहना वाजिब नहीं मालूम देता। रूपये की कीमत अगर घटी है और मंहगाई अगर बढ़ी है तो इसकी वजह यह नहीं है कि योजना गलत बनाई गई है। इसकी वजह यह है कि हमारा उत्पादन अभी मांग के प्रपोर्शन में नहीं बढ़ा है और यह है कि योजना के लोंग टर्म प्रोजेक्ट्स कुछ साल बाद जाकर पूरा फायदा देंगे। अगर आप कोई पेड़ भी लगाते हैं तो वह फौरन फल नहीं देने लगता कोई व्यापार करते हैं या कारखाना खोलते है तो वह फौरन मुनाफे नहीं बरसाने लगता। योजना में ऐसे भी काम किए गए हैं और किए जा रहे हैं जिनका फायदा हमको मिलने लगा है, इस हकीकत से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। योजना के अमल में कुछ खामियां हो सकती हैं, कुछ अन्दाज गलत हो सकते हैं, लेकिन इतने बड़े काम में यह कुदरती चीज़ें है। योजना कोई फौलादी ढांचा नहीं है, जिसमें रद्दोबदल की गुंजाइश ही न हो। वह तो एक लचकदार चीज है जिसमें जरूरतों के मुताबिक, वक्त के मुताबिक, हेरफेर, कमीबेशी होना लजिमी है। मुझे यह देख कर....

श्री जोधसिंह (गिरवा) : इससे अच्छा हो कि कॉपियां बांट दें।

श्री मानसिंह महार : योजना कब से लचकदार हो गई, जरा यह तो मालूम हो जाय ?

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे यह देख कर ताज्जुब हुआ कि योजना के लिए मैंने टाइटनिंग ऑफ दी बेल्ट यानि पेट पर पट्टी बांधने का जो मुहावरा इस्तेमाल किया उसके भी कुछ माननीय सदस्यों ने लिटरल मानी लगा लिए। मेरा मतलब यह कभी नहीं था कि योजना के लिए लोग भूखों मरें। भुखमरी को रोकना तो योजना का सबसे बड़ा मकसद है। मतलब सिर्फ यह है कि हमको कुछ दिक्कतें बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर काम में शुरू में दिक्कतें हुआ करती हैं; क्योंकि हमारा मकसद समाजवादी ढंग का कल्याणकारी राज्य कायम करना है, जो योजनाओं के जरिये........

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : वित्त मंत्रीजी माइक को जरा दूर रख कर बोलें तो समझ में आ जायेगा। माइक के बहुत नजदीक होने से आवाज साफ सुनाई नहीं देती।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक्स फाइनेन्स मिनिस्टर को कह दिया जाय कि वे सुना दें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : इसे साइक्लोस्टाइल कर के बँटवा दिया जाय तो समझ में आ जायेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : एक सामने हैं, एक पीछे हैं, कौन से एक्स फाइनेन्स मिनिस्टर सुनावें ?

Page No.100

श्री बालकृष्ण कौल : जो योजनाओं के जरिये ही मुमकिन हो सकता है। इस मकसद को हासिल करने में वक्त लगेगा। लेकिन वाक़या यह है कि हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। वैसे भी मुल्क को बनाने में जो वक्त लगता है वह सालों में गिना जाता है।

इसी तरह बजट में जो नये टैक्स तजवीज किये गये हैं, उनका करीब करीब सभी माननीय सदस्यों ने कड़ा विरोध किया है। टैक्स एक ऐसी चीज बन गई है कि उसका विरोध एक फैशन हो गया है, मानो टैक्स बुनियादी तौर पर ही कोई....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Point of information, Sir.

श्री भैरोंसिंह : Point of information cannot be raised, Sir.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I am Submitting before the Hon' ble Speaker. यह संकलन निकला है, राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष–पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय का संकलन। इसके पेज ४४ पर........

श्री अध्यक्ष : इसमें पोइन्ट ऑफ इंन्फॉर्मेशन क्या हुआ ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं कोई इन्फोर्मेशन........

श्री अध्यक्ष : Order please ! There is no point of information in quoting this thing.

श्री बालकृष्ण कौल : मानों टैक्स बुनियादी तौर पर ही कोई गलत और बुरी चीज हो और उसका समर्थन बदनामी की बात हो। इस रुख को बदलने की जरूरत है, खास कर उस हालत में जब कोई विरोधी दल देर-सबेर अपनी सरकार बनाने की उम्मीद का दावा करता हो। हमको टैक्सों की तरफ एक रेशनल रुख अपनाना चाहिए और जनता को शिक्षित करना चाहिए कि विकासमान अर्थ व्यवस्था (डेवलपिंग इकॉनोमी) में टैक्सों का बोझ लाजिमी होता है। कहा गया है कि टैक्स उन्हीं पर लगने चाहिए जो उनका बोझ बर्दाश्त कर सकें, यानि मालदारों पर ही लगने चाहिए और इसलिये डाइरेक्ट टैक्सों का सहारा लेना चाहिए। यह भी एक नारा बन गया है। यह ठीक है कि मालदारों पर टैक्स ज्यादा लगने चाहिए। लेकिन आज हालत यह है कि अव्वल तो डाइरेक्ट टैक्सों के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं रही है। दूसरे, समाजवादी अर्थ–व्यवस्था में टैक्सों के बोझ का भी बंटवारा होना चाहिए। जब हमारी सारी योजनायें और सारी कोशिशें सारी जनता के लाभ के लिए हैं और उनसे सारी जनता की जिन्दगी का रहन-सहन ऊंचा उठता है तो टैक्सों का फैलाव भी इस तरह का होना चाहिए कि सारी जनता पर पड़े, किसी एक वर्ग या जमात पर नहीं।

फिलहाल जो टैक्स लगाये जा रहे हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अगर हमको कुछ ज्यादा वक्त मिलता और हमारे सामने राज्य की माली हालत के ज्यादा रिलायेबल आँकड़े होते तो शायद टैक्सों का रूप कुछ दूसरी किस्म का होता। आँकड़े जमा करने की हमारी मशीनरी अभी मुकम्मिल नहीं हो पाई है; क्योंकि राजस्थान एक नया राज्य है। फिर भी जो टैक्स तजवीज किये गये हैं वे ऐसे

(श्री बालकृष्ण कौल)

नहीं है कि उनको बिल्कुल ही गैर-वाजिब करार दिया जाये........

श्री मानसिंह महार : क्या आपका यह मतलब है कि मौजूदा आंकड़े गलत है, बजट में जो आंकड़े दिये गये हैं वे गलत हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मुकम्मिल नहीं हो पाये हैं, यह कहा है........इन टैक्सों के बारे में कुछ गलतफहमी भी मालूम देती है ....

श्री मानसिंह महार : Point of Information, Sir, I want to know whether the figures given in the budget are incorrect or what, because it has been admitted in his speech !

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि मुकम्मिल नहीं हैं। यह नहीं कह रहे हैं कि गलत हैं।

श्री मानसिंह महार : 'मुकम्मिल नहीं है' का मतलब क्या है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Sir, it seems to me that the forest of figures is crumbling hopelessly.

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, मैं स्टेटिस्टिक्स की बात कह रहा हूँ।

इन टैक्सों के बारे में कुछ गलतफहमी भी मालूम देती है जिसे मैं दूर करना चाहता हूँ। मसलन बारदाने से उन सब चीजों से मुराद है जो पेकिंग मेटीरियल कहलाती हैं। इस बारदाने या पेकिंग मेटिरियल पर बिक्री कर की छूट उन सभी दूकानदारों या व्यापारियों पर लागू होगी जो गैर-बिक्री-कर की चीजों का व्यापार करते हैं। ऐसे व्यापारियों को बिक्री का हिसाब भी नहीं रखना पड़ेगा। पल्सेज पर बिक्री पर सिंगल पोइन्ट पर ही वसूल किया जायेगा; यानि अगर चने पर टैक्स दे दिया गया है तो चने की दाल पर नहीं देना होगा।

बिक्री कर की वसूली में पैदा होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिये प्रोसीजर को सिम्पलीफाई किया जा रहा है। बिक्री कर के बजाय उत्पादन कर लगाना हमारे दायरे से शायद बाहर की बात है; क्योंकि बहुत सी चीजों पर केन्द्रीय सरकार ही उत्पादन कर लगाती है।

श्री मानसिंह महार : यदि चने पर टैक्स ले लिया गया तो दाल पर नहीं लिया जाएगा, यह मालूम कैसे पड़ेगा और आपने कहा कि प्रोसीजर को सिम्पलीफाई किया जा रहा है; यह किस तरह से किया जा रहा है ?

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि इसका जो प्रोसीजर होगा वह वर्क आउट किया जा रहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या किसान चने की दाल बना कर बेचेगा उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा ?

श्री मानसिंह महार: मतलब यह है कि वह किसान पर एक बार ही लगेगा, फिर नहीं लगेगा ?

श्री भैरोंसिंह : Point of Clarification, Sir.

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द) : Ordinarily, Sir, this information should be sought at the end of the speech, and that has been our practice.

श्री अध्यक्ष : Thanks for your suggestion.

श्री भैरोंसिंह : It is too late, Sir. आपने बजट स्पीच में कहा है कि एग्जेम्पशन में पल्सेज़ और ग्राम पर से हटा दिया जावेगा और आपने नोटिफिकेशन में केवल पल्सेज ही रखा है।

श्री बालकृष्ण कौल : ग्राम है, उसमें पल्सेज़ भी आती हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर आपने यह क्यों लिखा है ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह मैं देख कर बताऊंगा।

श्री भैरोंसिंह : देख कर बतावेंगे या पूछ कर बतावेंगे ? यह एपेरेन्टली एरर है।

श्री अध्यक्ष : आपने इनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है वे इस पर विचार करेंगे।

(श्री बालकृष्ण कौल को संबोधित करते हुए।)

आप अपना भाषण जारी रखिये। इस तरह की बहस में आप पड़ेंगे तो भाषण खत्म नहीं होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Sir, it seems to me that the Hon'ble Finance Minister does not know his own mind.

श्री बालकृष्ण कौल : The Finance Minister knows his mind, but the others have lost their minds.

बिजली कर के बारे में यह सोचा जा रहा है कि खरीददारों को किसी दूसरे रूप में राहत दी जाये। फिलहाल सरकार ने फैसला किया है कि मन्दिर, मस्जिद, गिर्जे, गुरूद्वारे वगैरह पूजा के स्थानों को, शिक्षण संस्थाओं को और अस्पतालों को बिजली कर से बरी कर दिया जाये।

इसी तरह जेवरात पर जो बिक्री कर तजवीज किया गया है, इसमें से खालिस चांदी के जेवरात पर सेल्स टैक्स दो परसेन्ट के बजाय एक परसेन्ट रखा जावेगा।

(विराम)

यात्री कर बढ़ाने के साथ सरकार यह भी देखेगी कि सरकारी बस सर्विसेज़ की एफिशियेन्सी बढ़ाई जाये और मुसाफिरों के लिए सहूलियतों का इन्तजाम किया जाये। प्राइवेट गाड़ियों पर पहले ही काफी यात्री कर लगाया जा चुका है और इनकी तादाद भी इतनी कम है कि टैक्स बढ़ाने से कुछ ज्यादा आमदनी नहीं हो सकेगी।

देशी शराब के साथ साथ विदेशी शराब पर भी आबकारी कर बढ़ा दिया जायेगा।

(श्री बालकृष्ण कौल)

जानवरों की बिक्री पर कर उसी हालत में वसूल किया जायेगा जब वह ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ठेका लगवावेंगे या नहीं शराब का; इसके बारे में भी मैंने पोइन्ट रेज किया था; उसका जवाब दें।

श्री बालकृष्ण कौल : जानवरों पर....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैंने जो पोइन्ट उठाया उसका उत्तर दें ?

श्री बालकृष्ण कौल : I am in possession of the floor of the House.

श्री बरकतुल्लाखां (स्वास्थ्य मन्त्री) : The Finance Minister is not bound to reply to every point raised in this House. He will have to pick and choose.

श्री अध्यक्ष : आप जारी रखें। Please continue.

श्री बालकृष्ण कौल : जानवरों की बिक्री पर कर उसी हालत में वसूल किया जायेगा जब वह खरीद कर राज्य के बाहर भेजे जाते हों।

इससे जो डेफिसिट होगा उसको पूरा करने के लिये गवर्नमेंट को सोचना होगा कि किस तरह से इस कमी को पूरा किया जाए ।

श्री मानसिंह महार : और कर्जा ले लीजिये।

श्री बरकतुल्लाखां : आप दिलवा देंगे तो ले लेंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्यों के अनुरोध पर आपकी सरकार ने आपकी दिली ख्वाहिश को पूरा करके ये टैक्स उठा दिये हैं तो मुझे यकीन है कि आपके वित्त मंत्री ऐसा प्रस्ताव पेश करें जिससे यह कमी पूरी हो तो आपसे उम्मीद की जाती है कि सदन के माननीय सदस्य उसको खुशी से पास करेंगे।

टैक्सों के बारे में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उनके लिये मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं।

माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि गैर योजना खर्च कम किये जायें और गैर टैक्स आमदनी बढ़ाई जाये। सरकार इन सुझावों का स्वागत करती है। हमारी कोशिश यही होगी कि गैर योजना खर्चों में ज्यादा से ज्यादा कमी की जाये और मैं अपने बजट भाषण में यह बात कह भी चुका हूं। गैर योजना खर्च में सबसे बड़ी मद एडमिनिस्ट्रेशन के खर्च की है। इसे उस हद तक कम करने की कोशिश की जायेगी कि एफिशियेन्सी पर बुरा असर न पड़े। यह खर्च कम करने के लिये एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ विभागों में भी पूरा तालमेल बैठाने की कोशिश की जायेगी; ताकि कोई दोहरा खर्च न होने पाये। किफायत के भी उपाय सोचे जायेंगे और उन पर कड़ाई से अमल किया जायेगा। पिछले सालों में गैर टैक्स आमदनी बढ़ी है। लेकिन अब इसे और भी ज्यादा बढ़ाने पर पूरा ध्यान दिया जायेगा। साथ ही, अगर कहीं वेस्टेज या लीकेज नजर आयेगी तो उन्हें रोकने की भी पूरी कोशिश की जायेगी।

(श्री बालकृष्ण कौल)

एक माननीय सदस्य ने मेरे उन शब्दों पर एतराज़ किया जो मैंने आज कल के नौजवानों की हालत के बारे में कहे थे । उनकी राय में यह शब्द नौजवानों का अपमान करने वाले हैं । मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि मैं नौजवानों का उतना ही हितचिन्तक हूं जितना कि वे माननीय सदस्य हैं । जो बातें मैंने कही हैं वे उसी तरह की हैं जैसी कि एक तजुर्बेकार बुजुर्ग अपने बच्चों से नसीहत के तौर पर कहता है ।

श्री मानसिंह महार : हम तो आपको ही नौजवान समझते हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल : जवानों की आज जो हालत है उसके लिये कुछ हमारी शिक्षा प्रणाली भी जिम्मेदार है । लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि टैक्निकल, इन्डस्ट्रीयल और वोकेशनल एज्युकेशन का विस्तार किया जाय जिससे हमारे नौजवान सिर्फ यूनिवर्सिटी डिग्रियों के पीछे न दौड़ कर उपयोगी शिक्षा हासिल कर सकें । इसी इरादे से राज्य में इन्जीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजों की तादाद बढ़ाई जा रही है । दूसरे कामों में भी रोजगार के मौके बढ़ाये जा रहे हैं । यह तभी मुमकिन है जब केपिटल इन्टेन्सिव स्कीमों के साथ साथ लेबर इन्टेन्सिव स्कीमें भी जारी की जायं ।

माननीय सदस्यों ने जो थोड़े से ठोस सुझाव सदन के सामने रखे उनसे हमको काफी मदद मिली है । इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूं और उन्हें एक बार फिर बधाई व धन्यवाद देता हूं । जो मीठी-कड़वी बातें उन्होंने कही हैं । उनको मैंने स्पोर्ट्समैन स्प्रिट में लिया है और उनसे भी ऐसी ही स्पोर्ट्स मैन स्प्रिट की उम्मीद रखता हूँ । क्योंकि आखिर हम सब लोग राज्य की और राज्य की जनता की भलाई चाहते हैं जिसमें लड़ाई-झगड़े की कोई चीज ही नहीं है ।

अपना जवाब खत्म करने से पहले मैं माननीय सदस्यों से एक जरूरी निवेदन और करना चाहता हूँ । किफायत के लिये या खर्च कम करने के लिए सरकारी छँटनी वगैरा के दो कदम उठाये, वे तभी कारगर हो सकते हैं जब सदन के भीतर या बाहर उनके अमल में सहयोग का हाथ बढ़ाया जाय क्योंकि लार्जर इन्ट्रेस्ट्स में हमको कभी कभी माइनर इन्ट्रेस्ट को कुर्बान भी करना पड़ता है । मुझे उम्मीद है कि आगे मांगों पर बहस करते वक्त माननीय सदस्य मेरे अनुरोध को ध्यान में रखेंगे और पार्टियों के लिहाज से नीतियों में मतभेद होते हुए भी, राजस्थान के सरासर हित में जो हम सब को प्यारा है, कंधे से कंधा मिला कर आगे बढ़ेंगे ।

(५. १० म. प.)

प्राक्कलन समिति तथा जन-लेखा समिति के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि प्राक्कलन समिति, १९६२-६३ के लिए निम्नांकित सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये हैं ;

१. श्री ए. जब्बार (१)
२. श्री किशनसिंह (९०)

(श्री अध्यक्ष)

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जनलेखा समिति, १९६२–६३ के लिए निम्नांकित सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये हैं :–

३. श्री केसरीसिंह (८६)
४. श्री गोकुलप्रसाद (५१)
५. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (४०)
६. श्री देवीलाल (३५)
७. श्री धर्माराम (३६)
८. श्रीमती नगेन्द्रबाला (१२०)
९. श्री नत्थीसिंह (१२५)
१०. श्री नाथूलाल करोल (१२६)
११. श्री मथुरेशबिहारी (१०६)
१२. श्री मालमसिंह (१०२)
१३. श्री मोतीलाल (११६)
१४. श्री रूपाराम (१५१)
१५. श्री हरिकिशन (६१)

१. श्री छत्रसिंह (२७)
२. श्री ज्वालाप्रसाद (८४)
३. श्री भीमसेन (१६)
४. श्री भैरोंसिंह (१३)
५. श्री मानसिंह (१०६)
६. श्री मोहनराज (११३)
७. श्री रामकिशन (१४४)
८. श्रीमती सुमित्रा देवी (१६४)
९. श्री हरदेव जोशी (६०)
१०. श्री हरिप्रसाद (६२)

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक २ अप्रेल के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर म. प. ५. १२ पर सदन की कार्यवाही २ अप्रेल, १९६२ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, ३० मार्च, १६६२)

	स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	१६२८

पीने के पानी की व्यवस्था ।

सड़क निर्माण ।

टिड्डी दल से क्षतिग्रस्त-क्षेत्र ।

सड़क निर्माण का ठेका ।

एजूकेशन कोड ।

गिरवां एवं बड़गांव (उदयपुर डिवीजन) में सड़कों का निर्माण ।

अधिक तावान की वसूली ।

नाजायज़ नोतोड़ ।

उदयपुर कॉटन मिल्स लि०, उदयपुर ।

धमान-धोलेटा सड़का का निर्माण कार्य ।

	स्कम्भ
आय-व्यय क, १६६२-६३ प्रथम अवस्था-सामान्य वाद-विवाद	१६५१

आय-व्ययक, १६६२-६३ पर सामान्य वाद-विवाद का आज अन्तिम दिन था। बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

१. श्री अमृतलाल यादव ।
२. श्री घासीराम यादव ।
३. श्री अमरसिंह (वि. सं. ४) ।
४. श्री श्योपतसिंह ।
५. श्री हजारीलाल शर्मा ।
६. श्री गिरधारीलाल ।
७. श्री दलपतसिंह ।
८. श्री अमरसिंह (वि. सं ५) ।
९. श्री गोकुलप्रसाद ।
१०. श्री हरिराम ।
११. श्री मानसिंह महार ।
१२. श्री जयनारायण ।
१३. श्री गोकुल चन्द ।

श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, एवं श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री, ने सरकार की ओर से आय-व्ययक, १६६२-६३ पर की गई बहस का उत्तर दिया ।

	स्कम्भ
जन-लेखा समिति, १६६२-६३ तथा प्राक्कलन समिति, १६६२-६३ के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा	१८३५

माननीय अध्यक्ष द्वारा जन-लेखा समिति, १६६२-६३ तथा प्राक्कलन समिति, १६६२-६३ के निर्वाचित सदस्यों के नाम घोषित किये गये जो इस प्रकार हैं:—

जन-लेखा समिति (Public Accounts Committee) १९६२-६३:—

१. श्री छत्रसिंह (२७)।
२. श्री ज्वालाप्रसाद (८४)।
३. श्री भीमसेन (१९)।
४. श्री भैरोंसिंह (१३)।
५. श्री मानसिंह (१०६)।
६. श्री मोहनराज (११३)।
७. श्री रामकिशन (१४४)।
८. श्रीमती सुमित्रा (१६४)।
९. श्री हरदेव जोशी (६०)।
१०. श्री हरिप्रसाद (६२)।

प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) १९६२–६३

१. श्री ए. जब्बार (१)।
२. श्री किशनसिंह (९०)।
३. श्री केसरीसिंह (८९)।
४. श्री गोकुल प्रसाद (५१)।
५. श्री दुर्गालाल (४०)।
६. श्री देवीलाल (३५)।
७. श्री धर्माराम (३६)।
८. श्रीमती नगेन्द्र बाला (१२०)
९. श्री नत्थीसिंह (१२५)।
१०. श्री नाथूलाल करोल (१२६)।
११. श्री मथुरेश बिहारी माथुर (१०९)।
१२. श्री मालमसिंह (१०२)।
१३. श्री मोतीलाल (११६)।
१४. श्री रूपाराम (१५१)।
१५. श्री हरिकिशन (६१)।

सदन की बैठक ५ बजकर १२ मिनट पर सोमवार, दिनांक २ अप्रेल, १९६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

सोमवार, २ अप्रेल, १९६२ की कार्य-सूची

अशासकीय संकल्प

१. श्री कुमारानन्द : जयपुर में स्थाई रूप से हाई कोर्ट बेंच की स्थापना इत्यादि सम्बन्धी।

२. श्री विजयसिंह झाला : नाथद्वारा टैम्पल एक्ट, १९५९ रद्द करने सम्बन्धी।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६१ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति क्षेत्र गिरवां व बड़गांव में सुधारी गई सड़कों व रास्तों की सूची

क्र० सं०	नाम पंचायत समिति	नाम सड़क
१	२	३
१.	गिरवां	१. बछार से डोडावली ।
		२. अलसीगढ़ से बलसीगढ़ बस स्टैण्डतक ।
		३. गुडैली से मैसडाकलां ।
२.	बड़गांव	१. दाणीवली से भुताला गांव तक ।
		२. लोसिंग गांव से भुताला गांव तक ।

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, ३० मार्च, १९६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१६३३	५	हुआ हैं	हुआ है
,,	७	किसी भी क्षेत्र	किसी क्षेत्र
१६३५	२६	श्री रामप्रसद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
१६३८	शीर्ष	(परसराम मदेरणा)	(श्री परसराम मदेरणा)
१६४०	१२	मि	कि
१६५२	२७	की प्रथा के	की इस प्रथा के
१६५३	८	देनी की	देने की
१६५७	१२	स्थिति है	स्थित है
,,	अंतिम से ४	मिलें	मिले
१६६१	२५	लेता हे	लेता है
१६६६	शीर्षक	पर वाद-विषादे	पर वाद-विवाद
१६७३	अंतिम से २	तों	तो
१६७४	१	सकते हो	सकते हों
,,	२	ढांचे में है	ढांचे में
१६७५	५	वैसों	वैसी
,,	१७	'देखीं	'देखी
	१९	स्वार्थ-साधनों	स्वार्थ साधन
१६७८	अंतिम से ३	उपलब्ध है	उपलब्ध हैं
१६८०	शीर्ष	(श्री अमरसिह)	(श्री अमरसिंह)
१६८०	८	मिलता हैं	मिलता है
१६८१	२६	मनोरजन	मनोरंजन

१	२	३	४
१६८५	२३	तो बडी	तो बड़ा
१६८७	शीर्षक	वाद बिवाद	वाद विवाद
,,	१	मिनिस्टर था	मिनिस्टर ने
१६८६	१०	पडते है	पड़ते हैं
,,	२०	बनाते है	बनाते हैं
१६६०	५	बशर्तें	बशर्तें
,,	२७	भूखें	भूखे
१६६१	अन्तिम से ३	जमोनें	जमीनें
१६६६	५	प्रेरित	उससे प्रेरित
१६६७	२५	करते है	करते हैं
१६६८	२१	पढ़ाये	पढ़ाये
१७०२	१	एस्टीमेटस	एस्टीमेट्स
,,	६	कहना था	कहनी थी
,,	अंतिम से ३	यह कताई	यह कतई
१७०४	५	बेसेज	वसेज
,,	१३	दिया।	टिया
१७०५	१	प्रोपर्टी	प्रोपर्टी
१७०६	शीर्षक	३० सार्च, ६२	३० मार्च, ६२
१७०७	१२	टिया	दिया
१७०८	शीर्षक	३० माच, ६२	३० मार्च, ६२
१७१०	१८	प्रोवलम्स	प्रोब्लम्स
१७१३	शीर्षक	वाद-बिवाद	वाद-विवाद
,,	२	को दूसरे	दूसरे
,,	८	को	की

१	२	३	४
१७१५	२८,२६,३०	हैं	है
१७१६	शीर्षि	(श्री दलपदसिह)	(श्री दलपतसिंह)
,,	५	क्रिग्टिसिज़्म	क्रिटिसिज्म
१७१७	२०	सिम्पिसिटी	सिम्पलीसिटी
,,	४	सिम्पल	सिम्पल
१७१६	१५	केरेक्टेरिस्कि	केरेक्टेरिस्टिक
,,	२६	है	हैं
१७२०	१०	फॅार्म	फार्म
,,	१६	सिम्पिलसिटी	सिम्पलीसिटी
,,	१८	ढेवलेपमेंट	डेवलपमेंट
,,	२३	है—	है।
१७२१	२६	पोंइन्ट	पोइन्ट
,,	३२	आती है	आती हैं
१७२५	२८	sympthy	sympathy
१७२६	३२	popuiation	population
१७३०	शीर्षक	२८ मार्च, ६२	३० मार्च, ६२
१७३३	१५	नही गये है	नहीं गये हैं
१७३४	शीर्षक	(श्री गोकुलप्रसाद)	(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)
१७३५	१	श्री गोकुलप्रसाद	श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
१७३८	८	दिखा, दे	दिखा दे,
,,	२३	है तो	हैं तो
१७४१	१३	जेबों में	जेबों से
,,	२७	होता हैं	होता है
१७४४	१५	इन्पेक्टर	इन्सपेक्टर
१७४५	अंतिम से ३	बनीं	बनी

१	२	३	४
१७५८	शीर्षक	आय व्यय	आय व्ययक
१७६४	२	स्वादो बार्ड	खादी बोर्ड
१७६७	१	श्री योगेन्द्रसिंह हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
,,	१६	को और	की ओर
१७६८	१९	होती है ?	होती हैं !
१७६९	९	कोइसलिए	को इसलिए
,,	११	बैंचों	बेंचों
१७७१	१०	प्रोविडेन्ड	प्रोविडेन्ट
१७७८	२४	ट्रान्सपर	ट्रान्सफर
१७८७	१५	प्रकार	प्रकार
१७९०	५	जांना	जाना
१८०४ व १८०५	१३ व २	एपर्ट्स	एफर्ट्स
१८१९	शीर्षक	वाद—विवाद	वाद-विवाद
,,	२१	usal	usual